

THE UNITED PROVINCES EXCISE ACT, 1910
(U. P. Act No. IV of 1910)

ARRANGEMENT OF SECTIONS

SECTIONS-

CHAPTER — I
PRELIMINARY AND DEFINITIONS

- 1- Short title and extent
- 2- Repeal of enactments
- 3- Interpretation
- 4-“Power of State Government to declare what is to be deemed liquor”
- 5-“Country liquor” and “foreign liquor”
- 6- Power of State Government to declare limit of sale by retail
- 7- Possession of intoxicant by wife, clerk servant
- 8- Saving of enactments

CHAPTER — II
ESTABLISHMENT AND CONTROL

- 9- Administration of Excise
- 10- Department in districts
- 11- Appeal and revision

CHAPTER — III
IMPORT, EXPORT AND TRANSPORT

- 12- Import of intoxicants
- 13- Export and transport of intoxicants
- 14- Omitted
- 15- Passes necessary for import, export and transport
- 16- Grant of passes for import, export and transport

CHAPTER — IV
MANUFACTURE, POSSESSION AND SALE

- 17- Manufacture of intoxicants prohibited except under the provision of this Act

- 18- Establishment or licensing of distilleries and warehouses
- 19- Removal of intoxicants from distillery, etc.
- 20- Possession of intoxicants in excess of the quantity prescribed by State Government prohibited except under permit
- 20A- Omitted
- 20B- Omitted
- 21- Sale of intoxicants without license prohibited
- 22- Prohibition of sale to persons under the age of “twenty-one years”
- 23- Prohibition of employment of persons under the age of 9 [twenty-one years] and of women
- 24- Grants of exclusive privilege of manufacture, etc
- 24A- Grant of exclusive or other privilege in respect of foreign liquor
- 24AA- Added of sec 24AA
- 24B- Removal of doubts
- 25- Manufacture and sale of liquor in military cantonments
- 26- Grantee of exclusive privilege may let or assign
- 27- Recovery by grantee of exclusive privilege of sums due to him

CHAPTER — V DUTIES AND FEES

- 28- Duty on excisable articles
- 28A- Imposition of additional duty in certain cases
- 29- Manner in which duty may be levied
- 30- Payment for exclusive privileges
- 30A- Saving for duties being levied at commencement of the Constitution

CHAPTER — VI LICENSES, PERMITS AND PASSES

- 31- Form and conditions of licenses, etc.
- 32- Saving of licenses force at the commencement of this Act
- 33- Power of authority granting license to require execution of counterpart agreement, etc
- 34- Power to cancel or suspend licenses, etc

- 35- Further power to cancel licenses
- 36- Surrender of license to sell by retail
- 36A- Bar to right of renewal and compensation
- 37- Technical irregularities in license, etc.

CHAPTER — VI-A
SPECIAL PROVISIONS REGARDING PROHIBITION

- 37A- Prohibition of import, export, transport, possession or consumption of intoxicants

CHAPTER — VII
GENERAL PROVISIONS

- 38- Measures, weights and testing instruments
- 38A- Interest on arrears of excise revenue
- 39- Recovery of excise revenue
- 40- Power of State Government to make rules
- 41- Power of Excise Commissioner to make rules

CHAPTER — VIII
**SPECIAL PROVISIONS RELATING TO THE MANUFACTURE,
SUPPLY AND SALE OF *Tari***

- 42- Manufacture of tari
- 43- Sale of tari
- 44- Power of State Government to exempt from provisions of sections 42, area in which exclusive privilege for manufacture etc. for tari has been granted
- 45- Grant of license by grantee of exclusive privilege of manufacturing tari
- 46- Duty on tari
- 47- Power to make rules

CHAPTER — IX
POWER AND DUTIES OF OFFICERS, ETC.

- 48- Power to enter and inspect places of manufacture and sale
- 49- Power of certain officers to investigate into offences punishable under this Act
- 50- Power of arrest, seizure and detention
- 51- Power of Collector to issue warrant of arrest

- 52- Power of Collector or magistrate to issue search warrant
- 53- Power of Collector or officer of the Excise department to search without warrant
- 54- procedure relating to arrest, searches, etc
- 55- Offence to be bailable
- 56- Duty of officers of certain departments to report offences and to assist officers of the excise Department
- 57- Duty of owner, occupier, Lekhpal or village policeman to report certain matters
- 58- Duty of officer in charge of police station to take charge of articles seized
- 59- Power to close shops for the sake of public peace

CHAPTER — X
OFFENCES AND PENALTIES

- 60- Penalty for unlawful import, export, transport manufacture, possession, sale, etc.
- 60A- Penalty for mixing noxious substance with intoxicant and selling of noxious substance under the garb of intoxicant
- 60B- Omitted
- 61- Penalty for unlawful selling to persons under [twenty-one], or employing persons under [twenty-one] or women
- 62- Penalty for rendering denatured spirit fit for human consumption
- 63- Penalty for unlawful import o intoxicant and transport or possession of unlawfully imported intoxicant etc
- 64- Penalty for certain acts by licensee or his servant.
- 64A- Penalty for adulteration etc. by licenced vendor or manufacturer
- 65- Penalty for consumption in chemists shop.
- 66- Penalty for excise of refusing to do
- 67- Penalty for excise officer making vexatious search, etc
- 68- Penalty for offence not otherwise provided
- 69- Enhanced punishment after previous conviction
- 69A- Demand for security for abstaining from commission of certain offences
- 69B- Penalty for abetment
- 69C- Offence by companies
- 70- Cognizance of offence

- 71- Presumption as to commission of offence in certain cases
- 71A- Provisions regarding pardon, etc. to apply Offences under the Act
- 72- What things are liable to confiscation
- 73- Further provisions for confiscation
- 73A- Order for destroying confiscated intoxicant.
- 74- Compounding of offences
- 74A- Imposition of penalty

CHAPTER — XI
MISCELLANEOUS

- 75- Exception of medicated articles
- 76- Power of State Government to exempt persons and intoxicants from the provisions of this Act
- 77- Publication of rules and notifications
- 78- Bar of certain suits
- 79- Power of Excise Commissioner, exercisable from time to time

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1910)

THE UNITED PROVINCES EXCISE ACT, 1910
(U.P. Act No. IV of 1910)

THE UNITED PROVINCES EXCISE ACT, 1910¹

(U. P. Act No. IV of 1910)

Amended by

U. P. Act No. III of 1914
U. P. Act No. I of 1915
U. P. Act No. IV of 1919
U. P. Act XXXVIII of 1920
U. P. Act No. II of 1923
U. P. Act No. II of 1930
U. P. Act No. III of 1941
U. P. Act No. XIII of 1941
U. P. Act No. 7 of 1970
U. P. Act No. 23 of 1970
U. P. Act No. 4 of 1971
U. P. Act No. 6 of 1972
U. P. Act No. 30 of 1972
U. P. Act No. 13 of 1973
U. P. Act No. 18 of 1974
U. P. Act No. 05 of 1976
U. P. Act No. 9 of 1978
U. P. Act No. 30 of 1978
U. P. Act No. 13 of 1979
U. P. Act No. 23 of 1983
U. P. Act No. 23 of 1984
U. P. Act No. 07 of 1985
U. P. Act No. 19 of 1986
U. P. Act No. 5 of 1989
U. P. Act No. 01 of 1990
U. P. Act No. 16 of 1997
U. P. Act No. 7 of 1998
U. P. Act No. 22 of 1999

1. For Statement of Objects and Reasons, see *Gazette*, 1909, Pt. VII, p. 106.

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910¹

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1910)

- सं० प्रा० अधिनियम संख्या 3, 1914
- सं० प्रा० अधिनियम संख्या 1, 1915
- सं० प्रा० अधिनियम संख्या 4, 1919
- सं० प्रा० अधिनियम संख्या 38, 1920
- सं० प्रा० अधिनियम संख्या 2, 1923
- सं० प्रा० अधिनियम संख्या 2, 1930
- सं० प्रा० अधिनियम संख्या 3, 1941
- सं० प्रा० अधिनियम संख्या 13, 1941
- उ० प्र० अधिनियम संख्या 7, 1970
- उ० प्र० अधिनियम संख्या 23, 1970
- उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, 1971
- उ० प्र० अधिनियम संख्या 6, 1972
- उ० प्र० अधिनियम संख्या 30, 1972
- उ० प्र० अधिनियम संख्या 13, 1973
- उ० प्र० अधिनियम संख्या 18, 1974
- उ० प्र० अधिनियम संख्या 05, 1976
- उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 1978
- उ० प्र० अधिनियम संख्या 30, 1978
- उ० प्र० अधिनियम संख्या 13, 1979
- उ० प्र० अधिनियम संख्या 23, 1983
- उ० प्र० अधिनियम संख्या 23, 1984
- उ० प्र० अधिनियम संख्या 07, 1985
- उ० प्र० अधिनियम संख्या 19, 1986
- उ० प्र० अधिनियम संख्या 05, 1989
- उ० प्र० अधिनियम संख्या 01, 1990
- उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1997
- उ० प्र० अधिनियम संख्या 07, 1998
- उ० प्र० अधिनियम संख्या 22, 1999

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए गजट 1909, भाग सात, पृष्ठ 106 देखिये ।

[The United Provinces Excise Act, 1910]

U. P. Act No. 13 of 2000

U. P. Act No. 16 of 2001

U. P. Act No. 4 of 2018

U. P. Act No. 22 of 2018

Adapted and modified by the Government of India (Adaptation of Indian Laws) Order, 1937.

Adapted and modified by the Adaptation of Laws Order, 1950.

(Received the assent of the Lieutenant-Governor on the 18th December, 1909, and of the Governor-General on the 24th February, 1910, and was ¹published under section 40 of the Indian Councils Act, 1860, on the 12th June, 1910.)

WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the law in force in the United Provinces relating to the import, export, transport, manufacture, sale and possession of intoxicating liquor and of intoxicating drugs ;

²[And whereas in order to promote, enforce and carry into effect the policy of prohibition, it is necessary to authorize the State Government to prohibit the import, export, transport, manufacture, sale and possession of liquor and of intoxicating drugs in the United Provinces or in any specified area or areas thereof ;]

It is hereby enacted as follows ;

CHAPTER — I

PRELIMINARY AND DEFINITIONS

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the United Provinces Excise Act, 1910, and
(2) It ³extends to the whole of ⁴[Uttar Pradesh].

Repeal of enactments

2. The enactments mentioned in the schedule are repealed to the extent specified in the fourth column thereof.

Interpretation

3. In this Act, unless there is something repugnant in the subject or context —

“Excise revenue”

(1) “excise revenue” means revenue derived or derivable from any duty, fee, tax, fine (other than a fine imposed by a court of law), or confiscation imposed or ordered under the provisions of this Act, or of any other law for the time being in force relating to liquor or intoxicating drugs ;

1. See *Gaz.* 1910, Pt. VII, p. 51.

2. *Ins.* by s. 2 of U. P. Act III of 1941, made by the Governor or in exercise of the powers assumed by him under s. 93 of the Government of India Act, 1935 as continued by U. P. Act XIII of 1948.

3. This Act has been extended to the areas mentioned in column 1 of this table under the Act or Order mentioned in column 2 and enforced in such areas under notification, if any mentioned in column 3 with effect from the date mentioned in column 4 against each such area :

Areas 1	Act or Order under which extended 2	Notifications, if any, under which enforced 3	Date from which enforced 4
1. Rampur District	U. P. Act XII of 1950, s. 3	..	Dec. 30, 1949
2. Banaras District	Banaras (Applica-tion of Laws) Orders, 1949.	No.3262(1)/XVII, dated Nov. 30, 1949.	Nov. 30, 1949
3. Tehri-Garhwal District	Tehri-Garhwal (Application of Laws) Order, 1949.	No. 3262 (2)/XVII, dated Nov. 30, 1949.	Ditto.

4. *Subs.* by the A. O. 1950, for (the United Provinces).

- उ० प्र० अधिनियम संख्या 13, 2000
 उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 2001
 उ० प्र० अधिनियम संख्या 04, 2018
 उ० प्र० अधिनियम संख्या 22, 2018

द्वारा संशोधित

गवर्नमेन्ट आफ इंडिया (एडेप्टेशन आफ इंडियन लाज) आर्डर, 1937 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत।

एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत।

[लेफटीनेन्ट-गवर्नर ने 18 दिसम्बर, 1909 तथा गवर्नर जनरल ने 24 फरवरी, 1910 को स्वीकृत प्रदान की तथा इंडियन कौन्सिल्स ऐक्ट, 1860 की धारा 40 के अन्तर्गत 12 जून, 1910 को प्रकाशित हुआ।]

मादक शराब तथा मादक भेषजों के आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, विक्रय तथा उसे कब्जे में रखने के सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्त में प्रवृत्त विधि को संहत ओर संशोधित करना इष्टकर है :

2[तथा मद्य निषेध की नीति को प्रोत्साहित, प्रवृत्त तथा कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार की संयुक्त प्रान्त में या उसके किसी निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में शराब और मादक भेषजों के आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, विक्रय तथा कब्जे को निषिद्ध करने के लिए प्राधिकृत किया जाय :]

अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय-1

प्रारम्भिक तथा परिभाषायें

- 1-(1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 कहलाएगा, ओर **संक्षिप्त नाम**
 (2) इसका अविस्तार सम्पूर्ण 4[उत्तर प्रदेश] में होगा।
 2-अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमितियों उसके स्तम्भ 4 में निर्दिष्ट सीमा तक **अधिनियमितियों का निरसन निर्वचन**
 निरसित की जाती है।
 3-जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात विरुद्ध न हों, इस अधिनियम में — **आबकारी राजस्व**

(1) "आबकारी राजस्व" का तात्पर्य उस राजस्व से है जो शराब अथवा मादक भेषजों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन आरोपित या आदिष्ट किसी शुल्क, फीस, कर, अर्थदण्ड (विधि न्यायालय द्वारा आरोपित अर्थदण्ड से भिन्न), या जब्ती से प्राप्त हो या प्राप्त होने योग्य हो ;

1. गजट 1910 भाग 7, पृष्ठ 51 देखिए।
 2. गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की धारा 93 द्वारा जैसा सं० प्रा० अधिनियम संख्या 13, 1943 द्वारा जारी रखा गया, के अन्तर्गत ग्रहण की गई शक्तियों का प्रयोग करके गवर्नर द्वारा तैयार किये गये सं० प्रा० अधिनियम संख्या 3, 1941 की धारा 2 द्वारा अन्तर्विष्ट।
 3. इस अधिनियम का विस्तार इस सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित क्षेत्रों में, स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिनियम या आर्डर के अधीन किया गया है और इसे ऐसे क्षेत्रों में, स्तम्भ 3 में उल्लिखित विज्ञप्ति यदि कोई हो, के अधीन उस दिनांक से, जो प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के सामने स्तम्भ 4 में उल्लिखित हैं, प्रवृत्त किया गया है :

क्षेत्र	अधिनियम अथवा आदेश जिनके अन्तर्गत प्रसारित किए गए	विज्ञप्ति यदि कोई है, जिनके अन्तर्गत प्रभावी किया गया	तिथि जिससे प्रभावी किया गया
1	2	3	4
1 जिला रामपुर	यू०पी० ऐक्ट 12, 1950, धारा 3	—	30 दिसम्बर, 1949
2 जिला बनारस	बनारस (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1940	सं० 3262 (1) 17, दिनांक 30 नवम्बर, 1949	30 नवम्बर, 1949
3 जिला टेहरी-गढ़वाल	टेहरी-गढ़वाल (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1949	सं० 3262 (2) 27, दिनांक 30 नवम्बर, 1949	—तदैव—

4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 (दि यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित।

[The United Provinces Excise Act, 1910]

“Excise officer”	(2) “excise officer” means a Collector or any officer or person appointed or invested with powers under section 10 ;
“Excise Commissioner”	(3) “Excise Commissioner” means the officer appointed by the ¹ [State Government] under section 10, sub-section (2) clause (a) ;
“Excise duty and countervailing duty”	² [(3-a) “excise duty” and “countervailing duty” means any such excise duty or countervailing duty, as the case may be, as is mentioned in ³ [entry 51] of List II in the Seventh Schedule to the Constitution] ; ⁴ [(4) “manufactory” means a unit other than a distillery, where Indian made foreign liquor is manufactured and bottled.]
“Magistrate”	⁵ [(5) xxx]
“Tari”	(6) “tari” means fermented or unfermented juice drawn from a coconut, palmyra, date or any other kind of palm tree ;
“Pachwai”	(7) “pachwai” means fermented rice, millet or other grain, whether mixed with any liquid or not and any liquid obtained therefrom, whether diluted or undiluted ;
“Spirit”	(8) “spirit” means any liquor containing alcohol obtained by distillation, whether it is denatured or not ;
“Denatured”	⁶ [(9) “denatured” means rendered unfit for human consumption in such manner as may be prescribed by the [State Government] ¹ by notification in this behalf. When it is proved that any spirit contains any quantity of any substance prescribed by the ¹ [State Government] for the purpose of denaturation the court may presume that such spirit is or contains or has been derived from denatured spirit.]
“Beer”	(10) “beer” includes ale, stout, porter and all other fermented liquor made from malt ;
“Liquor”	(11) “liquor” means intoxicating liquor and includes spirits of wine, spirit, wine, tari, pachwai, beer and all liquid consisting of or containing alcohol, also any substance which the ¹ [State Government] may by notification declare to be liquor for the purposes of this Act ;

1. Subs. by the A. O. 1950 for (Prov], Govt.).

2. Ins. by A. O. 1937.

3. Subs. by (item 40) and (the Govt. of India Act, 1935) by the A. O. 1950.

4. Ins. by sec. 2 of U. P. Act no. 16 of 1997.

5. Omit by sec. 2 of U.P. Act no. 9 of 1978.

6. Subs. by sec. 6 of U. P. Act no. 1 of 1915.

(2) "आबकारी अधिकारी" का तात्पर्य कलेक्टर या किसी ऐसे अधिकारी या व्यक्ति से है जो धारा 10 के अधीन नियुक्त या शक्तियों से विनिहित किया गया हों ;	"आबकारी अधिकारी"
(3) "आबकारी आयुक्त" का तात्पर्य उस अधिकारी से है जो धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन ¹ [राज्य सरकार] द्वारा नियुक्त किया गया हो ;	"आबकारी आयुक्त"
2[(3-क) "उत्पाद-शुल्क" और "प्रति-शुल्क" का तात्पर्य, यथास्थिति, किसी ऐसे उत्पाद-शुल्क या प्रति-शुल्क से है जो संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 की ³ [प्रविष्टि 51] में उल्लिखित है ;]	"उत्पाद-शुल्क" और "प्रति-शुल्क"
4[(4) "विनिर्माणशाला" का तात्पर्य आसवनी से भिन्न किसी ऐसी इकाई से है जहां भारत में निर्मित विदेशी शराब का निर्माण किया जाता है और बोटल में बन्द किया जाता हो]]	"विनिर्माणशाला"
5[(5) ^{x x x}] ;	"मजिस्ट्रेट"
(6) "ताड़ी" का तात्पर्य किण्वित या अकिण्वित ऐसे रस से है जो नारियल, ताड़, खजूर या किसी अन्य प्रकार के "पाम" वृक्ष से निकाला गया हो ;	अधिनियम संख्या 1, 1872
(7) "पचवई" का तात्पर्य किण्वित चावल, बाजरा या किसी अन्य अनाज, चाहे उसमें कोई अन्य द्रव मिश्रित हो अथवा नहीं, तथा उससे प्राप्त किसी द्रव से है, चाहे वह अवमिश्रित हो अथवा अवमिश्रित न हों ;	"पचवई"
(8) "स्प्रिट" का तात्पर्य किसी ऐसी शराब से है, जिसमें आसवन द्वारा प्राप्त अलकोहल विद्यमान हो, चाहे वह विकृत हो अथवा न हों ;	"स्प्रिट"
6[(9) "विकृत" का तात्पर्य मानव उपभोग के अयोग्य ऐसी रीति से बना देने से है जिसे (राज्य सरकार) ¹ अधिसूचना द्वारा तदर्थ विहित करें। जब यह सिद्ध कर दिया जाय कि किसी स्प्रिट में कोई पदार्थ किसी ऐसे परिणाम में विद्यमान है जो विकृतीकरण के प्रयोजनार्थ ¹ [राज्य सरकार] द्वारा विहित किया गया हो, तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि ऐसी स्प्रिट विकृत स्प्रिट है या उसमें विकृत स्प्रिट विद्यमान है या वह विकृत स्प्रिट से प्राप्त की गई है];	"विकृत"
(10) "बियर" में एल, स्टाउट, पोर्टर तथा माल्ट से बनी अन्य सभी किण्वित शराब सम्मिलित है ;	"बियर"
(11) "शराब" का तात्पर्य मादक शराब से है और इसके अन्तर्गत वाइन की स्प्रिट, स्प्रिट, वाइन, ताड़ी, पचवई, बियर और वे सभी द्रव जिनमें अलकोहल सम्मिलित या विद्यमान हो तथा कोई ऐसा पदार्थ भी है जिसे ¹ [राज्य सरकार] इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा शराब घोषित करे ;	"शराब"

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।
2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा अन्तर्विष्ट ।
3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (आइटम 40) तथा (गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935) के लिये प्रतिस्थापित ।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 16, 1997 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 09, 1978 की धारा 2 द्वारा निकाला गया ।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 01, 1915 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[The United Provinces Excise Act, 1910]

- “Intoxicating drug”** (12) “intoxicating drug” means —
- (i) the leaves, small stalks and flowering or fruiting tops of the Indian hemp plant (*cannabis sativa* L) including all forms known as *bhang*, ¹[or *sidhi*];
 - (ii) ²[x x x x]
 - (iii) any mixture, with or without neutral materials, of any of the above forms of intoxicating drug or any drink prepared therefrom ; and
 - ³(iv) any other intoxicating substance which the State Government may by notification declare to be an intoxicating drug ;]
- (13) ⁴“intoxicant”] means any liquor or intoxicating drug as defined by this Act ;
- “Intoxicant”** (14) ⁵[* * * *]
- “Sale”** (15) ⁵[* * * *]
- (16) “sale,” with its grammatical variations includes any transfer otherwise than by way of gift ;
- “Import”** (17) [“import” (except in the phrase “import into ⁶[* * *] India” means to bring into ⁷[Uttar Pradesh] otherwise than across a customs frontier as defined by the ⁸[Central Government.]
- “Export”** (18) “export” means to take out of ⁷[Uttar Pradesh] otherwise than across a customs frontier as defined by the ⁸[Central Government.]
- “Transport”** (19) “transport” means to move from one place to another within ⁷[Uttar Pradesh] ;
- “Manufacture”** (20) “manufacture” includes every process, whether natural or artificial, by which any ⁴[intoxicant] is produced or prepared, and also redistillation and every process for the rectification, flavoring, blending or coloring of liquor ;
- “Cultivation”** ⁹(20-a) “cultivation” with its grammatical variations, means the raising of a plant from seed and includes the tending or protecting of a plant during its growth ;]
- “To bottle”** (21) “to bottle” means to transfer from a cask or other vessel to a bottle or other respectable for the purposes of sale whether any process of rectification be employed or not ; and bottling includes rebottling ;

1. Subs. by sec. 2(a) of U. P. Act no. 4 of 2018.

2. Omit. by sec. 2(b) of U. P. Act no. 4 of 2018.

3. Subs. by sec. 2(c) of U. P. Act no. 4 of 2018.

4. Subs. for (excisable article) by the A. O. 1937.

5. Definition of (British) omit. by *ibid*.

6. The word (British) Omit. by the A. O. 1950.

7. Subs. by *ibid* for (the United Provinces).

8. Subs. by the A. O. 1937.

9. Add. by sec. 2 of U. P. Act No. 23 of 1970.

- [(12) "मादक भेषज" का तात्पर्य निम्नलिखित से है — "मादकभेषज"
- (1) भांग (कैनेबिस सैटाइवा एल) के पौधे की पत्तियां, छोटे-छोटे डंठल तथा फूलों या फलों के शीर्ष भाग ओर इसमें उसके सभी रूप सम्मिलित हैं जो भांग या ¹[सिद्धि] के नाम से ज्ञात हैं ;
- (2) 2[X X X X]
- (3) मादक भेषज के उपर्युक्त रूपों में से किसी रूप का, निष्प्राभावित पदार्थों के साथ या उनके बिना, कोई मिश्रण या उससे तैयार किया गया कोई पेय ; और
- 3[(4) कोई मादक पदार्थ जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मादक औषधि घोषित करें।]
- (13) 4["मादक वस्तु"] का तात्पर्य इस अधिनियम में यथापरिभाषित किसी शराब या मादक भेषज से है ; "मादक वस्तु"
- (14) 5[* * * *]
- (15) 5[* * * *]
- (16) व्याकरण सम्बन्धी परिवर्तनों सहित "विक्रय" में दान स्वरूप अन्तरण से भिन्न कोई अन्तरण सम्मिलित है ; "विक्रय"
- (17) "आयात" का तात्पर्य (वाक्यांश ⁶[* * *] "भारत में आयात" के सिवाय) ⁷(उत्तर प्रदेश) में इस प्रकार लाने से है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथापरिभाषित सीमा-शुल्क सरहद को पार करके लाने से भिन्न हों ;] "आयात"
- (18) ["निर्यात" का तात्पर्य ⁷(उत्तर प्रदेश) के बाहर इस प्रकार ले जाने से है जो ⁸(केन्द्रीय सरकार) द्वारा यथापरिभाषित सीमा-शुल्क सरहद को पार करके बाहर ले जाने से भिन्न हो ;] "निर्यात"
- (19) "परिवहन" का तात्पर्य ⁷(उत्तर प्रदेश) के भीतर एक स्थानसे दूसरे स्थान को ले जाने से है ; "परिवहन"
- (20) "निर्माण" में ऐसी प्रत्येक प्रक्रिया, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, सम्मिलित है जिसके द्वारा कोई 4[मादक वस्तु] उत्पादित या तैयार की जाय और इसमें पुनः आसवन तथा शराब के परिशोधन, सुस्वादकरण, सम्मिश्रण तथा रंजित करने की प्रत्येक क्रिया भी सम्मिलित है ; "निर्माण"
- ⁹[(20-क) व्याकरण सम्बन्धी परिवर्तनों सहित, "खेती" का तात्पर्य बीज से किसी पौधे को उगाना है, और इसके अन्तर्गत पौधे के बढ़ने के दौरान में उसकी देख-भाल या उसका संरक्षण करना भी है ;] "खेती"
- (21) "बोतल में बन्द करना" का तात्पर्य विक्रय के प्रयोजनों के लिए पीपे या अन्य बर्तन से बोतल या अन्य पात्र में अन्तरित करने से है चाहे इसमें परिशोधन की कोई प्रक्रिया प्रयुक्त हो अथवा नहीं ; तथा बोतल में बन्द करने के अन्तर्गत बोतल में फिर से बन्द करना भी सम्मिलित है ; "बोतल में बन्द करना"

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 2क द्वारा प्रतिस्थापित।
 2. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 2ख द्वारा निकाला गया।
 3. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 2ग द्वारा प्रतिस्थापित।
 4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (एक्साइजेबिल आर्टिकल) के लिये प्रतिस्थापित।
 5. उपर्युक्त द्वारा शब्द (ब्रिटिश) निकाला गया।
 6. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा शब्द (ब्रिटिश) निकाला गया।
 7. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 ई० द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित।
 8. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा प्रतिस्थापित।
 9. उ० प्र० अधिनियम सं० 23, 1937 ई० की धारा 2 द्वारा बढ़ायी गयी।

[The United Provinces Excise Act, 1910]

“Place”	(22) “place” includes a house, building, shop ¹ [room] booth, tent and vessel ;
“Excisable article”	² [(22-a) “excisable article” means — (a) any alcoholic liquor for human consumption ; or (b) any intoxicating drug ;] (23) ³ [* * * *]
“Power of State Government to declare what is to be deemed liquor”	4. (1) The ⁴ [State Government] may by notification declare any substance to be “liquor” for the purposes of this Act or any portion thereof. (2) The ⁴ [State Government] may, in like manner and for the like purpose declare what shall be deemed to be “country liquor” and “foreign liquor” respectively.
“Country liquor” and “foreign liquor”	5. ⁵ [* * * *].
Power of State Government to declare limit of sale by retail	6. (1) The ⁴ [State Government] may by notification declare, with respect either to the whole of ⁶ [Uttar Pradesh] or to any local area comprised therein and as regards purchasers, generally or any specified class of purchasers, and generally for any specified occasion, what quantity of any ⁷ [intoxicant] shall, for the purposes of this Act, be the limit of sale by retail.
“Sale by wholesale”	(2) The sale of any ⁷ [intoxicant] in any quantity in excess of such quantity as the ⁴ [State Government] has under sub-section (1) declared to be the limit of sale by retail shall be deemed to be sale by wholesale.
Possession of intoxicant by wife, clerk servant	7. When any ⁷ [intoxicant] is in the possession of a person’s wife, clerk or servant on account of that person, it shall, for the purposes of this Act, be deemed to be in the possession of that person. Explanation— A person employed temporarily or on a particular occasion in the capacity of a clerk or servant is a clerk or servant within the meaning of this section.
Saving of enactments	8. Save as provided by the schedule nothing contained in this Act shall affect the provisions of the Sea Customs Act, 1878, the Cantonments Act, 1889, or the Indian Tariff Act, 1894, or any rule or order made thereunder.

1. *Ins.* by sec. 2 of U. P. Act no. IV of 1919.
2. *Subs.* by the A. O. 1950.
3. *Omit.* by sec. 40 & Sch. II of Act II of 1930.
4. *Subs.* by the A. O. 1950 for (Provl. Govt.).
5. *Omit.* by sec. 40 & Sch. II of Act II of 1930.
6. *Subs.* by the A. O. 1950 for (United Provinces).
7. *Subs.* for (excisable article) by the A.O. 1937.

- हैं ;
- (22) "स्थान" में मकान, भवन, दुकान 1[कमरा] बूथ, तम्बू तथा जलयान सम्मिलित "स्थान"
- 2[(22-क) "उत्पाद-शुल्करोप्य पदार्थ" का तात्पर्य निम्नलिखित से है — "उत्पाद-शुल्करोप्य पदार्थ"
- (क) मानव उपभोग के लिए कोई अलकोहलिक शराब ; या
- (ख) कोई पितक लाने वाला भेषज ;]
- (23) 3[* * * *]
- 4-(1) 4[राज्य सरकार] इस अधिनियम के या इसके किसी भाग के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा किसी भी वस्तु को "शराब" घोषित कर सकती है । राज्य सरकार की यह घोषित करने की शक्ति कि "शराब" किसे समझा जाय
- (2) 4[राज्य सरकार] इसी प्रकार से ओर इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए यह भी घोषित कर सकती है कि क्रमशः "देशी शराब" और "विदेशी शराब" किसे समझा जाये
- 5- 5[* * * *] "देशी शराब" तथा "विदेशी शराब"
- 6-(1) 4[राज्य सरकार] अधिसूचना द्वारा या तो सम्पूर्ण 6[उत्तर प्रदेश] या उसमें समाविष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में ओर सामान्यतया क्रेताओं या क्रेताओं के किसी निर्दिष्ट वर्ग के विषय में, तथा सामान्यतया किसी निर्दिष्ट अवसर के लिए यह घोषित कर सकती है कि किसी 7[मादक वस्तु] की कितनी मात्रा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, फुटकर बिक्री की सीमा होगी । फुटकर बिक्री की सीमा घोषित करने की राज्य सरकार की शक्ति
- (2) किसी 7[मादक वस्तु] की किसी मात्रा में बिक्री जो उस मात्रा से अधिक हो जिसे 4[राज्य सरकार] ने उपधारा (1) के अधीन फुटकर बिक्री की सीमा घोषित की हो, थोक बिक्री समझी जायगी । "थोक बिक्री"
- 7-जब कोई 7[मादक वस्तु] किसी व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में उक्त व्यक्ति के कारण हो तो उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति के कब्जे में समझा जायगा । पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में मादक वस्तु
- स्पष्टीकरण**—लिपिक या सेवक के रूप में अस्थायी रूप से या किसी विशेष अवसर पर सेवायोजित कोई व्यक्ति इस धारा के अर्थान्तर्गत लिपिक या सेवक है ।
- 8-अनुसूची में उपबन्धित अवस्था को छोड़कर इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात सी कस्टम्स ऐक्ट, 1878, केन्टोनमेन्ट्स ऐक्ट, 1889 या इण्डियन टैरिफ ऐक्ट, 1894 ई० या उनके अधीन बनाए गए किसी नियम या दिए गए किसी आदेश के उपबन्धों पर प्रभाव न डालेगी । अधिनियमितियों को अपवाद

1. सं०प्रा० अधिनियम संख्या 4, 1919 ई० की धारा 2 द्वारा अन्तर्विष्ट ।

2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा धारा 3 की उपधारा (22-क) के लिये प्रतिस्थापित ।

3. अधिनियम संख्या 2, 1930 ई० की धारा 40 तथा अनुसूची 2 द्वारा निकाली गयी ।

4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्सियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।

5. अधिनियम संख्या 2, 1930 ई० की धारा 40 तथा अनुसूची 2 द्वारा निकाली गयी ।

6. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 ई० द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित ।

7. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 ई० द्वारा (एक्साइजेबिल आर्टिकल) के लिये प्रतिस्थापित ।

CHAPTER — II

ESTABLISHMENT AND CONTROL

Administration of Excise

9. ¹[* * * *]

Department in districts

10. (1) The administration of the Excise Department in any district shall, unless the ²[State Government] otherwise directs, be under the charge of the Collector of that district.

Power of State Government

(2) The ²[State Government] may by notification applicable to the whole of ³[Uttar Pradesh] or to any district or local area comprised therein —

To appoint Excise Commissioner

(a) ⁴[appoint an officer hereinafter referred to as the Excise Commissioner, who shall, subject to the orders of the ²[State Government] have the control of the administration of the Excise Department.]⁴

To appoint persons to exercise powers of Collector

(b) ⁵[constitute a licensing board or] appoint any person other than Collector to exercise all or any of the powers and to perform all or any of the duties of a Collector in respect of the administration of the Excise Department either concurrently with or in subordination to or in exclusion of the Collector, subject to such control as the ²[State Government] may direct ;

To empower officers or persons to perform certain duties

(c) empower officer to perform the acts and duties mentioned in section 48 and 64 (a), and empower officers or persons to perform the acts and duties mentioned in section 50 ;

To appoint officers of the Excise Department

(d) appoint officers of the Excise Department of such classes and with such designations, powers and duties under this Act as the ²[State Government] may think fit, and define the areas within which such powers and duties may be exercised and performed ;

To order exercise and performance of powers and duties by officer other than excise officers and by other persons

(e) order that all or any of the powers and duties assigned to an officer of the Excise Department under clause (d) of this sub-section shall, subject to the provisions of this Act, be exercised and performed by any officer other than an officer of the Excise Department or by any person ;

1. *Omit.* by sec. 3 of U. P. Act II of 1923.

2. *Subs.* by the A. O. 1950 for (Provl. Govt.).

3. *Subs.* by the A. O. 1950 for the (United Provinces).

4. *Subs.* by sec. 4 (1) of U. P. Act II of 1923.

5. *Ins.* by sec. 4 (2) of U. P. Act no. II of 1923.

अध्याय-2 अधिष्ठान तथा नियन्त्रण

9-1[****]

10-(1) जब तक 2[राज्य सरकार] अन्यथा निर्देश न दे, किसी जिले में आबकारी विभाग का प्रशासन उस जिले के कलेक्टर के प्रभार में होगा।

जिलों में आबकारी विभाग का प्रशासन

(2) 2[राज्य सरकार] सम्पूर्ण 3[उत्तर प्रदेश] पर या उसमें समाविष्ट किसी जिले या किसी स्थानीय क्षेत्र पर लागू होने वाली अधिसूचना द्वारा —

राज्य सरकार की शक्ति

(क) 4[कोई अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो एतदपश्चात् आबकारी आयुक्त के रूप में अभिदिष्ट किया जायगा और जो 2[राज्य सरकार] के आदेशों के अधीन रहते हुए आबकारी विभाग के प्रशासन पर नियंत्रण रखेगा]4 ;

आबकारी आयुक्त नियुक्त करने के विषय में

(ख) 5[लाइसेंस देने वाली परिषद् संघटित कर सकती है या] आबकारी विभाग के प्रशासन के सम्बन्ध में या तो कलेक्टर के साथ-साथ या उसके अधीन या अपवर्जन में ऐसे नियंत्रण के अधीन रहते हुए जैसा कि 2[राज्य सरकार] निर्देश दे, कलेक्टर की समस्त या उनमें से किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा उसके समस्त या उनमें से किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए कलेक्टर से भिन्न किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है;

कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये व्यक्तियों की नियुक्ति करने के विषय में

(ग) अधिकारी को धारा 48 तथा 64(क) में उल्लिखित कार्यों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधिकृत कर सकती है तथा अधिकारियों और व्यक्तियों को धारा 50 में उल्लिखित कार्यों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधिकृत कर सकती है।

अधिकारियों को कतिपय कर्तव्यों का पालन करने के लिये अधिकृत किए जाने के विषय में

(घ) इस अधिनियम के अधीन आबकारी विभाग के ऐसे वर्गों के अधिकारियों को तथा ऐसे पदनामों, शक्तियों और कर्तव्यों, सहित, जिन्हें 2[राज्य सरकार] उचित समझे, नियुक्त कर सकती है तथा उन क्षेत्रों को परिभाषित कर सकती है, जिनके भीतर ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन किया जा सकेगा ;

आबकारी विभाग के अधिकारियों को नियुक्त किये जाने के विषय में

(ङ) आदेश दे सकती है कि इस उपधारा के खण्ड (घ) के अधीन आबकारी विभाग के किसी अधिकारी को अभ्यर्पित समस्त शक्तियों या उनमें से किन्हीं शक्तियों तथा कर्तव्यों का इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए आबकारी विभाग के अधिकारी से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग और पालन किया जायगा ;

आबकारी अधिकारियों से भिन्न अधिकारियों द्वारा तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन किये जाने के आदेश का दिया जाना

1. सं0 प्रा0 अधिनियम संख्या 2, 1923 ई0 की धारा 3 द्वारा निकाली गयी।
2. एडेप्टेशन ऑफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्सियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित।
3. एडेप्टेशन ऑफ लाज आर्डर, 1950 ई0 द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 2, 1923 ई0 की धारा 4 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. सं0 प्रा0 अधिनियम संख्या 2, 1923 ई0 की धारा 4(2) द्वारा अन्तर्विष्ट।

[The United Provinces Excise Act, 1910]

To delegate its powers

(f) delegate ¹[* * *] to the Excise Commissioner all or any of its powers under this Act, except the power conferred by section 40 to make rules;

To withdraw powers

(g) withdraw from any officer or person any or all of his powers in respect of the administration of the Excise Department;

To permit delegation of power

(h) permit the delegation by ²[* * *] the Excise Commissioner or Collector to any person or classes of persons specified in such notification of any powers conferred by or under this Act or by or under any other law for the time being in force relating to excise revenue.

³[Appeal and revision]

³[11. (1) The Collector, and every other Excise Officer (not being the Excise Commissioner) shall, in respect of all proceedings under this Act, be subject to the control of the Excise Commissioner and all orders passed by Collector or such other officer under this Act, shall be appealable to the Excise Commissioner in the manner prescribed by rules made by the State Government in this behalf ;

Provided that no appeal shall be entertained under this sub-section unless it is preferred by the aggrieved person within thirty days from the date of communication of such order, and unless the appellant has furnished satisfactory proof of having paid a sum of not less than 25 per cent of the disputed amount of tax, fee, penalty or other dues, if any, as the case may be ;

Provided further that the appellate authority may, for special and adequate reasons to be recorded in writing, waive or relax the requirements of the preceding proviso in respect of such disputed amount of tax, fees, penalty or other dues.

(2) The State Government may either suo motu or on an application by an aggrieved person call for and examine the records relating to any order passed in any proceedings under this Act, for the purposes of satisfying itself as to the correctness, legality or propriety of any such orders or as to the regularity of such proceedings ; and, if in any case it appears to the State Government that such order or proceedings should be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass orders accordingly ;

Provided that no order adversely affecting any party shall be passed under this section unless he has been given a reasonable opportunity of making his representation ;

Provided further that no application under this sub-section shall be entertained unless it is preferred within thirty days from the date of the order of the Excise Commissioner and unless an appeal, where it lies, has been filed and disposed of by the Excise Commissioner ;

1. Omit by sec. 4(3) of U.P. Act II of 1923.
2. Omit. by sec. 4(4) of U.P. Act II of 1923.
3. Subs. by sec. 3 of U. P. Act no. 9 of 1978.

(च) नियम बनाने के सम्बन्ध में धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्ति के सिवाय इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त या उनमें से किन्हीं शक्तियों को ¹[* * *] आबकारी आयुक्त को प्रतिनिहित कर सकती है ;

अपनी शक्तियों को प्रतिनिहित करने के विषय में

(छ) किसी अधिकारी या व्यक्ति से अधिकारी विभाग के प्रशासन के सम्बन्ध में किन्हीं या समस्त शक्तियों को वापस ले सकती है ;

शक्तियों को वापस लेने विषय में

(ज) ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन या आबकारी राजस्व से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को ²[* * *] आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा प्रतिनिहित किये जाने की अनुज्ञा दे सकती है ।

शक्तियों को प्रतिनिहित करने की अनुज्ञा दिए जाने के विषय में

³[11-(1) कलेक्टर ओर प्रत्येक अन्य आबकारी अधिकारी जो आबकारी आयुक्त नहीं है, इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त के नियंत्रण में होगा और इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये समस्त आदेशों के विरुद्ध अपील, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित रीति से, आबकारी आयुक्त को की जा सकेगी ;

³[अपील ओर पुनरीक्षण]

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई अपील ग्रहण नहीं की जायेगी, जब तक कि उसे व्यथित व्यक्ति द्वारा, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न किया जायें, और जब तक कि अपीलकर्ता ने, यथास्थिति, कर, फीस, शास्ति या अन्य देयों की, यदि कोई हो, विवादग्रस्त राशि की कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि की अदायगी का संतोषजनक सबूत प्रस्तुत न कर दिया हो ;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि अपील प्राधिकारी ऐसे विशेष और पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, कर, फीस, शास्ति या अन्य देयों की ऐसी विवादग्रस्त राशि के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड की अपेक्षाओं को अधित्यक्त या शिथिल कर सकता है ।

(2) राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन करने पर इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में दिये गये किसी आदेश से सम्बंधित अभिलेख को किसी ऐसे आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य या ऐसी कार्यवाही की नियमितता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिये मांग सकती है और उस की परीक्षा कर सकती है, और यदि किसी मामले में राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे आदेश या कार्यवाही को परिष्कृत, विखंडित, उलटना या पुनर्विचार के लिये पुनः प्रेषित करना चाहिये तो वह तदनुसार आदेश दे सकती है ;

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन किसी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसे अपना अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि वह आबकारी आयुक्त के आदेश से तीन दिन के भीतर न दिया जाये और जब तक कि कोई अपील जहां वह ग्राह्य हो, दायर न कर दी गयी हो और आबकारी आयुक्त द्वारा निपटा न दी गयी हो ;

1. सं० प्रा० अधिनियम संख्या 2, 1923 ई० की धारा 4 (3) द्वारा निकाले गये ।
2. सं० प्रा० अधिनियम संख्या 2, 1923 ई० की धारा 4 (4) द्वारा निकाले गये ।
3. उ० प्रा० अधिनियम सं० 9, 1978 ई० की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[The United Provinces Excise Act, 1910]

Provided also that no application for revision shall be entertained unless the applicant has furnished satisfactory proof of having paid a sum of not less than 25 per cent of the disputed amount of tax, fee, penalty or other dues, if any, as the case may be ;

Provided also that State Government may, for reasons, to be recorded in writing, waive, or relax the requirements of the preceding proviso in respect of such disputed amount of tax, fees, penalty or other dues.]¹

CHAPTER — III

IMPORT, EXPORT AND TRANSPORT

Import of intoxicants

12. (1) No ²[intoxicant] shall be imported unless —

(a) the ³[State Government] has given permission either general or special, for its import ;

(b) such conditions (if any) as the ³[State Government] may impose have been satisfied ; and

(c) the duty (if any) imposed under section 28 has been paid or a bond has been executed for the payment thereof.

(2) Sub-section (1) shall not apply to any article which has been imported into ⁴[* * *] India and was liable on such importation to duty under the Indian Tariff Act, ⁵[1894], or the Sea Customs Act, 1878.

(3) ⁶[X X X X]

Export and transport of intoxicants

13. No ²[intoxicant] shall be exported or transported unless —

(a) the duty (if any) imposed under section 28, or

(b) If the article was previously imported, the duty (if any) imposed on its importation under the Indian Tariff Act, 1894, or the Sea Customs Act, 1878, has been paid, or a bond has been executed for the payment thereof.

14. ⁷[* * * *]

Passes necessary for import, export and transport

15. No ²[intoxicant] exceeding such quantity as the ³[State Government] may prescribe by ⁸[notification], either generally for the whole of ⁹[Uttar Pradesh], or for any local area comprised therein, shall be imported, exported or transported except under a pass issued under the provisions of the next following section ;

1. *Subs.* by sec. 3 of U.P. Act No.9, 1978.

2. *Subs.* for (excisable article) by the A. O. 1937.

3. *Subs.* by the A. O. 1950 for (Provl. Govt.).

4. The words (British) in sub. sec. (2) and (3) of s. 12 *omit* by A. O. 1950.

5. *See now* the Indian Tariff Act, 1934 (Act XXXII of 1934).

6. *Omit.* by sec. 2 of U. P. Act 16 of 2001.

7. *Omit.* by sec. 2 of U. P. Act 6 of 1972.

8. *See not.* no. 681/XIII—136, dated Nov. 22, 1912, in *Gaz.*, 1912, Pt., 1, p. 1203.

9. *Subs.* by the A. O. 1950 for the (United Provinces).

प्रतिबंध यह भी है कि पुनरीक्षण कें लिये कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक ने, यथास्थिति, कर फीस, शास्ति, या अन्य देयों की, यदि कोई हो, विवादग्रस्त राशि की कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि की अदायगी का सन्तोषजनक सबूत प्रस्तुत न कर दिया हो ;

प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे कर, फीस, शास्ति या अन्य देयों की किसी विवादग्रस्त राशि के संबंध में पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड की अपेक्षाओं को अधित्यक्त या शिथिल कर सकती है।¹

अध्याय—3

आयात, निर्यात तथा परिवहन

12—(1) कोई 2[मादक वस्तु] तब तक आयात न की जायगी जब तक कि—

मादक वस्तुओं का आयात

(क) 3[राज्य सरकार] ने उसके आयात के लिए या तो सामान्य या विशेष अनुज्ञा न दे दी हो ;

(ख) ऐसी शर्तें (यदि कोई हों) जिन्हें 3[राज्य सरकार] आरोपित करे, पूरी न कर दी गयी हों ; और

(ग) धारा 28 के अधीन आरोपित उत्पाद-शुल्क (यदि कोई हो) का भुगतान न कर दिया गया हो या उसके भुगतान के लिए बंध-पत्र निष्पादित न कर दिया गया हो ।

(2) उपधारा (1) किसी ऐसे पदार्थ पर लागू न होगी जो 4[* * *] भारत में आयात किया गया हो और जो इस प्रकार आयातित होने पर इण्डियन टैरिफ ऐक्ट, 1894 अथवा सी कस्टम्स ऐक्ट, 1878 के अधीन उत्पाद-शुल्क का भागी हो ।

(3) 6[* * * *]

13—किसी भी 2[मादक वस्तु] का तब तक निर्यात या परिवहन न किया जायगा जब तक कि —

मादक वस्तुओं का निर्यात तथा परिवहन

(क) धारा 28 के अधीन आरोपित उत्पाद-शुल्क (यदि कोई हो) ; या

(ख) यदि उस वस्तु का पहले ही आयात किया गया था, तो उसके आयातन पर इण्डियन टैरिफ ऐक्ट, 1894 या सी कस्टम्स ऐक्ट, 1878 के अधीन आरोपित उत्पाद-शुल्क का भुगतान न कर दिया गया हो या उसके भुगतान के लिये बंध-पत्र निष्पादित न कर दिया गया हो ।

14—7[* * * *]

15—किसी भी 2[मादक वस्तु] का ऐसे परिमाण, जिसे 3[राज्य सरकार] [अधिसूचना]⁸ द्वारा या तो सामान्यता सम्पूर्ण 9[उत्तर प्रदेश] के लिये या उसमें समाविष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र के लिये विहित करें, से अधिक परिमाण में अगली अनुवर्ती धारा के उपबन्धों के अधीन जारी किये गये पास के सिवाय आयात, निर्यात या परिवहन नहीं किया जायगा ;

आयात, निर्यात तथा परिवहन के लिये पास आवश्यक है

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 9, 1978 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 ई० द्वारा (एक्सइजेबिल आर्टिकल) के लिये प्रतिस्थापित ।
3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।
4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा धारा (2) तथा (3) से शब्द (बिटिश) निकाला गया ।
5. अब इण्डियन टैरिफ ऐक्ट, 1934 (ऐक्ट 32, 1934) देखिये ।
6. उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 2001 की धारा 2 द्वारा निकाले गये ।
7. उ० प्र० अधिनियम संख्या 6, 1972 ई० की धारा 2 द्वारा निकाला गया ।
8. गजट 1912, भाग एक, पृष्ठ 1203 पर विज्ञप्ति संख्या 681—13—136, दिनांक 22 नवम्बर, 1912 देखिये ।
9. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 ई० द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित ।

[The United Provinces Excise Act, 1910]

Provided that, in the case of duty-paid foreign liquor other than denatured spirit such passes shall be dispensed with unless the ¹[State Government] shall by notification otherwise direct to any local area ;

Provided also, unless the ¹[State Government] shall otherwise direct, that no pass shall be required for the transport of any ²[intoxicant] exported under a pass issued by an officer duly authorized in this behalf from any place beyond the limits of ³[Uttar Pradesh] to any other place beyond the said limits.

Grant of passes for import, export and transport

16. Passes for the import, export or transport of ²[intoxicants] may be granted by the Collector.

Such passes may be either general for the definite periods and kinds of ²[intoxicant] or special for specified occasions and particular consignments only.

CHAPTER — IV

MANUFACTURE, POSSESSION AND SALE

Manufacture of intoxicants prohibited except under the provision of this Act

17. (1) (a) No ²[intoxicant] shall be manufactured ;
(b) no hemp plant (*cannabis sativa*) shall be cultivated ;
(c) no portion of the hemp plant (*cannabis sativa*) from which any intoxicating drug can be manufactured shall be collected ;
(d) no liquor shall be bottled for sale ; and
(e) no person shall use, keep or have in his possession any materials, still, utensil, implement or apparatus whatsoever for the purpose of manufacturing any ²[intoxicant] other than *tari*.

Except under the authority and subject to the terms and conditions of a license granted in that behalf by the Collector.

(2) No distillery ⁴[brewery or manufactory] shall be constructed or worked except under the authority and subject to the terms and conditions of a license granted in that behalf by the Excise Commissioner under section 18.

Establishment or licensing of distilleries and warehouses

18. The Excise Commissioner may —
(a) establish a distillery in which spirit may be manufactured under a license granted under section 17 on such conditions as the ¹[State Government] deems fit to impose ;
(b) discontinue any distillery so established ;
(c) license, on such conditions as the ³[State Government] deems fit to impose the construction and working of a distillery ⁵[brewery or manufactory.]
(d) establish or license a warehouse wherein any ²[intoxicant] may be deposited and kept without payment of duty ; and
(e) discontinue any warehouse so established.

1. Subs. by the A. O. 1950 for (Provl. Govt.).
2. Subs. for (excisable article) by the A. O. 1937.
3. Subs. by the A. O. 1950 for the (United Provinces).
4. Subs. by sec. 3 of U. P. Act 16 of 1997.
5. Subs. by sec. 4 of U. P. Act 16 of 1997.

प्रतिबन्ध यह है कि विकृत स्प्रिट से भिन्न दत्त-शुल्क विदेशी शराब की दशा में, ऐसे पासों से अभिमुक्ति दे दी जायगी, जब तक कि 1[राज्य सरकार] अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में अन्यथा निर्देश न दे ;

प्रतिबन्ध यह भी है कि जब तक 1[राज्य सरकार] अन्यथा निर्देश न दे, किसी ऐसी 2[मादक वस्तु] के परिवहन के लिये पास अपेक्षित न होगा जो तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये पास के अधीन 3[उत्तर प्रदेश] की परिसीमाओं के बाहर किसी स्थान से उक्त परिसीमाओं के बाहर किसी अन्य स्थान को निर्यात किया गया हो।

16-2[मादक वस्तु] के आयात, निर्यात या परिवहन के लिये पास कलेक्टर द्वारा दिये जा सकते हैं।

ऐसे पास निश्चित अवधियों के लिये ओर निश्चित प्रकार की 2[मादक वस्तु] के लिये या तो सामान्य प्रकार के हो सकते हैं या केवल निर्दिष्ट अवसरों तथा विशिष्ट परेषणों के लिये विशेष प्रकार के हो सकते हैं।

आयात, निर्यात तथा परिवहन के लिये पासों का दिया जाना

अध्याय — 4

निर्माण, कब्जा तथा विक्रय

17-(1) सिवाय कलेक्टर द्वारा तदर्थ दिये गये लाइसेन्स के प्राधिकार और उसके निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए —

(क) कोई भी 2[मादक वस्तु] निर्मित न की जायेगी ;

(ख) भांग के पौधे [कैनेविस सैटाइवा] की खेती न की जायेगी ;

(ग) भांग के पौधे [कैनेविस सैटाइवा] के किसी भी ऐसे भाग का, जिससे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता हो, संग्रह न किया जायेगा ;

(घ) विक्रय के लिये किसी भी शराब को बोतल में बन्द न किया जायेगा ; और

(ङ) कोई भी व्यक्ति ताड़ी से भिन्न किसी 2[मादक वस्तु] के निर्माण के लिये किसी प्रकार के सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरण का न तो प्रयोग करेगा, न अपने पास या न कब्जे में रखेगा।

(2) सिवाय धारा 18 के अधीन आबकारी आयुक्त द्वारा तदर्थ दिये गये लाइसेंस के प्राधिकार और उसके निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुये कोई भी आसवनी 4[यवासवनी अथवा विनिर्माणशाला] न तो निर्मित की जायेगी या न चलाई जायेगी।

18-आबकारी आयुक्त —

(क) ऐसी आसवनी स्थापित कर सकता है जिसमें धारा 17 के अन्तर्गत दिये गये लाइसेन्स के अधीन स्प्रिट का निर्माण ऐसी शर्तों पर किया जा सकता है जिन्हें 1[राज्य सरकार] आरोपित करना उचित समझे ;

(ख) इस प्रकार स्थापित किसी आसवनी को बन्द कर सकता है ;

(ग) किसी आसवनी 5[यवासवनी अथवा विनिर्माणशाला] के निर्माण के लिये तथा उसे चलाने के लिये लाइसेन्स ऐसी शर्तों पर जिन्हें 1[राज्य सरकार] आरोपित करना उचित समझे, दे सकता है ;

(घ) ऐसा भाण्डागार स्थापित कर सकता है या उसके लिये लाइसेन्स दे सकता है जिसमें कोई 2[मादक वस्तु] उत्पाद-शुल्क का भुगतान किये बिना जमा की जा सकती हो और रखी जा सकती हो ; और

(ङ) इस प्रकार स्थापित किसी भाण्डागार को बन्द कर सकता है।

इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन निर्माण करने के सिवाय मादक वस्तुओं के निर्माण का निषेध

आसवनियों तथा भाण्डागारों की स्थापना या उनके लिये लाइसेन्स दिया जाना

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित।
2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 ई० द्वारा (एक्साइजेबिल आर्टिकल) के लिये प्रतिस्थापित।
3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 ई० द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित।
4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1997 ई० की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1997 ई० की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

Removal of intoxicants from distillery, etc.

19. No ¹[intoxicant] shall be removed from any distillery ²[brewery, manufactory] warehouse or other place of storage established under this Act unless the duty (if any) ³[payable under Chapter V] has been paid or a bond has been executed for the payment thereof.

Possession of intoxicants in excess of the quantity prescribed by State Government prohibited except under permit

20. (1) No person not being licensed to manufacture, cultivate, collect or sell any ¹[intoxicant] shall have in his possession any quantity of any ¹[intoxicant] in excess of such quantity as the ⁴[State Government] has under section 6 declared to be the limit of sale by retail except under a permit granted by the Collector in that behalf.

(2) ⁵[X X X X]

(3) A licensed vendor shall not have in his possession, at any place other than that authorized by his license, any quantity of any [intoxicant] in excess of such quantity as the [State Government]³ has under section 6 declared to be the limit of sale by retail, except under a permit granted by the Collector in that behalf.

(4) ⁶[* * *]

20-A. ⁷[* * *]

20-B. ⁷[* * *]

Sale of intoxicants without license prohibited

21. No ¹[intoxicant] shall be sold without a license from the Collector : provided that —

(1) a person licensed under section 17 to cultivate or collect hemp plant (*cannabis sativa*) may sell without a license those portions of the plant from which any intoxicating drug can be manufactured to any person licensed under this Act to deal in the same or to any officer whom the Excise Commissioner may prescribe ;

(2) a license for sale in more than one district of ⁸[Uttar Pradesh] shall be granted only by the Excise Commissioner ;

(3) ⁹[* * *]

Prohibition of sale to persons under the age of "twenty-one years"

22. No licensed vendor and no person in the employment of such vendor and acting on his behalf shall sell or deliver any ¹⁰[liquor] or intoxicating drug to any person apparently under the age of ¹¹[twenty-one years] whether for consumption by such person or by any other person and whether for consumption on or off the premises of such vendor.

Prohibition of employment of persons under the age of 9 ¹¹[twenty-one years] and of women

23. (1) No person who is licensed to sell ¹⁰[liquor] for consumption on his premises shall during the hours in which such premises are kept open for business, employ or permit to be employed, either with or without remuneration, any ¹²[person] under the age of ¹³[twenty-one years], in any part of such premises in which such liquor or spirit is consumed by the public.

-
1. Subs. for (excisable article) by the A.O. 1937.
 2. Subs. by sec. 5 of U. P. Act 16 of 1997.
 3. Subs. for (imposed under s. 28) by *ibid.*
 4. Subs. by the A. O. 1950 for (Provl. Govt.).
 5. Omit. by sec. 4 of U. P. Act 9 of 1978. (also by sec. 3 of U.P. Act No. 30 of 1978)
 6. Omit. by sec. 3 of U. P. Act no. 6 of 1972.
 7. Omit. by sec. 4 of U. P. Act no. 6 of 1972.
 8. Subs. by the A. O. 1950 for the (United Provinces).
 9. Omit. by sec. 2 of U. P. Act no. 30 of 1972.
 10. Subs. for (spirit) by s. 6 of U. P. Act II of 1923.
 11. Subs. by sec. 5 of U. P. Act 9 of 1978.
 12. Subs. for (child) by s. 7 (1) *ibid.*
 13. Subs. by sec. 6 of U. P. Act 9 of 1978.

19-कोई ¹[मादक वस्तु] इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी आसवनी, ²[यवासवनी, विनिर्माणशाला] भाण्डागार या संग्रह करने के किसी अन्य स्थान से तब तक न हटायी जायगी जब तक कि ³[अध्याय 5 के अधीन देय] उत्पाद-शुल्क (यदि कोई हो) का भुगतान न कर दिया गया हो या उसके भुगतान के लिये बन्ध-पत्र निष्पादित न कर दिया गया हो।

आसवनी आदि से मादक वस्तुओं का हटाया जाना

20-(1) कोई भी व्यक्ति जो किसी ¹[मादक वस्तु] का निर्माण, खेती, संग्रह, या विक्रय करने के लिये लाइसेन्स प्राप्त न हो, अपने कब्जे में कोई ¹[मादक वस्तु] किसी ऐसे परिमाण से जिसे ⁴[राज्य सरकार] ने धारा 6 के अधीन फुटकर बिक्री की सीमा घोषित की हो, कलेक्टर द्वारा तदर्थ दिये गये परमिट के सिवाय, अधिक परिमाण में नहीं रखेगा।

राज्य सरकार द्वारा विहित परिणाम से अधिक परिणाम में मादक वस्तुओं को सिवाय परमिट के कब्जे से रखने का निषेध

(2) ⁵[X X X X]

(3) कोई लाइसेन्स प्राप्त, विक्रेता अपने लाइसेंस द्वारा प्राधिकृत, स्थान से भिन्न स्थान में अपने कब्जे में कोई ¹[मादक वस्तु] ऐसे परिमाण से, जिसे ⁴[राज्य सरकार] ने धारा 6 के अधीन फुटकर बिक्री की सीमा घोषित की हो, कलेक्टर द्वारा तदर्थ दिये गये परमिट के सिवाय, अधिक परिमाण में न रखेगा।

(4) ⁶[* * * *]

20-(ए) ⁷[* * * *]

20-(बी) ⁷[* * * *]

21-कलेक्टर से लाइसेंस प्राप्त किये बिना किसी का विक्रय नहीं किया जायगा ; प्रतिबन्ध यह है कि —

लाइसेन्स प्राप्त किये बिना मादक वस्तुओं के विक्रय का निषेध

(1) कोई व्यक्ति जिसे धारा 17 के अधीन भाग के पौधे [कैनेबिस सैटाइवा] की खेती करने या उसका संग्रहण करने का लाइसेंस प्राप्त हो, इस पौधे के उन भागों का जिनसे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता हो, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस अधिनियम के अधीन उसका व्यापार करने का लाइसेंस प्राप्त हो या किसी ऐसे अधिकारी को जिसे आबकारी आयुक्त विहित करें, लाइसेंस के बिना विक्रय कर सकता है।

(2) ⁸[उत्तर प्रदेश] के एक से अधिक जिलों में विक्रय करने का लाइसेंस केवल आबकारी आयुक्त द्वारा ही दिया जायगा ;

(3) ⁹[* * * *]

22-कोई लाइसेंस प्राप्त विक्रेता और कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे विक्रेता के सेवायोजन में हो और उसकी ओर से कार्य करता हो किसी ¹⁰[शराब] या मादक भेषज को किसी ऐसे व्यक्ति को जो प्रत्यक्षतः ¹¹[इक्कीस वर्ष] से कम आयु का हो, चाहे उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग किये जाने के लिये और चाहे विक्रेता के भू-गृहादि पर या उसके बाहर उपभोग के लिये, न तो बेचेगा या न उसे देगा।

"इक्कीस वर्ष"¹¹ से कम आयु के व्यक्तियों को विक्रय किये जाने का निषेध

23-(1) कोई व्यक्ति जो अपने भू-गृहादि पर उपभोग के निमित्त ¹⁰[शराब] बेचने के लिये लाइसेंस प्राप्त हो, उन घंटों के दौरान जिनमें ऐसे भू-गृहादि व्यवसाय के लिये खुले रखे जाते हों, ऐसे भू-गृहादि के किसी ऐसे भाग में जिसमें जनसाधारण द्वारा ऐसी शराब या स्प्रिट का उपभोग किया जाता हो, ¹²[इक्कीस वर्ष] से कम आयु के किसी ¹³[व्यक्ति] को या तो पारिश्रमिक सहित अथवा पारिश्रमिक के बिना न तो सेवायोजित करेगा या न सेवायोजित करने की अनुज्ञा देगा।

"इक्कीस वर्ष"¹² से कम आयु के व्यक्तियों को तथा महिलाओं को सेवा योजित करने का निषेध

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 ई० द्वारा (एक्साइजेबिल आर्टिकल) के लिये प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1997 ई० की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त द्वारा (इम्पोज्ड अन्डर सेक्शन 28) के लिये प्रतिस्थापित।
4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित।
5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 1978 ई० की धारा 4 द्वारा निकाला गया।
6. उ० प्र० अधिनियम संख्या 6, 1972 ई० की धारा 3 द्वारा निकाला गया।
7. उ० प्र० अधिनियम संख्या 06, 1972 की धारा 4 द्वारा निकाला गया।
8. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 ई० द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिये प्रतिस्थापित।
9. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1972 की धारा 2 द्वारा निकाली गई।
10. सं० प्रा० अधिनियम संख्या 2, 1923 की धारा 6 द्वारा (स्प्रिट्स) के लिये प्रतिस्थापित।
11. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1978 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
12. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1978 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
13. उपर्युक्त की धारा 7 (1) द्वारा (चाइल्ड) के लिये प्रतिस्थापित।

[The United Provinces Excise Act, 1910]

(2) No person who is licensed to sell foreign liquor for consumption on his premises shall, without the previous permission in writing of the ¹[Excise Commissioner] during the hours in which such premises are kept open for business, employ or permit to be employed either with or without remuneration, any woman in any part of such premises in which liquor is consumed by the public.

(3) Every permission granted under sub-section (2) shall be endorsed on the license, and may be modified or withdrawn.

Grants of exclusive privilege of manufacture, etc.

24. Subject to the provisions of section 31, the Excise Commissioner may grant to any person a license for the exclusive privilege —

(1) of manufacturing or of supplying by wholesale, or of both, or

(2) of selling by wholesale or by retail, or

(3) of manufacturing or of supplying by wholesale, or of both, and of selling by retail, any country liquor or intoxicating drug within any local area.

[Grant of exclusive or other privilege in respect of foreign liquor.]

²**24-A.** (1) Subject to the provisions of section 31, the Excise Commissioner may grant to any person a license or licenses for the exclusive or other privilege, —

(a) of manufacturing or of supply by wholesale, or of both ; or

(b) of manufacturing or of supplying by wholesale, or of both and selling by retail ; or

(c) of selling by wholesale (to wholesale or retail vendors) ; or

³[(d) of selling by retail at shops (for consumption 'on' or 'off' the premises or for consumption 'on' and 'off' the premises) any foreign liquor in any locality.]

(2) The grant of license or licenses under clause (d) of sub-section (1) in relation to any locality shall be without prejudice to the grant of licenses for the retail sale of foreign liquor in the same locality in hotels and restaurants for consumption in their premises.

(3) Where more licenses than one are proposed to be granted under clause (d) of sub-section (1) in relation to any locality for the same period, advance intimation of the proposal shall be given to the prospective applicants for every such license.

(4) The provisions of section 25, and proviso to section 39 shall apply in relation to grant of a license for an exclusive or other privilege under this section as they apply in respect of the grant of a license for an exclusive privilege under section 24.

⁴**24-AA.** Notwithstanding any judgment, decree or order of any court to the contrary, anything done or purporting to have been done, and any action taken or purporting to have been taken under any provision of this Act, before the date of publication of the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 2018 shall be valid and be deemed always to have been valid as if the provision of this Act as amended by the said Act were in force at all material times.]

Removal of doubts

²**24-B.** For the removal of doubts, it is hereby declared —

(a) that the State Government has an exclusive right or privilege of manufacture and sale of country liquor and foreign liquor ;

(b) that the amount described as license fee in clause (c) of section 41 is in its essence the rental or consideration for the grant of such right or privilege by the State Government ;

1. *Subs.* for (Chief Revenue Authority) by s. 7 (2) of U. P. Act II of 1923.

2. *Ins.* by sec. 2 of U. P. Act no. 5 of 1976 (by amending sec. 3 of U.P. Act No. 30 of 1972)

3. *Subs.* by sec. 2 of U. P. Act 22 of 2018.

4. *Ins.* by sec 3 of U. P. Act no. 22 of 2018.

(2) कोई व्यक्ति जो अपने भू-गृहादि पर उपभोग के निमित्त विदेशी शराब बेचने के लिये लाइसेंस प्राप्त हो, उन घंटों के दौरान जिनमें ऐसे भू-गृहादि व्यवसाय के लिये खुले रखे जाते हैं 1[आबकारी आयुक्त] की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे भू-गृहादि के किसी ऐसे भाग में जिसमें जनसाधारण द्वारा शराब का उपभोग किया जाता हो किसी महिला को या तो पारिश्रमिक सहित अथवा पारिश्रमिक के बिना न तो सेवायोजित करेगा या न सेवायोजित करने की अनुज्ञा देगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन दी गयी प्रत्येक अनुज्ञा लाइसेंस पर पृष्ठांकित की जायगी और उसे परिष्कृत किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है ।

24—धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए आबकारी आयुक्त किसी भी व्यक्ति को किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी देशी शराब या मादकभेषज का —

(1) निर्माण करने या थोक सम्भरण करने या दोनों ही के लिये, या

(2) थोक या फुटकर विक्रय के लिये, या

(3) निर्माण करने या थोक सम्भरण करने या दोनों ही के लिये और फुटकर बिक्री के लिए

एकान्तिक विशेषाधिकार का लाइसेंस दे सकता है ।

2[24—क— (1) धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आबकारी आयुक्त किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में किसी विदेशी शराब का —

(क) निर्माण करने या थोक सम्भरण करने, या दोनों ही के लिये, या

(ख) निर्माण करने या थोक सम्भरण करने, या दोनों ही के लिये और फुटकर बिक्री के लिये, या

(ग) थोक या फुटकर विक्रेताओं की थोक विक्रेता द्वारा बिक्री के लिये, या

3[(घ) दुकानों पर फुटकर बिक्री के लिये (भू-गृहादि के "अन्दर" या "बाहर" उपभोग के लिये अथवा भू-गृहादि के "बाहर" उपभोग के लिये) एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस अथवा लाइसेंसों को स्वीकृत कर सकता है ।]

(2) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन कोई लाइसेंस या लाइसेंस के स्वीकृत किये जाने से उसी क्षेत्र में होटलों और रेस्ट्रॉ में उनके ही भू-गृहादि में उपभोग के निमित्त विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस के स्वीकृत किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(3) जहाँ उसी अवधि के लिये किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन एक से अधिक लाइसेंस स्वीकृत करने का प्रस्ताव हो वहाँ प्रत्येक ऐसे लाइसेंस के लिये भावी प्रार्थियों को प्रस्ताव की अग्रिम सूचना दी जायगी ।

(4) इस धारा के अधीन एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में धारा 25 और धारा 39 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 24 के अधीन एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये कोई लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

4[24—कक— उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रकाशन के दिनांक के पूर्व किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रतिकूल होते हुये भी इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन की गई या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई बात तथा की गई अथवा किये जाने हेतु तात्पर्यित कोई कार्यवाही विधिमान्य होगी और उसे सदैव विधिमान्य रही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम का उपबन्ध, जैसा कि उक्त अधिनियम द्वारा संशोधित है, सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।]

2[24—ख— शंकाओं के निवारण के लिये एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि —

(क) राज्य सरकार को देशी शराब और विदेशी शराब के निर्माण और विक्रय का एकान्तिक अधिकार या विशेषाधिकार है ;

(ख) धारा 41 के खण्ड (ग) में लाइसेंस फीस के रूप में वर्णित धनराशि, राज्य सरकार द्वारा ऐसा अधिकार या विशेषाधिकार स्वीकृत किये जाने के लिये वास्तव में किराया या प्रतिफल है ;

निर्माण, आदि के एकान्तिक विशेषाधिकार का दिया जाना

विदेशी शराब के सम्बन्ध में बिक्री करने का एकान्तिक विशेषाधिकार का दिया जाना

शंकाओं का निवारण

1. संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2, 1923 की धारा 7 (2) द्वारा (चीफ रेवेन्यू अथारिटी) लिये प्रतिस्थापित ।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1976 ई० की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया । (धारा 3, उ० प्र० अधिनियम संख्या 30, 1972 को संशोधित करके)।
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 22, 2018 ई० की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 22, 2018 ई० की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।

(c) that the Excise Commissioner as the head of the Excise Department of the State shall be deemed, while determining or realizing such fee, to act for and on behalf of the State Government.]¹

Manufacture and sale of liquor in military cantonments

25. Within the limits of any military cantonment, and within such distance from those limits as the ²[Central Government] in any case may prescribe, no licenses for the manufacture or sale of liquor or for an exclusive privilege in respect of liquor under section 24 shall be granted unless with the consent of the Commanding Officer.

Grantee of exclusive privilege may let or assign

26. Subject to the conditions of his license the grantee of any exclusive privilege may let or assign the whole, or any portion of his privilege; but no lease or assignee of such privilege or portion of a privilege shall exercise any rights as such unless and until a license has been granted to him by the Excise Commissioner on application made by the grantee.

Recovery by grantee of exclusive privilege of sums due to him

27. Any grantee, lessee or assignee as aforesaid may recover from any person holding under him any money due to him in his capacity of grantee, lessee or assignee as if it were an arrear of rent recoverable under the law for the time being in force with regard to landholder and tenant :

Provided that nothing contained in this section shall affect the right of any such grantee, lessee or assignee to recover by civil suit any such amount due to him from any such person as aforesaid.

CHAPTER — V

DUTIES AND FEES

Duty on excisable articles

28. ³(1) ⁴[An excise duty or a countervailing duty, as the case may be] at such rate or rates as the ⁵[State Government] shall direct⁶, may be imposed, either generally or for any specified local area, on any excisable article —

(a) imported in accordance with the provisions of section 12 (1);
or

(b) exported in accordance with the provisions of section 13 ; or

(c) transported ; or

(d) manufactured, cultivated or collected under any license granted under section 17 ; or

(e) manufactured in any distillery established or any distillery or brewery licensed, under section 18 ;

Provided as follows —

1. *Ins.* by *sec.* 2 of U. P. Act no. 5 of 1976 (by amending *sec.* 3 of U.P. Act No. 30 of 1972)

2. *Subs.* for (L.G.) by A.O. 1937.

3. Sub-sec. (1) renumbered by *sec.* 2 of U.P. Act No. 7 of 1970

4. *Subs.* for (A duty) by the A.O. 1937.

5. *Subs.* by the A. O. 1950 for (Provl. Govt.) which had been *subs.* by the A. O. 1937 for (L. G.).

6. For direction under this section, consult SOR.

(ग) राज्य के आबकारी विभाग के अध्यक्ष के रूप में आबकारी आयुक्त को ऐसी फीस अवधारित या वसूल करते समय, राज्य सरकार की ओर से और के लिये कार्य करने वाला समझा जायगा ;]¹

25-किसी सैनिक कैंटोन्मेन्ट की परिसीमाओं के भीतर और उन परिसीमाओं से ऐसी दूरी के भीतर जिसे 2[केंद्रीय सरकार] किसी मामले में विहित करें, शराब के निर्माण या विक्रय के लिये या धारा 24 के अधीन शराब के संबंध में एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये कोई लाइसेंस तब तक न दिये जायेंगे जब तक कि समादेशाधिकारी, सहमति न दे दे।

सैनिक कैंटोन्मेंट्स में शराब निर्माण तथा विक्रय

26-अपनी लाइसेंस की शर्तों के अधीन रहते हुए किसी एकान्तिक विशेषाधिकार का गृहीता अपना सम्पूर्ण विशेषाधिकार या उसका कोई भाग पट्टे पर दे सकता है या अभ्यर्पित कर सकता है ; किन्तु ऐसे विशेषाधिकार या उसके किसी भाग का कोई पट्टेदार या अभ्यर्पित किन्हीं अधिकारों का इस प्रकार प्रयोग न करेगा जब तक कि गृहीता द्वारा आवेदन-पत्र दिये जाने पर आबकारी आयुक्त ने उसे कोई ऐसा लाइसेंस न दे दिया हो ।

एकान्तिक विशेषाधिकार का गृहीता पट्टे पर उठा सकता है या अभ्यर्पित कर सकता है

27-यथापूर्वाक्त कोई गृहीता पट्टेदार या अभ्यर्पिणी अपने अधीन किसी व्यक्ति से गृहीता, पट्टेदार या अभ्यर्पित के रूप में उसको देय कोई धनराशि इस प्रकार वसूल कर सकता है मानो वह क्षेत्रपति और काश्तकार के संबंध में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन वसूल होने योग्य बकाया लगान हो ;

एकान्तिक विशेषाधिकार के गृहीता द्वारा उसको देय धनराशियों की वसूली

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा में दी गई किसी बात से किसी ऐसी गृहीता, पट्टेदार या अभ्यर्पिणी के, यथापूर्वाक्त किसी ऐसे व्यक्ति से उसे देय कोई ऐसी धनराशि सिविल वाद के जरिये वसूल करने के अधिकार पर प्रभाव न पड़ेगा ।

अध्याय-5

उत्पाद-शुल्क और फीस

28-³(1) ⁴[किसी ऐसे उत्पाद- शुल्कारोप्य पदार्थ पर, यथास्थिति उत्पाद-शुल्क या प्रति-शुल्क] ऐसी दर या दरों पर जैसा कि ⁵[राज्य सरकार] निर्देश⁶ दे, या तो सामान्यतया या किसी निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के लिये आरोपित किया जा सकता है —

उत्पाद- शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क

(क) जो धारा 12 (1) के उपबन्धों के अनुसार आयात किया गया हो ; या

(ख) जो धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार निर्यात किया गया हो ; या

(ग) जिसका परिवहन किया गया हो ; या

(घ) जो धारा 17 के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस के अर्न्तगत निमित्त किया गया हो, जिसकी खेती की गयी हो या जिसे संगृहीत किया गया हो ; या

(ङ) जो धारा 18 के अधीन स्थापित किसी आसवनी या लाइसेंस प्राप्त किसी आसवनी या यवासवनी में निमित्त हो ;

निम्नलिखित प्रतिबन्ध यह है कि —

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1976 ई० की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया । (धारा 3, उ०प्र० अधिनियम संख्या 30, 1972 को संशोधित करके)।
2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।
3. उ०प्र० अधिनियम संख्या 7, 1970 की धारा 2 द्वारा उपधारा (1) पुनर्संख्याकित ।
4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (ए ड्यूटी) के लिये प्रतिस्थापित ।
5. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविशियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।
6. निर्देशों के लिए उद्देश्य और कारणों का विवरण देखें ।

[The United Provinces Excise Act, 1910]

(i) duty shall not be so imposed on any article which has been imported into ¹[* * *] India and was liable on such importation to duty under the Indian Tariff Act, 1894², or the Sea Customs Act, 1887.

(ii) ³[* * * *]

Explanation — Duty may be imposed under this section at different rates according to the places to which any excisable article is to be removed for consumption, or according to the varying strength and quality of such article.

⁴(2) The State Government shall in imposing an excise duty or a countervailing duty as aforesaid and in fixing its rate, be guided by the detective principles specified in Article 47 of the Constitution of India.]

(3) ⁵[X X X X]

(4) ⁵[X X X X]

⁶[Imposition of additional duty in certain cases]

⁶**28-A.** (1) Where the quantity of spirit or beer in stock in a brewery is found, in examination by such officer if the Excise Department as may be authorized by the Excise Commissioner in this behalf to exceed the quantity in hand as shown in the stock account, the brewery shall be liable to pay duty on such excess at the ordinary rates fixed under section 28.

(2) Where the quantity of spirit or beer is found less than that shown in the stock account on such examination and deficiency exceeds ten per cent, (allowance to that extent being made to cover losses due to evaporation, sullage and other contingencies within the brewery, and also to cover loss in bottling and storage) the Excise Commissioner shall levy an additional duty at the rate of one hundred per cent of ordinary rates of duty in respect of such deficit as exceeds ten per cent over and above the ordinary rates of duty.]

Manner in which duty may be levied

29. Subject to such rules as the ⁷[Excise Commissioner] may prescribe to regulate the time, place and manner of payment, such duty may be levied in one or more of the following ways as the ⁸[State Government] may by notification⁹ direct :

-
1. The word (British) *omit*, by the A. O. 1950.
 2. *See* now the Indian Tariff Act, 1934 (Act XXXII of 1934).
 3. The proviso (ii) *omit* by A. O. 1937.
 4. Sec. 28 renumbered as sub-sec (1) thereof and after sub-sec. (1) as so renumbered, sub-section (2) and (3) insert. By s. 2 of U. P. Act 7 of 1970.
 5. *Omit.* by sec. 3 of U. P. Act no. 4 of 2018. (deemed to have been *omitted* from April 1, 2016)
 6. *Ins.* by sec. 7 of U. P. Act no. 9 of 1978.
 7. *Subs.* for [Chief Revenue Authority] by s. 8 of U. P. Act II of 1923.
 8. *Subs.* by the A. O. 1950 for (Provl. Govt.) which had been *subs.* by the A. O. 1937 for (L. G.).
 9. For notification under this s. consult SOR.

(1) उत्पाद-शुल्क किसी ऐसे पदार्थ पर इस प्रकार आरोपित नहीं किया जायगा जो 1[* * *] भारत में आयात किया गया हो और इस प्रकार आयातित होने पर इंडियन टैरिफ ऐक्ट, 1894 अथवा सी कस्टम्स ऐक्ट, 1878 के अधीन उत्पाद-शुल्क का भागी हो।

(2) 3[* * * *]

स्पष्टीकरण — इस धारा के अधीन उत्पाद-शुल्क विभिन्न दरों से उन स्थानों के अनुसार जहां उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ उपभोग के लिये ले जाया जाने वाला हो, या ऐसे पदार्थ की परिवर्ती सान्द्रता और गुण के अनुसार आरोपित किया जा सकता है।

4 [(2) राज्य सरकार, उपयुक्त उत्पाद-शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) या प्रतिशुल्क (काउन्टर-वेलिंग ड्यूटी) आरोपित करने में और उसकी दर निश्चित करने में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में निर्दिष्ट निदेशक तत्वों का अनुसरण करेगी।]

(3) 5[X X X X]

(4) 5[X X X X]

¶28-क— (1) जहां किसी यवासनी में, आबकारी विभाग के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे आबकारी आयुक्त इस निमित्त प्राधिकृत करे परीक्षण करने पर स्टॉक में स्पिट या बियर का परिणाम स्टॉक लेखे में प्रदर्शित परिणाम से अधिक पाया जायें, वहां यवासव ऐसे अधिक परिणाम पर धारा 28 के अधीन निर्धारित सामान्य दर पर उत्पाद शुल्क का देनदार होगा।

(2) जहां ऐसे परीक्षण पर स्पिट या बियर का परिणाम स्टॉक लेखे में प्रदर्शित परिणाम से कम पाया जाये और वह कमी, यवासवनी में वाष्पन संलेज और अन्य प्रासंगिकता के कारण हुई हानि को पूरा करने के लिये और बोटल में भरने और भंडार में रखने से हुई हानि को पूरा करने के लिये भी दी गयी दस प्रतिशत की छूट सीमा से अधिक हो जाये, वहां आबकारी आयुक्त दस प्रतिशत से अधिक की ऐसी कमी के संबंध में उत्पाद शुल्क की साधारण दर के एक सौ प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण उत्पाद शुल्क की साधारण दर के अतिरिक्त करेगा।]

29— ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जिन्हें 7[आबकारी आयुक्त] भुगतान का समय, स्थान और रीति विनियमित करने के लिये विहित करे, ऐसा उत्पाद-शुल्क निम्नलिखित एक या एकाधिक प्रकार से लगाया जा सकता है जैसा कि 8[राज्य सरकार] 9अधिसूचना द्वारा निर्देश दे—

वह रीति जिसके अनुसार उत्पाद-शुल्क लगाया जायेगा

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा शब्द (ब्रिटिश) निकाला गया।
2. अब इंडियन टैरिफ ऐक्ट, 1934 (ऐक्ट संख्या 32, 1934) देखिये।
3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड निकाला गया।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1970 की धारा 2 द्वारा धारा 28 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्याकित किया गया तथा इस प्रकार पुनःसंख्याकित उप-धारा (1) के पश्चात् उपधारायें (2) तथा (8) अन्तर्विष्ट की गईं।
5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, 2018 ई० की धारा 3 द्वारा निकाला गया। (1 अप्रैल, 2016 से निकाली समझी जायेगी)
6. उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 1978 ई० की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।
7. सं० प्रा० अधिनियम संख्या 2, 1923 की धारा 8 द्वारा (चीफ रेवेन्यू अथारिटी) के लिये प्रतिस्थापित।
8. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।
9. इस धारा के अर्न्तगत अधिसूचना के लिए उद्देश्य व कारण देखिए।

(a) in the case of excisable articles imported under section 12 (1) —

(i) by payment either in the province of import or in the province or territory of export ; or

(ii) by payment upon issue for sale from a warehouse established or licensed under section 18 (d) ;

(b) in the case of excisable articles exported under section 13— by payment either in the province of export or in the province or territory of import ;

(c) in the case of excisable article transported —

(i) by payment in the district from which the excisable article is to be transported ; or

(ii) by payment upon issue for sale from a warehouse established or licensed under section 18 (d) ;

(d) in the case of intoxicating drugs manufactured under any license granted under section 17 (1) —

(i) by a rate charged upon the quantity manufactured under a license granted under the provisions of section 17 (1) (a), or issued from a warehouse established or licensed under section 18 (d) ;

(ii) where the intoxicating drug is manufactured from hemp plant (*cannabis sativa*) cultivated or connected under a license granted under the provisions of section 17 (1) (b) and (c), by an acreage rate levied on the cultivation, or by a rate charged upon the amount collected ;

(e) in the case of spirit or beer manufactured in any distillery established or any distillery ¹[brewery or manufactory] licensed under section 18 —

(i) by a rate charged upon the quantity produced or issued from the distillery, ²[brewery or manufactory] as the case may be, or issued from a warehouse established or licensed under section 18 (d) ;

(ii) by a rate charged in accordance with such scale of equivalents, calculated on the quantity of materials used or by the degree of attenuation of the wash or worth, as the case may be, as the ³[State Government] may prescribe :

Provided that, where payment is made upon issue of an excisable article for sale from a warehouse established or licensed under section 18 (d), it shall be at the rate of duty which is in force on that article on the date when it is issued from the warehouse.

1. *Ins.* by sec 6 of U. P. Act no. 16 of 1997.

2. *Ins.* by sec. 6 of *ibid.*

3. *Subs.* by the A. O. 1950 for (Provl. Govt.) which had been *subs.* by the A. O. 1937 for (L. G.).

(क) धारा 12 (1) के अधीन आयात किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों की दशा में :

(1) या तो आयात के प्रान्त में या निर्यात के प्रान्त या राज्य-क्षेत्र में भुगतान करके; या

(2) धारा 18 (घ) के अधीन स्थापित या लाइसेंस प्राप्त भांडागार से विक्रय के लिये जारी किये जाने पर भुगतान करके ;

(ख) धारा 13 के अधीन निर्यात किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों की दशा में— या तो निर्यात के प्रान्त में या आयात के प्रान्त या राज्य-क्षेत्र में भुगतान करके ;

(ग) परिवहन किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों की दशा में —

(1) उस जिले में भुगतान करके जहां से उत्पाद शुल्कारोप्य पदार्थ का परिवहन किया जाने वाला हो ; या

(2) धारा 18 (घ) के अधीन स्थापित या लाइसेंस प्राप्त भाण्डागार से विक्रय के लिये जारी किये जाने पर भुगतान कर के ;

(घ) धारा 17 (1) के अधीन दिये गये किसी लाइसेन्स के अन्तर्गत निर्मित मादक भेषजों की दशा में —

(1) धारा 17 (1) (क) के उपबन्धों के अधीन दिये गये लाइसेन्स के अन्तर्गत निर्मित या धारा 18 (घ) के अधीन स्थापित या लाइसेन्स प्राप्त भाण्डागार से जारी किये गये परिणाम पर उप-शुल्क भारित करके ;

(2) जहां कोई मादक भेषज धारा 17 (1) (ख) और (ग) के उपबन्धों के अधीन दिये गये लाइसेन्स के अन्तर्गत खेती किये गये या संगृहीत भांग (कैनेबिस सैटाइवा) से निर्मित हो तो खेती के प्रति एकड़ पर उप-शुल्क लगा कर या संगृहीत मात्रा पर उप-शुल्क भारित करके ;

(ङ) धारा 18 के अधीन स्थापित किसी आसवनी में या लाइसेन्स प्राप्त किसी आसवनी 1[यवासवनी या विनिर्माणशाला] में निर्मित स्पिरिट या बियर की दशा में —

(1) यथास्थिति, आसवनी, 2[यवासवनी या विनिर्माणशाला] में उत्पादित या उससे जारी किये गये परिमाण पर या धारा 18 (घ) के अधीन स्थापित या लाइसेन्स प्राप्त भाण्डागार से जारी किये गये परिमाण पर उप-शुल्क भारित करके ;

(2) यथास्थिति, प्रयुक्त समानों के परिमाण अथवा धोवन या वर्ट के क्षीणन की मात्रा पर आकलित तुल्यांक के ऐसे मापक्रम के अनुसार जिसे 3[राज्य सरकार] विहित करे, उपशुल्क भारित करके ;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भुगतान धारा 18 (घ) के अधीन स्थापित या लाइसेन्स प्राप्त भाण्डागार से विक्रय के लिये किसी उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ के जारी होने पर किया जाय, तो वह उत्पादशुल्क की उस दर से होगा जो उस पदार्थ पर उस दिनांक को प्रवृत्त हो जब कि वह भाण्डागार से जारी किया जाय ।

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1997 ई० की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उपरोक्त की धारा द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविशियल गवर्नगमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था ।

**Payment for
exclusive
privileges**

¹[30. (1) Instead of or in addition to any duty leviable under the Chapter, the State Government or on its behalf the Excise Commissioner may accept payment of a sum in consideration of the grant of licence for any exclusive or other privilege under section 24 or section 24-A.

²[(2) The sum payable under sub-section (1) may either be fixed by auction or inviting tenders or otherwise or be assessed on the basis of the sales made or quota lifted under the license or partly fixed and partly assessed in the aforesaid manner.]

³[(3) For the financial year commencing on April 1, 1983 apart from the sum fixed for grant of licence under section 24-A, the sum assessed, called as assessed fee, on the basis of sales under the license shall be payable, at the rate of rupees five per reputed quart bottle of all kinds of sprit, wine, liquor and Cordial and at the rate of paise sixty per reputed quart bottle of beer, stout and other fermented liquors by the wholesale vendors of foreign liquor.]

⁴[Provided that consideration fee levied from 01 April, 2016 up to the date of commencement of the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 2017 shall be deemed to be Excise Duty under section 28.]

**Saving for
duties being
levied at
commen-
cement of
the
Constitution**

⁵[30-A. (1) Until provision to the contrary is made by the ⁶[Parliament] the ⁷[State Government] may continue to levy any duty to which this section applies which it was lawfully levying immediately before the commencement of ⁶[the Constitution] under this chapter as then in force.

(2) The duties to which this section applies are —

(a) any duty on intoxicants ⁸[or medicinal or toilet preparations containing alcohol] which are not excisable articles within the meaning of this Act ; and

(b) any duty on an excisable article produced outside India and imported into ⁹[Uttar Pradesh] whether across a customs frontier as defined by the Central Government customs frontier as defined by the Central Government or not.

(3) Nothing in this section shall authorize the levy by the ⁷[State Government] of any duty which, as between goods manufactured or

1. Subs. by sec. 2(iii) of U. P. Act no. 5 of 1976.

2. Subs. by sec. 3 of U. P. Act 13 of 1979.

3. Ins. by sec. 2 of U. P. Act no. 7 of 1998.

4. Ins. by sec. 4 of U. P. Act no. 4 of 2018.

5. Add. by the A. O. 1937.

6. Subs. for (Central Legislature and Part III of the Govt. of India Act 1935) by the A. O. 1950.

7. Subs. by the A. O. 1950 for (Provl. Govt.) which had been subs. by the A. O. 1937 for (L. G.).

8. Ins. by the A. O. 1950.

9. Subs. for (the United Provinces) by the A. O. 1950.

1[30-(1) इस अध्याय के अधीन लगाये जाने वाले किसी उत्पाद शुल्क के बजाय या उसके अतिरिक्त, राज्य सरकार या उसकी ओर से आबकारी आयुक्त धारा 24-क के अधीन किसी एकात्मिक या अन्य विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस दिये जाने के प्रतिफलस्वरूप किसी राशि का भुगतान स्वीकार कर सकता है ।

एकात्मिक
विशेषाधिकार के
लिए भुगतान

2[(2) उपधारा (1) के अधीन देय धनराशि या तो नीलाम द्वारा या टेन्डर आमंत्रित करके या अन्य प्रकार से निश्चित की जा सकती है या लाइसेंस के अधीन किये गये विक्रय या उठाये गये कोटा के आधार पर निर्धारित की जा सकती है या उपर्युक्त रीतियों से अंशतः निश्चित और अंशतः निर्धारित की जा सकती है ।]

3[(3) विदेशी शराब के थोक विक्रेताओं द्वारा 1 अप्रैल, 1983 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये धारा 24-क के अधीन दिये गए लाइसेंस के लिए नियत धनराशि के अलावा लाइसेंस के अधीन विक्रय के आधार पर निर्धारित धनराशि जिसे निर्धारित फीस कहा गया है, सभी प्रकार की स्ट्रिट, वाइन, शराब और कार्डियल की प्रति मान्य क्वार्ट बोतल पर पांच रूपयों की दर पर और बियर, स्टाउट और अन्य किण्वित शराब की प्रति मान्य क्वार्ट बोतल पर साठ पैसे की दर पर देय होगी:]

4[प्रतिबन्ध यह है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से, उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 के प्रारम्भ होने के दिनांक तक उदग्रहीत प्रतिफल शुल्क, धारा 28 के अधीन उत्पाद शुल्क समझा जायेगा ।]

5 [30-क-(1) जब तक 6 [संसद] द्वारा कोई प्रतिकूल व्यवस्था न की जाय, 7[राज्य सरकार] कोई ऐसा उत्पाद-शुल्क लगाना जारी रख सकती है जिस पर यह धारा लागू होती हो और जिसे वह 6[संविधान] के आरम्भ होने के ठीक पूर्व तत्समय प्रवृत्त इस अध्याय के अधीन विधिपूर्वक लगा रही थी ।

संविधान के आरम्भ होने के समय लगाये जाने वाले उत्पाद शुल्कों के सम्बन्ध में अपवाद

(2) उत्पाद-शुल्क, जिस पर यह धारा लागू होती है, निम्नलिखित हैं —

(क) कोई उत्पाद-शुल्क जो ऐसी मादक वस्तुओं ⁸[या औषधीय या प्रसाधनिक विनिमित्तियों के विषय में हो जिनमें अल्कोहल हों] और जो इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत उत्पाद-शुल्कारोप्य न हों ; और

(ख) कोई उत्पाद-शुल्क जो भारत के बाहर उत्पादित तथा ⁹[उत्तर प्रदेश] में आयातित किसी उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ के विषय में हो, चाहे वह पदार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा यथापरिभाषित सीमा शुल्क सरहद के पार से आयातित हो अथवा नहीं ।

(3) इस धारा की कोई बात 7[राज्य सरकार] की कोई ऐसी उत्पाद-शुल्क लगाने के

-
1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1976 ई० की धारा 2 (iii) द्वारा प्रतिस्थापित ।
 2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 13, 1979 ई० की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
 3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 7, 1998 ई० की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
 4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, 2018 ई० की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।
 5. एडप्टेशन आफ आर्डर, 1937 द्वारा बढ़ायी गयी ।
 6. एडप्टेशन आफ आर्डर, 1950 द्वारा (सेन्ट्रल लेजिसलेचर) और (गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 के खण्ड 3) के लिए प्रतिस्थापित ।
 7. एडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित जो एडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था ।
 8. एडप्टेशन आफ आर्डर, 1950 द्वारा अन्तर्विष्ट ।
 9. एडप्टेशन आफ आर्डर, 1950 द्वारा (दि यूनाइटेड प्राविंसेज) के लिए प्रतिस्थापित ।

produced in the ¹[State], and similar goods not so manufactured or produced, discriminates in favour of the former, or which, in the case of goods manufactured or produced outside the ¹[State], discriminates between goods manufactured or produced in one locality and similar goods manufactured or produced in another locality.]

CHAPTER — VI

LICENSES, PERMITS AND PASSES

Form and conditions of licenses, etc.

31. Every license, permit or pass granted under this Act shall be granted —

(a) on payment of such fees (if any),

(b) subject to such restrictions and on such conditions,

(c) shall be in such form and contain such particulars, as the ²[Excise Commissioner] may direct either generally or in any particular instance in this behalf, and

(d) shall be granted for such period as the ³[State Government] may, in like manner, direct.

Saving of licenses force at the commencement of this Act

32. Every license which was granted under any section of the Excise Act, 1896, and is in force at the commencement of this Act, shall be deemed to have been granted under the corresponding section of this Act, and shall (unless previously cancelled, suspended, withdrawn or surrendered under this chapter) remain in force for the period for which it was granted.

Power of authority granting license to require execution of counterpart agreement, etc.

33. Any authority granting a license under this Act may require the grantee to execute a counterpart agreement in conformity with the tenor of his license and to give such security for the performance of such agreement or to make such deposit in lieu of security as such authority may think fit.

Power to cancel or suspend licenses, etc.

34. (1) Subject to such restrictions as the ³[State Government] may prescribe, the authority granting any license, permit or pass under this Act may cancel or suspend it —

(a) if any duty or fee payable by the holder thereof be not duly paid ; or

(b) in the event of any breach by the holder of such license, permit or pass or by his servants, or by any one acting on his behalf with his express or implied permission of any of the terms or conditions of such license, permit or pass ; or

(c) if the holder thereof is convicted of any offence punishable under this Act or any other law for the time being in force relating to

1. *Subs.* by the A. O. 1950 for (Province).

2. *Subs.* for (Chief Revenue Authority) by s. 9 of U. P. Act II of 1923.

3. *Subs.* by the A. O. 1950 for (Prov. Govt.) which had been *subs.* by the A. O. 1937 for (L. G.).

लिये प्राधिकृत नहीं करेगी, जो इस ¹[राज्य] में उत्पादित या निर्मित सामानों तथा इसी प्रकार के ऐसे सामानों के बीच जो इस प्रकार उत्पादित या निर्मित न किये गये हों, पूर्वोक्त के पक्ष विभेद करे अथवा जो ¹[राज्य] के बाहर उत्पादित या निर्मित सामानों की दशा में, किसी एक क्षेत्र में निर्मित या उत्पादित सामानों तथा किसी दूसरे क्षेत्र में निर्मित या उत्पादित उसी प्रकार के सामान के बीच विभेद करे।]

अध्याय—6

लाइसेन्स, परमिट तथा पास

31—इस अधिनियम के अधीन दिया गया प्रत्येक लाइसेन्स, परमिट या पास —

(क) ऐसी फीसों (यदि कोई हों) का भुगतान करने पर ;

(ख) ऐसे निर्बन्धनों और ऐसी शर्तों के अधीन, दिया जायेगा ;

(ग) ऐसे प्रपत्र में होगा और उसमें ऐसे ब्योरे दिये जायेंगे, जैसा कि ²[आबकारी आयुक्त] तदर्थ या तो सामान्यतया या किसी विशेष दशा में निर्देश दे ; और

(घ) ऐसी अवधि के लिये और उसी रीति से जैसा कि ³[राज्य सरकार] निर्देश दे, दिया जायगा ।

लाइसेंस, आदि के प्रपत्र तथा उनकी शर्तें

32—ऐसा प्रत्येक लाइसेन्स जो एक्साइज ऐक्ट, 1896 की किसी धारा के अधीन दिया गया हो और जो इस अधिनियम के आरम्भ होने के समय प्रवृत्त हो, इस अधिनियम की तदनु रूप धारा के अधीन दिया गया समझा जायगा और (जब तक वह इस अध्याय के अधीन पहले ही रद्द, निलंबित, वापस या समर्पित न कर दिया गया हो) उस अवधि तक प्रवृत्त रहेगा जिसके लिये वह दिया गया था ।

इस अधिनियम के आरम्भ होने के समय प्रवृत्त लाइसेन्स के सम्बन्ध में अपवाद

33—इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स देने वाला कोई प्राधिकारी लाइसेन्सगृहीता से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने लाइसेन्स की अनुकृति के अनुरूप प्रतिरूप अनुबन्ध निष्पादित करे तथा ऐसे अनुबन्ध के पालनार्थ ऐसी प्रतिभूति दे या प्रतिभूति के बदले में ऐसी धनराशि जमा करे, जैसी कि ऐसा प्राधिकारी उचित समझे ।

लाइसेन्स देने वाले प्राधिकारी की प्रतिरूप अनुबंध आदि के निष्पादन की अपेक्षा करने की शक्ति लाइसेन्सों, आदि को रद्द या निलंबित करने की शक्ति

34—(1) ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें विहित करे, इस अधिनियम के अधीन कोई लाइसेन्स, परमिट या पास देने वाला प्राधिकारी उसे रद्द या निलम्बित कर सकता है —

(क) यदि उसके धारक द्वारा देय किसी उत्पाद—शुल्क या फीस का यथाविधि भुगतान न किया गया हो ; या

(ख) उस दशा में जब ऐसे लाइसेन्स, परमिट या पास के धारक द्वारा या उसके सेवकों द्वारा या उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे लाइसेन्स, परमिट या पास के निबन्धनों या शर्तों में से किसी निबन्धन या शर्त का उल्लंघन किया गया हो ; या

(ग) यदि उसका धारक इस अधिनियम के अधीन या राजस्व से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का या किसी संज्ञेय तथा

1. एडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविस) के लिए प्रतिस्थापित ।

2. सं० प्रा० अधिनियम संख्या 2, 1923 की धारा 9 द्वारा (चीफ रेवेन्यू अथारिटी) के लिये प्रतिस्थापित ।

3. एडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविशियल गवर्नगमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित जो एडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था ।

revenue, or of any cognizable and non-bailable offence, or of any offence punishable ¹[under the Dangerous Drugs Act, 1930, or] under the Merchandise Marks Act, 1889, or of any offence punishable under sections 482 to 489 (both inclusive) of the Indian Penal Code ; or

(d) where a license, permit or pass has been granted on the application of the grantee of an exclusive privilege under this Act, on the requisition in writing of such grantee ; or

(e) if the conditions of the license or permit provide for such cancellations or suspension at will.

(2) When a license, permit or pass held by any person is cancelled under clause (a), (b) or (c) of sub-section (1), the authority aforesaid may cancel any other license, permit or pass granted to such person by, or by the authority of the ²[State Government] under this Act or under any other law for the time being in force relating to excise revenue or under the Opium Act, 1878.

(3) The holder shall not be entitled to any compensation for the cancellation or suspension of his license, permit or pass under this section nor to a refund of any fee paid or deposit made in respect thereof.

No compensation or refund claimable or cancellation or suspension of license, etc., under this section

Further power to cancel licenses

35. (1) Whenever the authority granting a license under this Act considers that such license should be cancelled for any cause other than those specified in section 34 it shall remit a sum equal to the amount of the fees payable in respect thereof for fifteen days, and may cancel the license either —

(a) on the expiration of fifteen days' notice in writing of its intention to do so, or

(b) forthwith, without notice.

Compensation in the case of cancellation

(2) If any license be cancelled under clause (b) of sub-section (1) in addition to the sum remitted as aforesaid there shall be paid to the licensee such further sum by way of compensation as the Excise Commissioner may direct.

Refund of fee or deposit

(3) When a license is cancelled under this section, any fee paid in advance or deposit made by the licensee in respect thereof shall be refunded to him, less the amount (if any) due to the [State Government]².

Surrender of license to sell by retail

36. Any holder of a license to sell by retail under this Act may surrender his license on the expiration of one month's notice in writing given by him to the Collector of his intention to surrender the same and on payment of the fee payable for the license for the whole period for which it would have been current but for such surrender ;

1. *Ins.* by sec. 40 and Sch. II of Act II of 1930. (Dangerous Drugs Act now repealed by NDPS Act, 1985)

2. *Subs.* by the A. O. 1950 for (Provl. Govt.) which had been *subs.* by the A. O. 1937 for (L. G.).

अजमानतीय अपराध का ¹[या अनिष्टकर औषधि—द्रव्य अधिनियम, 1930 के अधीन] या मर्चेन्डाइज मार्क्स ऐक्ट, 1889 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 तक (दोनों धारायें सम्मिलित करके) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो ; या

(घ) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी एकान्तिक विशेषाधिकार के गृहीता के आवेदन—पत्र पर लाइसेन्स, परमिट या पास दिया गया हो, तो ऐसे गृहीता द्वारा लिखित रूप से अधियाचन करने पर ; या

(ङ) यदि लाइसेन्स या परमिट की शर्तों में इच्छानुसार इस प्रकार रद्द या निलंबित किये जाने की व्यवस्था की गयी हो ।

(2) जब किसी व्यक्ति द्वारा घृत कोई लाइसेन्स, परमिट या पास उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन रद्द किया जाय, तो पूर्वोक्त प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन या आबकारी राजस्व से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या ओपियम ऐक्ट, 1878 के अधीन ²[राज्य सरकार] द्वारा या उसके प्राधिकार से ऐसे व्यक्ति को दिये गये किसी अन्य लाइसेन्स, परमिट या पास को रद्द कर सकता है ।

(3) धारक इस धारा के अधीन अपने लाइसेन्स, परमिट या पास के रद्द या निलंबित किये जाने के लिये न तो किसी प्रतिकर के और न हो उसके संबंध में भुगतान की गई किसी फीस या जमा की गई किसी धनराशि के प्रतिदान का हकदार होगा ।

इस धारा के अधीन लाइसेन्स, आदि के रद्द या निलंबित किये जाने के लिए कोई प्रतिकर या धनराशि के प्रतिदान का दावा न किया जा सकेगा

35—(1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स देने वाला प्राधिकारी यह समझे कि ऐसा लाइसेन्स धारा 34 में निर्दिष्ट कारणों से भिन्न किसी कारण से रद्द किया जाना चाहिये, तो वह उसके संबंध में पन्द्रह दिनों के लिये देय फीस के बराबर राशि प्रेषित करेगा और लाइसेन्स को या तो —

लाइसेन्सों को रद्द करने की अग्रतर शक्ति

(क) ऐसा करने के अपने अभिप्राय की पन्द्रह दिन की लिखित नोटिस की अवधि समाप्त हो जाने पर ; या

(ख) बिना नोटिस दिये, तुरन्त ही रद्द कर सकता है ।

(2) यदि कोई लाइसेन्स उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन रद्द कर दिया जाय तो यथापूर्वोक्त प्रेषित राशि के अतिरिक्त लाइसेन्सधारी को प्रतिकर के रूप में ऐसी और राशि का भुगतान किया जायगा जैसा कि आबकारी आयुक्त निर्देश दे ।

रद्द किये जाने की दशा में प्रतिकर

(3) जब इस धारा के अधीन कोई फीस लाइसेन्स रद्द किया जाय तो उसके संबंध में लाइसेन्सधारी द्वारा अग्रिम भुगतान की गई कोई फीस या जमा की गई कोई धनराशि [राज्य सरकार]² को देय धनराशि (यदि कोई हो) काट कर उसे प्रतिदान को जायगी ।

फीस या जमा की गयी धनराशि का प्रतिदान

36—इस अधिनियम के अधीन फुटकर बिक्री के किसी लाइसेन्स का धारक लाइसेन्स समर्पित करने के अपने अभिप्राय की अपने द्वारा कलेक्टर को दिये गये एक माह की लिखित नोटिस की अवधि व्यतीत हो जाने पर और उस संपूर्ण अवधि के लिये जिसमें लाइसेन्स जारी रहता, यदि ऐसा समर्पण न कर दिया गया होता, लाइसेन्स के निमित्त देय फीस भुगतान करने पर अपना लाइसेन्स समर्पित कर सकता है :

फुटकर बिक्री के लाइसेन्स का समर्पण

1. अधिनियम सं० 2, 1930 की द्वितीय सूची तथा धारा 40 के द्वारा अन्तर्विष्ट। (अनिष्टकर औषधि द्रव्य अधिनियम एन०डी०पी०एस० अधिनियम 1985 द्वारा निरसित)

2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविशियल गवर्नगमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था ।

Provided that, if the Excise Commissioner is satisfied that there is sufficient reason for surrendering such a license, he may remit to the holder thereof the sum so payable on surrender, or any portion thereof.

Explanation— The words “holder of a license” as used in this section, include a person whose tender or bid for a license has been accepted, although he may not actually have received the license.

Bar to right of renewal and compensation

1[36-A. No person to whom a license has been granted under this Act shall have any claim to the renewal of such license or any claim for compensation on the determination or non-renewal thereof.]

Technical irregularities in license, etc.

37. (1) No license granted under this Act shall be deemed to be invalid by reason merely of any technical defect, irregularity or omission in the license or in any proceeding taken prior to the grant thereof.

(2) The decision of the Excise Commissioner as to what is a technical defect, irregularity or omission shall be final.

CHAPTER — VI-A

SPECIAL PROVISIONS REGARDING PROHIBITION

Prohibition of import, export, transport, possession or consumption of intoxicants

2[37-A. (1) Subject to the provisions in sub-section (4), the import or export of any intoxicating into or from Uttar Pradesh or any part thereof or the transport of any intoxicant shall be prohibited.

(2) Notwithstanding anything contained in section 20, but subject to the provision of sub-section (4), the possession or consumption by any person or class of persons or subject to such exceptions, if any, as may be specified, by all persons in Uttar Pradesh or in any specified area or areas thereof, of any intoxicant shall absolutely or subject to such conditions as may be specified, be prohibited.

(3) In pursuance of the policy of gradual extension of prohibition in the State and having regard to the administrative convenience, the State Government may from time to time select different areas in that behalf after taking into account any one or more of the following factors, namely :—

- (a) the character of an area as —
 - (i) the seat of Government ; or
 - (ii) a seat of learning ; or
 - (iii) a place of pilgrimage or of religious importance ; or
 - (iv) hill area ; or
 - (v) an industrial area ; or
 - (vi) contiguous to dry area ; or

1. *Ins.* by sec. 10 of U. P. Act II of 1923.
2. *Subs.* by sec. 4 of U. P. Act 30 of 1978.

प्रतिबन्ध यह है कि यदि आबकारी आयुक्त का यह समाधान हो जाय कि ऐसा लाइसेन्स समर्पित करने के लिये पर्याप्त कारण है, तो वह समर्पण कर दिये जाने पर इस प्रकार देय धनराशि या उसका कोई अंश उसके धारक को प्रेषित कर सकता है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में यथाप्रयुक्त शब्द "लाइसेन्स का धारक" में वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसका लाइसेन्स के निमित्त टेन्डर या बोली स्वीकार हो चुकी हो, यद्यपि उसे वास्तव में लाइसेन्स प्राप्त न हुआ हो ।

1[36—क]—कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स दिया गया हो, ऐसे लाइसेन्स के नवीकरण के लिये कोई दावा न कर सकेगा या न उसे समाप्त किये जाने पर या उसके नवीकृत न किये जाने पर प्रतिकर के लिये दावा कर सकेगा ।]

नवीकरण और प्रतिकर अधिकार पर रोक

37—(1) इस अधिनियम के अधीन दिया गया कोई लाइसेन्स केवल इस कारण अविधिमान्य न समझा जायगा कि उसमें या उसके दिये जाने से पूर्व की गई किसी कार्यवाही में, कोई प्राविधिक दोष, अनियमितता या लोप है ।

लाइसेन्स आदि में प्राविधिक अनियमिततायें

(2) प्राविधिक दोष, अनियमितता या लोप क्या है, इस संबंध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

अध्याय—6क

मद्य निषेध के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

2[37—क—(1) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश या उसके किसी भाग में या वहां से किसी मादक वस्तु का आयात या निर्यात या उसका परिवहन निषिद्ध होगा ।

मादक वस्तुओं का आयात, निर्यात, परिवहन करने, कब्जे में रखने या उसका उपभोग करने का निषेध

(2) धारा 20 में दी गयी किसी बात के होते हुये भी किन्तु उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उत्तर प्रदेश या उसके किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के व्यक्तियों द्वारा या ऐसे अपवादों के, यदि कोई विनिर्दिष्ट किये जायें, अधीन रहते हुये सभी व्यक्तियों द्वारा, किसी मादक वस्तु को कब्जे में रखना या उसका उपभोग करना अप्रतिबद्ध रूप में या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो विनिर्दिष्ट की जाये, निषिद्ध होगा ।

(3) राज्य में मद्य निषेध का क्रमिक प्रसार करने की नीति के अनुसरण में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुये, राज्य सरकार निम्नलिखित किसी एक या अधिक कारणों को ध्यान में रखते हुये, समय—समय पर इस निम्नलिखित भिन्न—भिन्न क्षेत्रों का चयन कर सकती है , अर्थात् :—

(क) किसी क्षेत्र का स्वरूप, यथा —

(एक) सरकार का मुख्यालय, या

(दो) विद्या केन्द्र, या

(तीन) तीर्थ या धार्मिक महत्व का स्थान, या

(चार) पर्वतीय क्षेत्र, या

(पांच) औद्योगिक क्षेत्र, या

(छः) मद्यनिषेध वाले क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र, या

1. सं० प्रा० अधिनियम संख्या 2, 1923 की धारा 10 द्वारा अन्तर्विष्ट ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 30, 1978 की धारा 4 द्वारा अन्तर्विष्ट ।

¹[(vii) inhabited by Scheduled Castes or Scheduled Tribes ; or

(b) the general economic condition of the local population, including their level of nutrition and standard of living ; or

(c) the local public opinion ; or

(d) any other relevant factor which in the opinion of the State Government is material in the public interest ;

Provided that nothing in this sub-section shall be construed to require the State Government to recite in its order, the considerations on the basis of which a particular area is selected at any time for the enforcement of prohibition.

(4) Subject to the provisions of sub-section (3), the area to which the prohibition on import, export or transport of any intoxicant under sub-section (1) and on possession or consumption of any intoxicant under sub-section (2) extends and the date on which the prohibition in any area comes into force, shall be such as the State Government may, from time to time, specify by notification.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), in relation to any prohibition area, the State Government may, either by rules or by general or special order make any exemption or relaxation in respect of the possession, consumption, import, export or transport of the intoxicants mentioned in the notification under sub-section (4) or any of such intoxicant by or for purposes of —

(a) member of defense services ;

(b) foreigners visiting or residing in the prohibition area ;

(c) travellers through the prohibition area ;

(d) district hospitals or medical colleges requiring any intoxicant for medicinal purposes ;

(e) persons holding licenses under sections 17, 18, 21 and 24 ;

(f) consignment from, to, or passing through the prohibition area by rail, road or air ;

(g) industrial, scientific, educational, medical or religious purposes.

(6) In relation to any exemption or relaxation that may be made under sub-section (5), the State Government may either by rules or by general or special order, provide for the grant of pass or permit by such authority as may be specified.

(7) Upon the issue of a notification referred to in sub-section (4), the authority granting a license under this Act may in so far as it relates to a prohibition area cancel it forthwith without notice, and it shall thereupon remit a sum equal to the amount of the fee payable in respect of the unexpired period of the license, and refund any fee paid in advance or deposit made by the licensee in respect thereof, less the]

1. *Subs. by sec. 4 of U.P. Act No. 30 of 1978.*

1[(सात) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों की बस्ती, या

(ख) स्थानीय निवासियों की सामान्य आर्थिक स्थिति जिसके अन्तर्गत उनके आहार पुष्टितल और जीवन-स्तर भी है, या

(ग) स्थानीय जनमत, या

(घ) कोई अन्य संगत तथ्य जो राज्य सरकार की राय में लोकहित में सारवान हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि राज्य सरकार से अपने आदेश में उन तथ्यों को, जिनके आधार पर, कोई विशिष्ट क्षेत्र मद्य-निषेध लागू करने के लिये किसी समय चुना जाय, उल्लिखित करना अपेक्षित है ।

(4) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुये, वह क्षेत्र जिसमें उपधारा (1) के अधीन किसी मादक वस्तु के आयात, निर्यात या परिवहन पर, और जिसमें उपधारा (2) के अधीन किसी मादक पदार्थ को कब्जे में रखने या उसका उपभोग करने पर, निषेध का प्रसार किया जाय और वह दिनांक जिससे किसी क्षेत्र में मद्य निषेध प्रवृत्त हो, ऐसा होगा जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(5) किसी मद्य निषेध क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (4) में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार या तो नियमों द्वारा या सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उपधारा (4) के अधीन अधिसूचना में उल्लिखित मादक वस्तुओं को या ऐसी मादक वस्तुओं में से किसी को निम्नलिखित द्वारा या उनके प्रयोजनों के लिये, कब्जे में रखने, या उनका उपभोग, आयात, निर्यात या परिवहन करने के सम्बन्ध में कोई छूट दे सकती है या शिथिलीकरण कर सकती है:-

(क) प्रतिरक्षा सेवाओं के सदस्य ;

(ख) मद्य निषेध क्षेत्र में आने वाले या निवास करने वाले विदेशी ;

(ग) मद्य निषेध क्षेत्र से गुजरने वाले यात्री ;

(घ) जिला चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय, जिसमें औषधीय प्रयोजनों के लिये कोई मादक वस्तु अपेक्षित हो ;

(ङ) धारा 17, 18, 21 और 24 के अधीन लाइसेंस धारण करने वाले व्यक्ति ;

(च) रेल, सड़क या वायुयान द्वारा मद्य निषेध क्षेत्र से, को या होकर गुजरने वाले पारेषण ;

(छ) औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, औषधीय या धार्मिक प्रयोजन ।

(6) किसी ऐसी छूट या शिथिलीकरण के सम्बन्ध में जो उपधारा (5) के अधीन दी जाय, राज्य सरकार या तो नियमों द्वारा या सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो विनिर्दिष्ट किया जाय, पास या परमिट दिये जाने की व्यवस्था कर सकती है ।

(7) उपधारा (4) में अभिदिष्ट अधिसूचना जारी कर दिये जाने पर इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी, लाइसेंस को, जहां तक उसका सम्बन्ध मद्य निषेध क्षेत्र से है, बिना नोटिस तुरन्त निरस्त कर सकता है और वह तदुपरान्त लाइसेन्स की असमाप्त अवधि के सम्बन्ध में देय शुल्क की धनराशि के बराबर धनराशि की छूट देगा और उसके सम्बन्ध में लाइसेन्सधारी द्वारा अग्रिम रूप से दिये गये किसी शुल्क या जमा कि गई धनराशि को, उसमें

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1978 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।

amount, if any, due to the State Government, but no compensation shall in respect of such cancellation be payable to the licensee, anything contained in section 35 notwithstanding.

(8) Where any license is cancelled under sub-section (7) the licensee shall dispose of the intoxicants in his possession in such manner as the State Government or the Excise Commissioner may by general or special order direct ;

Provided that no act done or omission taking place during the period commencing on May 1, 1972 and ending with June 25, 1978 which would not be an offence but for such substitution shall constitute an offence punishable under the principal Act.]¹

CHAPTER — VII

GENERAL PROVISIONS

Measures,
weights and
testing
instruments

38. Every person who manufactures or sells any ²[intoxicant] under a license granted under this Act shall be bound —

(a) to supply himself with such measures, weights and instruments as the Excise Commissioner may prescribe and to keep the same in good condition ; and

(b) when such measures, weights and instruments have been prescribed, on the requisition of any excise officer duly empowered in that behalf, at any time to measure, weigh or test any ²[intoxicant] in his possession in such manner as the said excise officer may require.

[Interest on
arrears of
excise
revenue.]²

³[**38-A.** (1) Where any excise revenue has not been paid within three months from the date on which it become payable, interest at such rate not exceeding twenty-four per cent per annum, as may be prescribed, shall be payable from the date such excise revenue becomes payable till the date of actual payment ;

Provided that until a higher rate is prescribed, the rate of interest will be eighteen per cent per annum ;

Provided further that in respect of an excise revenue which became payable before the commencement of the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1985 interest at the said rate shall be payable from the date of such commencement if the excise revenue is not paid within 3 months of the said date.

Explanation :— Nothing in this sub-section shall be construed to affect the payment of interest under an agreement, the terms of an auction or, a decree of the court, passed before the date of commencement of the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1985 or which may be passed after the date of such commencement in suits or proceedings filed before the said date.

1. Subs. by sec. 4 of U.P. Act No. 30, 1978.

2 Subs. for (excisable article) by the A. O. 1937.

3 Ins. by sec. 2 of U. P. Act 7 of 1985.

से राज्य सरकार को देय धनराशि, यदि कोई हो, घटाकर लौटा, देगा, किन्तु लाइसेंसधारी को ऐसे निरसन के सम्बन्ध में धारा 35 में दी गयी किसी बात के होते हुये भी कोई प्रतिकर देय न होगा।

(8) जहां उपधारा (7) के अधीन कोई लाइसेंस निरस्त किया जाय वह लाइसेंसधारी अपने कब्जे की मादक वस्तुओं का निस्तारण उस प्रकार करेगा जैसा राज्य सरकारी या आबकारी आयुक्त, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश।

प्रतिबन्ध यह है कि 1 मई, 1972 को प्रारम्भ होने वाली और 25 जून, 1978 के साथ समाप्त होने वाली अवधि में किया गया ऐसा कोई कार्य या हुई ऐसी कोई चूक मूल अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध नहीं होगी जो यदि ऐसा प्रतिस्थापन न किया जाता तो कोई अपराध न होती।¹

अध्याय-7

सामान्य उपबन्ध

38-प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन दिए गए लाइसेन्स के अधीन कोई ²[मादक वस्तु] निर्मित करता है या उसका विक्रय करता है —

माप, बाट तथा परीक्षण यंत्र

(क) ऐसे माप, बांट तथा यन्त्र जिन्हें आबकारी आयुक्त विहित करे, की स्वयं व्यवस्था करने और उन्हें अच्छी दशा में रखने ; और

(ख) यदि ऐसे माप, बाँट तथा यन्त्र विहित किए गए हों, तो तदर्थ यथाविधि अधिकृत किसी आबकारी अधिकारी द्वारा अधियाचत किए जाने पर किसी भी समय किसी ऐसी [मादक वस्तु]¹ का, जो उसके कब्जे में हो, ऐसी रीति से माप लेने, तौल लेने या उसे पराक्षित करने, जैसा कि उक्त आबकारी अधिकारी अपेक्षा करे ;
के लिए बाध्य होगा ।

³ [38-क (1) जहाँ किसी आबकारी राजस्व का भुगतान उसके देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर न किया गया हो, वहाँ चौबीस प्रतिशत प्रति वर्ष से अनधिक दर पर, जैसी विहित की जाय, ब्याज ऐसे आबकारी राजस्व के देय होने के दिनांक से वास्तविक भुगतान के दिनांक तक देय होगा ;

²आबकारी राजस्व के बकाया पर ब्याज]

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कोई उच्च दर विहित न की जाय, तब तक ब्याज की दर अट्ठारह प्रतिशत प्रति वर्ष होगी ;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आबकारी राजस्व के सम्बन्ध में, जो उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ होने के पूर्व देय हो गया हो, उक्त दर पर ब्याज ऐसे प्रारम्भ के दिनांक के तीन मास के भीतर न किया जाय ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि उससे किसी करार, नीलामी के निबन्धनों या उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व दायर किये गये वादों या कार्यवाहियों में न्यायालय कि किसी डिक्री जो उक्त दिनांक के पूर्व पारित की गयी हो या उक्त दिनांक के पश्चात् पारित की जाय, के अधीन ब्याज के भुगतान पर पड़ता है ।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1978 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

2. एडेप्टेशन आफ आर्डर, 1973 द्वारा (एक्साइजएबूल आर्टिकल) के लिए प्रतिस्थापित ।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 7, 1985 ई० की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

[The United Provinces Excise Act, 1910]

(2) Provisions of section 39 shall mutatis mutandis apply to realization of such interest as they apply to realization of excise revenue.]

**Recovery of
excise
revenue**

39. All excise revenue including all amounts due to ¹[the Government] by any person on account of any contract relating to the excise revenue, may be recovered from the person primarily liable to pay the same, or from his surety (if any), as arrears of land revenue or in the manner provided for the recovery of public demands by any law for the time being in force. In case of default made by a holder of a license the Collector may take the grant, for which the license has been given, under management at the risk of the defaulter, or may declare the grant forfeited and re-sell it at the risk and loss of the defaulter. When a grant is under management under this section, the Collector may recover as excise revenue any moneys due to the defaulter by any lessee or assignee ;

Provided that no license for an exclusive privilege granted under section 24 shall be forfeited or re-sold without the sanction of the authority granting the license.

**Power of
State
Government
to make rules**

40. (1) The ²[State Government] may make rules for the purpose of carrying out the provisions of this Act or other law for the time being in force relating to excise revenue.

³[Provided that the Uttar Pradesh Licensing under the Surcharge Fee System Rules, 1968 made by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh, with the previous sanction of the State Government, as amended by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh, from time to time, before the commencement of this Act, shall, until altered or repealed by the State Government by rules made under this section be deemed to be and always to have been as valid and effective as if the said rules were duly made by the State Government under this section.]

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provision, the ²[State Government] may make rules —

(a) regulating the delegation of any powers by ⁴[* * *] the Excise Commissioner or Collector under section 10 (2) (h) ;

(b) prescribing the powers and duties of officers of the Excise Department ;

⁵[(c) prescribing the manner in which appeals or revisions shall be presented and the procedure for dealing with such appeals and revisions ;]

1. *Subs.* by the A. O. 1950 for the (crown) which had been subs. by the A. O. 1937 for (Govt.).
2. *Subs.* by the A. O. 1950 for (Provl. Govt.) which had been *subs.* by the A. O. 1937 for (L. G.).
3. *Ins.* by sec. 3(a) of U. P. Act 5 of 1976.
4. The words (the Chief Revenue Authority), *omit*, by s. 11 of U. P. Act II of 1923.
5. *Subs.* by sec. 3(b) of U. P. Act 5 of 1976.

(2) ऐसे ब्याज की वसूली पर धारा 39 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे आबकारी राजस्व की वसूली पर लागू होते हैं।]

39-सम्पूर्ण आबकारी राजस्व जिसमें वे धनराशियां भी सम्मिलित हैं, जो आबकारी राजस्व से सम्बन्धित किसी संविदा के कारण किसी व्यक्ति द्वारा 1[सरकार] को देय हों, उस व्यक्ति से जो प्रथमतः उसे भुगतान करने का जिम्मेदार हो या उसके प्रतिभू से (यदि कोई हो) भू-राजस्व के बकाया के रूप में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा लोक मांगों की वसूली के लिए व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकता है। लाइसेन्स धारक द्वारा भुगतान करने में चूक किए जाने की दशा में कलेक्टर, उस प्रदान को जिसके लिए लाइसेन्स दिया गया है, भुगतान में चूक करने वाले के जोखिम पर प्रबन्ध में ले सकता है या उसको जब्त घोषित कर सकता है और भुगतान में चूक करने वाले व्यक्ति के जोखिम तथा हानि पर उसको पुनः विक्रय कर सकता है। जब कोई प्रदान इस धारा के अधीन प्रबन्धाधीन हो, तो कलेक्टर भुगतान करने में चूक करने वाले व्यक्ति को किसी पट्टेदार या अभ्यर्पिणी द्वारा देय कोई भी धनराशियों आबकारी राजस्व के रूप में वसूल कर सकता है ;

आबकारी राजस्व की वसूली

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 24 के अधीन दिए गए किसी एकान्तिक विशेषाधिकार का लाइसेन्स, लाइसेन्स देने वाले प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना न तो जब्त किया जायगा या न उसका पुनः विक्रय किया जाएगा।

40-(1) 2[राज्य सरकार] इस अधिनियम के या आबकारी राजस्व से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

3[प्रतिबन्ध यह है कि यह समझा जायगा कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, द्वारा बनायी गई उत्तर प्रदेश सरचार्ज शुल्क प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञापन नियमावली, 1968, जैसा कि वह समय-समय पर आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा संशोधित की गयी है, जब तक कि राज्य सरकार इस धारा के अधीन उसका परिवर्तन, निरसन या संशोधन न करे, उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी है और सर्वदा रही है, मानों उक्त नियमावली राज्य सरकार के द्वारा इस धारा के अधीन विधिवत् बनायी गयी हो ;]

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, 2[राज्य सरकार] निम्नलिखित के लिए नियम बना सकती है —

(क) धारा 10 (2) (ज) के अधीन 4[* * *] आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा किन्हीं शक्तियों के प्रतिनिहित किए जाने की विनियमित करने के लिए ;

(ख) आबकारी विभाग के अधिकारियों की शक्तियों तथा कर्तव्यों को विहित करने के लिए ;

5[(ग) अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत करने के लिए रीति और ऐसे अपील और पुनरीक्षण के निस्तारण की प्रक्रिया विहित करना ;]

1. एडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (दि क्राउन) के लिए प्रतिस्थापित जो एडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।
2. एडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविशियल गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित जो एडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।
3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1976 ई० की धारा 3(क) द्वारा बढ़ाया गया।
4. सं० प्रा० अधिनियम संख्या 2, 1923 की धारा 11 द्वारा शब्द (दि चीफ रेवेन्यू अथारिटी) निकाले गये।
5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1976 ई० की धारा 3(ख) द्वारा बढ़ाया गया।

(d) regulating the import, export, transport or possession of any [intoxicant]¹ ;

(e) regulating the periods and localities for which, and the persons to whom, licenses for the vend by wholesale or by retail of any ¹[intoxicant] may be granted ;

(f) prescribing the procedure to be followed and the matters to be ascertained before any license for such vend is granted for any locality ;

(g) for the prohibition of the sale of any ¹[intoxicant] to any person or class of persons ;

(h) for the grant of expenses to witnesses and compensation for loss of time to persons released under section 49 on the ground that they have been improperly arrested and to persons charged before a Magistrate with offences punishable under the Act but acquitted ;

(i) regulating the power of excise officers to summon witnesses from a distance under the provisions of section 49 ;

(j) for declaring the excise officers to whom, and the manners in which, information or aid should be given under section 56 ;

(k) for the prohibition of the employment by the license-holder of any person or class of persons to assist in his business in any capacity whatsoever ;

(l) for the prevention of drunkenness, gambling or disorderly conduct in or near any licensed premises and the meeting or remaining of persons of bad character in such premises.

²[(m) for the grant of rewards to officials, officers or informers by the Collector out of and up to fifty per cent of composition fee and by the Magistrate trying the case, out of and up to fifty per cent of fine recovered under the Act.]

(3) ³[* * * *]

**Power of
Excise
Commissioner
to make rules**

41. ⁴[The Excise Commissioner] subject to the previous sanction of the State Government may make rules ;

(a) regulating the manufacture, supply, storage or sale of any [intoxicant]¹ including —

(i) the erection, alteration, repair, inspection, supervision, management and control of any place for the manufacture, supply, storage or sale of such article and the fittings implements and apparatus to be maintained therein ;

(ii) the cultivation of the hemp plant (*cannabis sativa*) ;

1. *Subs.* for (excisable article) by the A. O. 1937.

2. *Ins.* by sec. 4 of U. P. Act 13 of 1979.

3. *Omit.* by s. 4 of U. P. Act No. 30 of 1972.

4. *Subs.* for the words (the Chief Revenue Authority may make rules) by s. 12 of U. P. Act II of 1923.

(घ) किसी 1[मादक वस्तु] के आयात, निर्यात, परिवहन या उसे कब्जे में रखने को विनियमित करने के लिए ;

(ङ) उन अवधियों तथा क्षेत्रों को, जिनके लिए तथा उन व्यक्तियों को, जिन्हें किसी 1[मादक वस्तु] के थोक या फुटकर विक्रय के लिए लाइसेन्स दिया जाय, विनियमित करने के लिए ;

(च) किसी क्षेत्र के निमित्त ऐसे विक्रय का कोई लाइसेन्स दिए जाने से पूर्व अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया तथा सुनिश्चित किए जाने वाले विषयों को विहित करने के लिए ;

(छ) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को किसी 1[मादक वस्तु] का विक्रय करने का निषेध करने के लिए ;

(ज) साक्षियों को खर्चा देने और समय की हानि के लिए उन व्यक्तियों को, जो धारा 49 के अधीन इस आधार पर छोड़े गए हों कि उन्हें अनुचित रूप से गिरफ्तार किया गया था और उन व्यक्तियों को, जिन पर मैजिस्ट्रेट के समक्ष इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का आरोप लगाया गया हो, किन्तु वे दोषमुक्त हो गए हों, प्रतिकर देने के लिए;

(झ) धारा 49 के उपबन्धों के अधीन दूर से साक्षियों को आहूत करने की आबकारी अधिकारियों की शक्ति को विनियमित करने के लिए ;

(ञ) उन आबकारी अधिकारियों को, जिन्हें तथा उस रीति को, जिसके अनुसार धारा 56 के अधीन सूचना या सहायता दी जानी चाहिए, घोषित करने के लिए ;

(ट) अपने व्यवसाय में किसी भी हैसियत से सहायता देने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को लाइसेन्स धारक द्वारा सेवायोजित किए जाने का निषेध करने के लिए ;

(ठ) लाइसेन्स प्राप्त किसी भू-गृहादि में या उसके समीप नशे में रहने, जुआ खेलने और उत्पाती आचरण करने को और ऐसे भू-गृहादि में दुश्चरित्र व्यक्तियों के एकत्र हीन या रहने को रोकने के लिए ।

2 [(ड) अधिनियम के अधीन वसूल की गई शमन फीस में से उसके पचास प्रतिशत तक कलेक्टर द्वारा, वसूल किये गये अर्धदण्ड में से उसके पचास प्रतिशत तक मामले पर विचारण करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा, अधिकारिकों, अधिकारियों या इत्तिला देने वालों को इनाम देने के लिये ।]

(3) 3[* * * *]

41-4 [आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित के लिए नियम बना सकता है —]

आबकारी आयुक्त को नियम बनाने की शक्ति

(क) किसी 1[मादक वस्तु] के निर्माण, सम्भरण, भण्डारकरण या विक्रय को, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, विनियमित करना —

(1) ऐसे पदार्थ के निर्माण, सम्भरण, भण्डारकरण या विक्रय के लिये किसी स्थान का परिनिर्माण करना, उसमें परिवर्तन करना, उसकी मरम्मत करना, उसका निरीक्षण, पर्यवेक्षण, प्रबन्ध करना और उस पर नियंत्रण रखना तथा उसमें अनुरक्षित किये जाने वाले उपस्कर, औजार और उपकरण ;

(2) भांग के पौधे (कैनेविस सैटाइवा) की खेती करना ;

1. एडेप्टेशन आफ आर्डर, 1937 द्वारा (एक्साइजएबूल आर्टिकल) के लिए प्रतिस्थापित ।

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 13, 1979 ई० की धारा 4(ड) द्वारा बढ़ाया गया ।

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 30, 1972 ई० की धारा 4 द्वारा निकाला गया ।

4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 2, 1923 की धारा 12 द्वारा शब्द (दि चीफ रेवेन्यू अथारिटी में मेक रूल्स) के लिए प्रतिस्थापित ।

(iii) the collection of portions of the hemp plant (*cannabis sativa*) from which any intoxicating drug can be manufactured and the manufacture of any intoxicating drug therefrom ;

(b) regulating the deposit of any ¹[intoxicant] in a warehouse and the removal of any ¹[intoxicant] from any such warehouse or from any distillery ²[brewery or manufactory].

³(c) prescribing the scale of fees or the manner of fixing the fees payable for any licence, permit or pass, including any consideration for the grant of any exclusive or other privileges granted under section 24 or section 24A or for sorting of any ¹[intoxicant].

⁴ [Provided that nothing contained in this clause shall be construed to prevent the State Government from levying by notification made from time to time, any fee, including vend fee, as part of consideration for the granting of any such privilege.]

Explanation— Fees may be prescribed under this sub-clause at different rates for different classes of licences, permits, passes or storage and for different areas ;

⁵(2) The manner of fixing such fee or consideration includes any one or more of the following manners, namely :—

(i) auction,

(ii) invitation of tenders,

(iii) assessment on the basis of sales made or quota lifted under the license, permit or pass.]

(d) regulating the time, place and manner of payment of any duty or fee ;

(e) prescribing the restrictions under and the conditions on which any license, permit or pass may be granted, including provision for the following matters —

(i) the prohibition of the admixture with any ¹[intoxicant] of any substance deemed to be noxious or objectionable ;

(ii) the regulation or prohibition of the reduction of liquor by a licensed manufacturer or licensed vendor from a higher to a lower strength ;

(iii) the fixing of the strength price or quantity in excess of or below which any ¹[intoxicant] shall not be sold or supplied, and of the quantity in excess of which denatured spirit shall not be possessed, and the prescription of a standard of quality for any ¹[intoxicant] ;

(iv) the prohibition of sale except for cash ;

1. Subs. for (excisable article) by the A. O. 1937.

2. Subs. by sec. 7 of U. P. Act No. 16, 1997.

3. Subs. by sec. 2 (iv) of U.P. Act No. 5, 1976.

4. Ins. by sec. 5 of U. P. Act No. 13 of 1979.

5. Subs. by sec. 5 (ii) of U. P. Act 13 of 1979.

(3) भांग के पौधे (कैनेबिस सैटाइवा) के उन भागों का संग्रहण करना जिनसे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता हो और उनसे किसी मादक भेषज का निर्माण करना;

(ख) किसी 1[मादक वस्तु] को भाण्डागार में जमा किये जाने को और किसी ऐसे भाण्डागार से या किसी आसवनी 2[यवासवनी या विनिर्माणशाला] से किसी 1[मादक वस्तु] के हटाये जाने को विनियमित करना ;

3[ग] किसी 1[मादक वस्तु] के किसी लाइसेंस, परमिट या पास के लिए जिसमें धारा 24 या धारा 24-क के अधीन किसी एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिए दिया गया कोई प्रतिफल भी सम्मिलित है, या उसके भण्डारकरण के लिए देय फीस का माप-मान या उसे निश्चित करने की रीति विहित करना;]

4[प्रतिबन्ध यह है कि इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह राज्य सरकार को, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा कोई ऐसा विशेषाधिकार स्वीकृत किये जाने के प्रतिफल के भाव के रूप में कोई फीस, जिसके अन्तर्गत विक्रय (वेण्ड) फीस भी है, लगाने से रोकती है।]

स्पष्टीकरण— विभिन्न वर्गों के लाइसेन्स, परमिट, पास या भण्डारकरण के लिये तथा विभिन्न क्षेत्रों के निमित्त इस उप-खण्ड के अधीन फीस विभिन्न दरों पर विहित की जा सकती है ।

5[(2) ऐसी फीस या प्रतिफल निश्चित करने की रीति के अन्तर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक रीति भी है, अर्थात् :—

(1) नीलाम,

(2) टेण्डर आमन्त्रित करना,

(3) लाइसेन्स, परमिट या पास के अधीन किये गये विक्रय या उठाये गये कोटा के आधार पर निर्धारण।]5

(घ) किसी उत्पाद-शुल्क या फीस के भुगतान का समय, स्थान और रीति को विनियमित करना ;

(ङ) उन निर्बन्धनों को, जिनके अधीन तथा उन शर्तों को जिनके अनुसार कोई लाइसेन्स, परमिट या पास दिया जा सकता है, जिनमें निम्नलिखित विषयों के लिये व्यवस्था सम्मिलित है, विहित करना —

(1) किसी 1[मादक वस्तु] के साथ किसी ऐसी वस्तु को, जो दुर्गन्ध्ययुक्त और आपत्तिजनक समझी जाय, सम्मिलित करने का निषेध करना ;

(2) किसी लाइसेन्स प्राप्त निर्माता या लाइसेन्स प्राप्त विक्रेता द्वारा किसी शराब की उच्च सान्द्रता को कम करके उसे निम्न सान्द्रता का बनाने की विनियमित करना या उसका निषेध करना ;

(3) उस सान्द्रता, मूल्य या परिमाण को जिससे अधिक या कम किसी 1[मादक वस्तु] का विक्रय या सम्भरण न किया जायगा तथा उस परिमाण को जिससे अधिक विकृत स्प्रिट कब्जे में न रखी जा सकेगी, निश्चित करना तथा किसी 1[मादक वस्तु] के गुण का, मानदण्ड विहित करना ;

(4) नकद विक्रय के सिवाय अन्यथा विक्रय का निषेध करना ;

-
1. एडेप्टेशन आफ आर्डर, 1937 द्वारा (एक्साइजएबूल आर्टिकल) के लिए प्रतिस्थापित ।
 2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1997 ई० की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
 3. उ०प्र० अधिनियम संख्या 5, 1976 की धारा 2(iv) द्वारा प्रतिस्थापित ।
 4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 13, 1979 ई० की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।
 5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 13, 1979 ई० की धारा 5 (ii) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(v) the fixing of the days and hours during which any licensed premises may or may not be kept open, and the closure of such premises on special occasions ;

(vi) the specification of the nature of the premises in which any ¹[intoxicant] may be sold and the notices to be exposed at such premises ;

(vii) the form of the accounts to be maintained and the returns to be submitted by license-holders ; and

(viii) the regulation of the transfer of licenses ;

(f) (i) declaring the process by which spirit manufactured in ²[* * *] India shall be denatured ;

(ii) for causing such spirit to be denatured through the agency or under the supervision of its own officers ;

(iii) for ascertaining whether such spirit has been denatured ;

(g) providing for the destruction or other disposal of any ¹[intoxicant] deemed to be unfit for use ;

(h) regulating the disposal of confiscated articles.

CHAPTER — VIII

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO THE MANUFACTURE, SUPPLY AND SALE OF *Tari*

Manufacture of *tari*

42. In local areas where the ³[State Government] so notifies —

(a) no tari-producing tree shall be tapped ;

(b) no tari shall be drawn from any tree ;

except under the authority and subject to the terms and conditions of a license granted in that behalf by the Collector or under the provisions of section 45 ;

Provided that in any such local area the ³[State Government] may by notification ⁴declare that these provisions shall not apply to trees tapped or *tari* drawn under such special conditions as the excise Commissioner may prescribe.

Sale of *tari*

43. In any such area as aforesaid a person having the right to the tari drawn from any tree may sell the same without a license to a person licensed to manufacture or sell *tari* under this Act.

1. *Subs.* for (excisable article) by the A. O. 1937.

2. The word (British) omit. by the A. O. 1950.

3. *Subs.* by the A. O. 1950 for (Provl. Govt.) which had been *subs.* by the A. O. 1937 for (L. G.).

4. The provisions of this section were applied to the whole province in notification no. 588/XIII—85, dated July 13, 1910, Part I, page 743.

(5) उन दिनों या घंटों को निश्चित करना जिनमें कोई लाइसेन्स प्राप्त भू-गृहादि खुले रखे जाये या खुले न रखे जाये और ऐसे भू-गृहादि को विशेष अवसरों पर बन्द रखना ;

(6) उन भू-गृहादि के स्वरूप का विशिष्ट विवरण जिनमें किसी 1[मादक वस्तु] का विक्रय किया जाय तथा ऐसे भू-गृहादि में प्रदर्शित किये जाने वाले नोटिस ।

(7) लाइसेन्स धारकों द्वारा रखे जाने वाले लेखे का प्रपत्र तथा उनके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां ; और

(8) लाइसेन्सों के अन्तरण का विनियमन ;

(च) (1) उस प्रक्रिया को घोषित करना जिसके अनुसार 2[* * *] भारत में निर्मित स्प्रिट विकृत की जायगी ;

(2) अपने अधिकारियों के अभिकरण द्वारा या उनके पर्यवेक्षण में ऐसी स्प्रिट को विकृत कराना ;

(3) यह सुनिश्चित करना कि ऐसी स्प्रिट विकृत की गई है या नहीं ;

(छ) किसी ऐसी 1[मादक वस्तु] को, जो प्रयोग के लिये अयोग्य समझी जाय, नष्ट करने की या अन्य प्रकार से उसके निस्तारण की व्यवस्था करना ;

(ज) जब्त किये गये पदार्थों के निस्तारण को विनियमित करना ।

अध्याय—8

ताड़ी के निर्माण सम्भरण और विक्रय के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

42—सिवाय इस लाइसेन्स के प्राधिकारी तथा उसके निबन्धनों और शर्तों के अधीन ताड़ी का निर्माण रहते हुए जो कलेक्टर द्वारा तदर्थ या धारा 45 के उपबन्धों के अधीन दिया जाय, उन स्थानीय क्षेत्रों में जहां 3[राज्य सरकार] इस प्रकार अधिसूचित करे —

(क) ताड़ी पैदा करने वाला कोई वृक्ष छिद्रित न किया जायगा ।

(ख) किसी वृक्ष से ताड़ी न निकाली जायगी ।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र में 3[राज्य सरकार] अधिसूचना द्वारा यह 4 घोषित कर सकती है कि ये उपबन्ध उन वृक्षों पर लागू न होंगे जो ऐसी विशेष दशाओं में, जो आबकारी आयुक्त द्वारा विहित की जायें, छिद्रित किये गये हों या जिनसे ताड़ी निकाली गई हो ।

43—यथापूर्वोक्त किसी ऐसे क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी वृक्ष से निकाली ताड़ी का विक्रय गई ताड़ी का अधिकार प्राप्त हो उस ताड़ी का बिना लाइसेन्स के विक्रय ऐसों व्यक्ति को कर सकता है जिसे इस अधिनियम के अधीन ताड़ी का निर्माण करने या विक्रय करने का लाइसेन्स प्राप्त हो ।

-
1. एडेप्टेशन आफ आर्डर, 1937 द्वारा (एक्साइजएबुल आर्टिकल) के लिए प्रतिस्थापित ।
 2. एडेप्टेशन आफ आर्डर, 1950 द्वारा शब्द (ब्रिटिश) निकाला गया ।
 3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविशियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था ।
 4. अधिसूचना संख्या 588/13—85, दिनांक 13 जुलाई, 1910 के अधीन इस धारा के प्राविधान सम्पूर्ण प्रदेश में प्रवृत्त किये गये थे । गजट 1910 भाग एक पृष्ठ 743 देखिये ।

Power of State Government to exempt from provisions of sections 42, area in which exclusive privilege for manufacture etc. for *tari* has been granted

44. Where a license for the exclusive privilege of manufacture, supply or sale of *tari* in any local area has been granted under the provisions of section 24 the ¹[State Government] may by notification direct that the provisions of section 42 shall not apply to such area.

Grant of license by grantee of exclusive privilege of manufacturing *tari*.

45. Where a license for the exclusive privilege of manufacturing *tari* has been granted under section 24, the ¹[State Government] may declare that the written permission of the grantee to draw *tari* shall have the same force and effect as a license from the Collector for that purpose under section 42.

Duty on *tari*

46. A duty at such rate or rates as the ¹[State Government] shall direct, may be imposed either generally or for any specified local area, on any *tari* manufactured under any license granted under section 42. ²[Such duty shall be levied by a tax on each tree tapped or form which *tari* is drawn, and its rate shall be fixed having due regard to the principles specified in sub-section (2) of section 28 and shall not exceed sixty rupees for a year or part thereof per tree.]

Power to make rules

47. In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions the ¹[State Government] may make rules regulating the tapping of *tari* producing trees and drawing of *tari* from such trees, the marking of such trees and the maintenance of such marks in any area to which the provisions of section 42 have been applied.

CHAPTER — IX

POWER AND DUTIES OF OFFICERS, ETC.

Power to enter and inspect places of manufacture and sale.

48. The Excise Commissioner, or a Collector, or any ³[Officer of the Excise Department] not below such rank as the ¹[State Government] may prescribe, or any police officer duly empowered in that behalf, may enter and inspect, at any time by day or by night, any place in which any licensed manufacturer carries on the manufacture of or stores any ⁴[intoxicant] and may enter and inspect at any time within the hours during which sale is permitted, and at any other time during which the same may be open any place in which any ⁴[intoxicant] is kept for sale by any licensed person, and may examine, test, measure or weight any materials. Stills, utensils, implements, or ⁴[intoxicant] found in such place ; and may seize any measures, weights or testing instruments which he has reason to believe to be false.

1. *Subs.* by the A. O. 1950 for (Provl. Govt.) which had been *subs.* by the A. O. 1937 for (L. G.).
2. *Subs.* and be deemed always to have been substituted by s. 3 of U. P. Act 7 of 1970.
3. *Subs.* for (other excise officer) by s. 2 of U. P. Act I of 1915.
4. *Subs.* for (excisable article) by the A. O. 1937.

44-यदि धारा 24 के उपबन्धों के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र में ताड़ी निर्मित करने, सम्मरित करने या उसका विक्रय करने के लिये एकान्तिक विशेषाधिकार का लाइसेन्स दिया गया हो तो ¹[राज्य सरकार] अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि धारा 42 के उपबन्ध ऐसे क्षेत्र पर लागू न होंगे ।

धारा 42 के उपबन्धों से उस क्षेत्र को जिसमें ताड़ी के निर्माण, आदि के लिये एकान्तिक विशेषाधिकार दिया गया हो, विमुक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति

45-यदि धारा 24 के अधीन ताड़ी के निर्माण के लिये एकान्तिक विशेषाधिकार का लाइसेन्स दिया गया हो, तो ¹[राज्य सरकार] यह घोषित कर सकती है कि ताड़ी निकालने के लिये लाइसेन्स गृहीता की लिखित अनुज्ञा का वही बल और प्रभाव होगा जो धारा 42 के अधीन कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिये दिये गये लाइसेन्स का हो ।

ताड़ी के निर्माण के लिये एकान्तिक विशेषाधिकार गृहीता द्वारा लाइसेन्स दिया जाना ताड़ी पर उत्पाद-शुल्क

46-धारा 42 के अधीन दिये गये किसी लाइसेन्स के अधीन निर्मित किसी ताड़ी पर कोई उत्पाद-शुल्क ऐसी दर या दरों पर जैसा कि ¹[राज्य सरकार] निदेश देगी, या तो सामान्यता या किसी निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के लिये लगाया जा सकता है । ²[ऐसा शुल्क प्रत्येक छिद्रित वृक्ष पर या उस वृक्ष पर जिससे ताड़ी निकाली जाय, कर द्वारा लगाया जायगा और इसकी दर धारा 28 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जायेगी और प्रति वृक्ष एक वर्ष या उसके भाग के लिये साठ रूपये से अधिक न होगा ।]

47-विशेषतः तथा पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ¹[राज्य सरकार] किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें धारा 42 के उपबन्ध लागू किये गये हो, ताड़ी पैदा करने वाले वृक्षों के छिद्रण और ऐसे वृक्षों से ताड़ी निकालने, ऐसे वृक्षों को चिन्हित करने और ऐसे चिन्हों के अनुरक्षण को विनियमित करने के लिये नियम बना सकती है ।

नियम बनाने की शक्ति

अध्याय-9

अधिकारियों आदि की शक्तियां तथा कर्तव्य

48-आबकारी आयुक्त या कलेक्टर, या ³[आबकारी विभाग का कोई अधिकारी] जो उस पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो जिसमें ¹[राज्य सरकार] विहित करें, या यथाविधि तदर्थ अधिकृत कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे स्थान में जिसमें कोई लाइसेन्स प्राप्त निर्माणकर्ता किसी ⁴[मादक वस्तु] का निर्माण करता हो या उसका भण्डारकरण करता हो, किसी भी समय दिन अथवा रात्रि में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है और किसी ऐसे स्थान में जिसमें किसी लाइसेन्स प्राप्त व्यक्ति द्वारा कोई ⁴[मादक वस्तु] विक्रय के लिये रखी जाती हो, ऐसे घंटों के भीतर जब विक्रय करने की अनुज्ञा हो तथा किसी अन्य समय में, जब वह खुला हो, किसी भी समय प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है और ऐसे स्थान में पाये गये किन्हीं सामानों, भभकों, बर्तनों, औजारों, उपकरणों या ⁴[मादक वस्तु] की जांच कर सकता है, परीक्षण कर सकता है, माप ले सकता है या तोल सकता है और किन्हीं ऐसे मापों, बांटों या परीक्षण-यंत्रों का, जिनके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वे खोटे (असत्य) हैं, अभिग्रहण कर सकता है ।

निर्माण के तथा विक्रय के स्थानों में प्रवेश करने तथा उनका निरीक्षण करने की शक्ति

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविशियल गवर्नगमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेंट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था ।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 7, 1970 ई० की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित सदैव से प्रतिस्थापित समझा जाय ।
3. सं० प्रा० अधिनियम सं० 1, 1915 की धारा 2 द्वारा (अदर एक्साइज आफीसर) के लिए प्रतिस्थापित ।
4. एडेप्टेशन आफ आर्डर, 1937 द्वारा (एक्साइजएबूल आर्टिकल) के लिए प्रतिस्थापित ।

[The United Provinces Excise Act, 1910]

Power of certain officers to investigate into offences punishable under this Act

49. (1) A police officer not below the rank of ¹[Sub-Inspector] and an officer of the Excise Department not below such rank as the ²[State Government] ³[may prescribe may investigate] into any offence punishable under this Act committed within the limits of the area in which such officer exercises jurisdiction.

(2) ⁴[Any such officer may] exercise the same powers in respect to such investigation as an officer in charge of a police station may exercise in a cognizable cases under the provisions of ⁵[Chapter XII of the Code of Criminal Procedure, 1973] and if specially empowered in that behalf by the ²[State Government], such officer may, without reference to a Magistrate, and for reasons to be recorded by him in writing stop further proceedings against any person concerned or supposed to be concerned in any offence punishable under this Act into which he has investigated.

Power of arrest, seizure and detention

50. Any officer of the excise, police, salt, opium or land revenue department not below such rank and subject to such restrictions as the ²[State Government] may prescribe, and any other person duly empowered in this behalf, may arrest without warrant, any person, found ⁶[committing or abetting an offence] punishable under ⁷[section 60, section 60-A] section 62, section 63 or section 65 ; and may seize and detain any ^{7a}[intoxicant] or other article which he has reason to believe to be liable to confiscation under this Act or other law for the time being in force relating to excise revenue ; and may detain and search any person upon whom, and any vessel, vehicle, animal, package, receptacle or covering in or upon which he may have reasonable cause to suspect any such article to be.

Power of Collector to issue warrant of arrest

51. The Collector may issue a warrant for the arrest of any person whom he has reason to believe to have ⁸[committed or abetted any offence] punishable under ⁷[section 60, section 60-A] section 62, section 63 or section 65.

Power of Collector or magistrate to issue search warrant

52. If a Collector or a Magistrate, upon information obtained has reason to believe that an offence punishable under ⁹[section 60, section 60-A], section 62, section 63 or section 65 has been or is likely to be committed, he may issue a warrant for the search for any ^{7a}[intoxicant] materials, still, utensil, implement or apparatus in respect of which the alleged offence has been or is likely to be committed.

1. *Subs.* by *sec.* 8 of U. P. Act No. 9 of 1978.

2. *Subs.* by the A. O. 1950 for (Provl. Govt.) which had been *subs.* by the A. O. 1937 for (L. G.).

3. *Subs.* by *sec.* 3 (1) of U. P. Act No. I of 1915.

4. *Subs.* by *sec.* 3 (2) *ibid.*

5. *Subs.* by *sec.* 8 of U. P. Act No. 9 of 1978.

6. *Subs.* by *sec.* 5(a) of U. P. Act No. 4 of 2018.

7. *Subs.* by *sec.* 5(b) of *ibid.*

7a. *Subs.* for (excisable article) by the A.O. 1937.

8. *Subs.* by *sec.* 6 of U. P. Act No. 4 of 2018.

9. *Subs.* by *sec.* 7 of U. P. Act No. 4 of 2018.

49-(1) [कोई पुलिस अधिकारी जो पंक्ति में ¹[उप निरीक्षक] से निम्न पंक्ति का न हो तथा आबकारी विभाग का कोई अधिकारी जो उस पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो जिसे ²[राज्य सरकार] विहित करें, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी ऐसे अपराध ³[का अन्वेषण कर सकता है] जो उस क्षेत्र की परिसीमाओं के भीतर किया गया हो जिसमें ऐसा अधिकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हो ।

इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का अन्वेषण करने की कतिपय अधिकारियों की शक्तियां

(2) ⁴[कोई ऐसा अधिकारी] ऐसे अन्वेषण के सम्बन्ध में उन्ही शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका थाने का प्रभारी अधिकारी ⁵[दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 12] के उपबन्धों के अधीन किसी संज्ञेय मामले में प्रयोग कर सकता है और यदि ऐसा अधिकारी ²[राज्य सरकार] द्वारा तदर्थ विशेष रूप से अधिकृत किया गया हो तो वह बिना किसी मजिस्ट्रेट को अभिदेश किये और उन कारणों से जिन्हें वह लिखित रूप में अभिलिखित करे, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही रोक सकता है जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी ऐसे अपराध से, जिसके सम्बन्ध में उसने अन्वेषण किया हो, सम्बन्धित हो या जिसे सम्बन्धित होने की संभावना होने की कल्पना की जाती हो ।

50-आबकारी, पुलिस, नमक, अफीम या भू-राजस्व विभाग का कोई भी अधिकारी, जो उस पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो जिसे और ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें ²[राज्य सरकार] विहित करे और यथाविधि तदर्थ अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति बिना वारन्ट के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो ⁶[धारा 60, धारा 60क], धारा 62, धारा 63 या धारा 65 के अधीन दण्डनीय ⁷[अपराध करता हुआ या उसके लिये दुष्प्रेरित करता हुआ] पाया जाये और किसी ऐसी को ^{7a}[मादक वस्तु] या किसी अन्य सामान को अभिगृहीत और निरुद्ध कर सकता है जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के या आबकारी राजस्व से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जब्त किये जाने योग्य है ; और किसी ऐसे व्यक्ति को और किसी ऐसे जलयान, गाड़ी, पशु, संवेष्टन, पात्र या आवरण को निरुद्ध कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है जिस पर या जिसमें उसे ऐसे सामान के होने का संदेह करने का उचित कारण हो ।

गिरफ्तारी करने, अभिग्रहण करने और निरुद्ध करने की शक्ति

51-कलेक्टर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये वारन्ट जारी कर सकता है जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने ⁸[धारा 60, धारा 60क], धारा 62, धारा 63 या धारा 65 के अधीन ⁸[कोई अपराध किया है अथवा उसके लिये दुष्प्रेरित किया है] ।

गिरफ्तारी का वारन्ट जारी करने की कलेक्टर की शक्ति

52-यदि प्राप्त सूचना के आधार पर कलेक्टर या मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण हो कि ⁹[धारा 60, धारा 60क] , धारा 62, या धारा 63 या धारा 65 के अधीन कोई दण्डनीय अपराध किया गया है या किये जाने की संभावना है, तो वह किसी ऐसी ^{7a}[मादक वस्तु], सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरणों की तलाशी के लिये वारन्ट जारी कर सकता है, जिसके सम्बन्ध में अभिकथित उपराध किया गया हो या किये जाने की सम्भावना हो ।

तलाशी का वारन्ट जारी करने की कलेक्टर या मजिस्ट्रेट की शक्ति

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 1978 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था ।
3. सं० प्रा० अधिनियम सं० 1, 1915 की धारा 3 (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 1978 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 5(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, 2018 की धारा 5क द्वारा प्रतिस्थापित ।
- 7a. एडेप्टेशन ऑफ आर्डर, 1937 द्वारा (एक्साइजएबुल आर्टिकल) के लिए प्रतिस्थापित ।
8. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
9. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

Power of Collector or officer of the Excise department to search without warrant

53. (1) Whenever a Collector or an officer of the Excise Department not below such rank as the ¹[State Government] may prescribe or a police officer not below the rank of ²[Sub-Inspector] has reason to believe that an offence punishable under ³[section 60, section 60-A] section 61, section 62, section 63 or section 65 has been, is being or is likely to be committed in any place, and that a search warrant cannot be obtained without affording the offender an opportunity of escape or of concealing evidence of the offence, he may, at any time, in day or night, enter and search such place ;

Provided that ⁴[any officer] other than a Collector taking action under this sub-section shall before entering such place record the grounds of his belief as aforesaid.

Further powers of seizures, detention, search and arrest

(2) ⁵[The Collector or other officer] as aforesaid may seize anything found in such place which he has reason to believe to be liable to confiscation under this Act, and may detain and search and, if he thinks proper, arrest any person found in such place whom he has reason to believe to be guilty of such offence as aforesaid.

procedure relating to arrest, searches, etc.

54. The provision of the ^{5a}[Code of Criminal Procedure, 1973], relating to arrests, search warrants, production of persons arrested and investigation into offences shall be held to be applicable, so far as may be, to all action take in these respects under this Act ;

⁶[Provided that an offence punishable under section 60, section 60A, section 61 section 62, section 63, section 64-A, section 65, section 68 or an offence punishable for abetment of any offence under the said sections may be investigated into without the order of a Magistrate, and that any warrant issued by the Collector under section 51 or section 52 may be executed by any officer authorized by the Collector for the said purpose.]

Offence to be bailable

⁷**55.** All offences punishable under sub-section (2) of section 60, section 60A, section 62, section 63, section 64-A, and any offence punishable for abetment of any offence under the said sections shall be non-bailable within the meaning of the Code of Criminal Procedure, 1973]

1. Subs. by the A. O. 1950 for (Provl. Govt.) which had been subs. by the A. O. 1937 for (L. G.).
2. Subs. by sec. 9 of U. P. Act 9 of 1978.
3. Subs. by sec. 8 of U. P. Act 4 of 2018.
4. Subs. for (an excise officer) by s. 4 *ibid*.
5. Subs. for (Every Collector or other Excise Officer) by *ibid*.
5a. Subs. by sec. 10 of U.P. Act No. 9 of 1978.
6. Subs. by sec. 9 of U. P. Act 4 of 2018.
7. Subs. by sec. 10 of U. P. Act 4 of 2018.

53-(1) [जब कभी कलेक्टर को या आबकारी विभाग के ऐसे अधिकारी को जो उस पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो जिसे 1[राज्य सरकार] विहित करे या ऐसे पुलिस अधिकारी को जो पंक्ति में 2[उप निरीक्षक] से निम्न पंक्ति का न हो, यह विश्वास करने का कारण हो कि 3[धारा 60, धारा 61, धारा 62, धारा 63 या धारा 65 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध] किसी स्थान में किया गया है, किया जा रहा है या किए जाने की सम्भावना है और अपराधी को भाग जाने या अपराध का साक्ष्य छिपाने का अवसर दिए बिना तलाशी का वारन्ट प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वह किसी भी समय, दिन अथवा रात्रि में, ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है ;

बिना वारन्ट के तलाशी लेने की कलेक्टर या आबकारी विभाग के अधिकारी की शक्ति

प्रतिबन्ध यह है कि कलेक्टर से भिन्न 4[कोई अधिकारी] जो इस उपधारा के अधीन कार्यवाही करे, ऐसे स्थान में प्रवेश करने से पूर्व यथापूर्वोक्त अपनों विश्वास के कारणों को अभिलिखित करेगा ।

(2) यथापूर्वोक्त 5[कलेक्टर या अन्य अधिकारी] ऐसे स्थान में पाई गई किसी ऐसी वस्तु को अभिगृहीत कर सकता है जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन जब्त किए जाने योग्य है तथा ऐसे स्थान में पाए गए किसी ऐसे व्यक्ति को निरूद्ध कर सकता है तथा उसकी तलाशी ले सकता है और यदि वह उचित समझे तो, उसे गिरफ्तार कर सकता है जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह यथापूर्वोक्त अपराध का दोषी है ।

अभिग्रहण करने, निरूद्ध करने, तलाशी लेने और गिरफ्तार करने की अग्रतर शक्तियां

54-गिरफ्तारियों, तलाशियों, तलाशी के वारन्टों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को प्रस्तुत करने तथा अपराधों का अन्वेषण करने के सम्बन्ध में 5a[दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973] के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन उनके सम्बन्ध में की गई समस्त कार्यवाहियों पर यथाशक्य लागू होंगे ;

गिरफ्तारी, तलाशियों, आदि के सम्बन्ध में प्रक्रिया

6[प्रतिबन्ध यह है कि धारा 60, धारा 60क, धारा 61, धारा 62, धारा 63, धारा 64क, धारा 65, धारा 68 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध अथवा उक्त धाराओं के अधीन किसी अपराध के दुष्प्रेरण के लिये दण्डनीय किसी अपराध का अन्वेषण, बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश से किया जा सकता है और यह कि धारा 51 अथवा धारा 52 के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी किये गये किसी वारन्ट का निष्पादन, किसी ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जिसे कलेक्टर द्वारा उक्त प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किया जाय ।]

7[55-धारा 60 की उपधारा (2), धारा 60क, धारा 62, धारा 63, धारा 64क और उक्त धाराओं के अधीन किसी अपराध के दुष्प्रेरण के लिये दण्डनीय कोई अपराध, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अर्थान्तर्गत अजमानतीय होगा ।]

-
1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था ।
 2. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 1978 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
 3. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।
 4. उपर्युक्त द्वारा (एन एक्साइज आफिसर) के लिये प्रतिस्थापित ।
 5. उपर्युक्त द्वारा (एवरी कलेक्टर आर अदर एक्साइज आफिसर) के लिये प्रतिस्थापित ।
 - 5a. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 1978 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
 6. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
 7. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।

Duty of officers of certain departments to report offences and to assist officers of the excise Department

56. Every officer of the police, salt, opium and land revenue departments shall be bound to give immediate information to an ¹[officer of the Excise Department] of all breaches of any of the provisions of this Act which may come to his knowledge, and to aid, any ¹[officer of the Excise Department] in carrying out the provisions of this Act upon request made by such officer.

Duty of owner, occupier, Lekhpal or village policeman to report certain matters

²[**57.** Every person who owns or occupies any land or building and the agent of such owner or occupier, on or in which there has been any unlawful manufacture of any intoxicant, or any unlawful cultivation or collection of any plants from which an intoxicating drug can be produced, and every owner of a vessel or vehicle in which any intoxicant is manufactured contrary to the provisions of this Act, and every Lekhpal or village policeman in whose jurisdiction such land or building is situate or vessel or vehicle is found, shall, in the absence of reasonable excuse, be bound to give notice of the same to a Magistrate or to an officer of the excise, police or land revenue department immediately the same comes to his knowledge.]

Duty of officer in charge of police station to take charge of articles seized

58. Every officer in charge of a police station shall take charge of and keep in safe custody, pending the orders of a Magistrate or of the Collector, all articles seized under this Act which may be delivered to him ; and shall allow any ³[officer of the Excise Department] who may accompany such articles to the police station or may be deputed for the purpose by his superior officer, to affix his seal to such articles and to take samples of and from them. All samples so taken shall also be sealed with the seal of the officer in charge of the police station.

Power to close shops for the sake of public peace

59. The District Magistrate by notice in writing to the licensee may require that any shop in which any ⁴[intoxicant] is sold shall be closed at such times or for such period as he may think necessary for the preservation of the public peace.

If a riot or unlawful assembly is apprehended or occurs in the vicinity of any such shop, a magistrate of any class or any police officer above the rank of constable who is present, may require such shop to be kept closed for such period as he may think necessary ;

Provided that where any such riot or unlawful assembly occurs the licensee shall, in the absence of such magistrate or police officer, close his shop without any order.

1. Subs. for (excise officer) by s. 2 of U. P. Act I of 1915.
2. Subs. by sec. 3 of U. P. Act no. 23 of 1970.
3. Subs. for (excise officer) by s. 2 of U. P. Act I of 1915.
4. Subs. for (excisable article) by the A. O. 1937.

56-पुलिस, नमक, अफीम तथा भू-राजस्व विभाग का प्रत्येक अधिकारी 1[आबकारी विभाग के अधिकारी] को इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के ऐसे समस्त उल्लंघनों की जो उसकी जानकारी में आयें, तुरन्त सूचना देने के लिए और ऐसे अधिकारी द्वारा निवेदन किए जाने पर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में 1[आबकारी विभाग के किसी अधिकारी] की सहायता करने के लिए बाध्य होगा ।

आबकारी विभाग के अधिकारियों को अपराधों की सूचना देने तथा उनकी सहायता करने का कतिपय विभागों के अधिकारियों का कर्तव्य

2[57]-प्रत्येक व्यक्ति जिसके स्वामित्व अथवा अध्यासन में कोई ऐसी भूमि या भवन हो जिस पर या जिसमें किसी मादक वस्तु का कोई अवैध निर्माण हुआ हो, या किन्हीं ऐसे पौधों की कोई अवैध खेती या संग्रहण हुआ हो जिनसे मादक भेषज तैयार किया जा सकता हो और ऐसे स्वामी या अध्यासी का अभिकर्ता, और किसी ऐसे जलयान या गाड़ी का, जिसमें इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल किसी मादक वस्तु का निर्माण किया जाय, प्रत्येक स्वामी, और प्रत्येक लेखपाल अथवा ग्राम्य पुलिस कर्मचारी जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी भूमि या भवन स्थित हो अथवा जलयान या गाड़ी पायी जाय, तत्सम्बन्धी सूचना जानकारी में आने पर, सिवाय उस दशा में जबकि उसके द्वारा ऐसा न करने के लिए उचित कारण हो, तुरन्त ही किसी मजिस्ट्रेट या आबकारी, पुलिस अथवा राजस्व विभाग के किसी अधिकारी को देने के लिए बाध्य होगा।]

स्वामी, अध्यासी, लेखपाल या ग्राम्य पुलिस कर्मचारियों का कुछ बातों की सूचना देने का कर्तव्य

58-थाने का प्रत्येक प्रभारी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत समस्त सामानों को जो उसे दिए जायें, किसी मजिस्ट्रेट या कलेक्टर का आदेश होने तक अपने प्रभार में ले लेगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और 3[आबकारी विभाग के किसी ऐसे अधिकारी] को जो ऐसे सामानों के साथ थाने तक जाय या जो इस प्रयोजन के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाय, ऐसे सामानों पर अपनी मुहर लगाने और उनकें तथा उनसे नमूने लेने की अनुज्ञा देगा । इस प्रकार लिए गए समस्त नमूनों पर थाने के प्रभारी अधिकारी की भी मुहर लगाई जायगी ।

थाने के प्रभारी अधिकारी का अभिगृहीत सामानों को प्रभार में लेने का कर्तव्य

59-जिला मजिस्ट्रेट लाइसेन्सधारी को लिखित नोटिस देकर यह अपेक्षा कर सकता है कि कोई भी दुकान जिसमें किसी 4[मादक वस्तु] का विक्रय किया जाता हो ऐसे समयों पर या ऐसी अवधि के लिए बन्द रखी जाय जिसे वह लोक शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे ।

लोक शांति के निमित्त दुकानें बन्द करने की शक्ति

यदि किसी ऐसी दुकान के सामीप्य में कोई दंगा होने की या व्यक्तियों का अवैध जमाव होने की आशंका हो या वह हो जाय तो किसी भी श्रेणी का मजिस्ट्रेट या कांस्टेबिल से उच्च पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी जो उपस्थित हो, ऐसी दुकान को उस अवधि के लिए बन्द रखने की अपेक्षा कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ कोई ऐसा दंगा हो जाय या व्यक्तियों का अवैध जमाव हो जाय तो लाइसेन्सधारी ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में, बिना किसी आदेश के अपनी दुकान बन्द कर देगा ।

1. सं० प्रा० अधिनियम सं० 1, 1915 की धारा 3 द्वारा (एक्साइज आफिसर) के लिये प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 23, 1970 की धारा 57 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. सं० प्रा० अधिनियम सं० 1, 1915 की धारा 2 द्वारा (एक्साइज आफिसर) के लिये प्रतिस्थापित।
4. एडेप्टेशन आफ आर्डर, 1937 द्वारा (एक्साइजएबूल आर्टिकल) के लिए प्रतिस्थापित।

CHAPTER — X
OFFENCES AND PENALTIES

**Penalty for
unlawful
import,
export,
transport
manufacture,
possession,
sale, etc.**

¹[**60.** (1) Whoever, in Contravention of this Act or of any rule or order made thereunder, or of any license, permit or pass obtained thereunder :—

- (a) exports any intoxicant ; or
- (b) transports or possesses any intoxicant which is not covered under section 63 of this Act ; or
- (c) collects or sells the leaves and stalks (not accompanied by flowering or fruiting tops) of natural and spontaneous growth of wild Indian Hemp plant (*Cannabis Sativa*) other than charas, ganja or any other intoxicating drug covered under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 ; or
- (d) constructs or works any distillery, brewery, manufactory or vintnery ; or
- (e) uses, keeps or has in his possession any material, still, utensil, implement or apparatus, whatsoever, for the purpose of manufacturing any intoxicant other than tari ; or
- (f) removes any intoxicant from any distillery, brewery, manufactory, vintnery or warehouse licensed, established or continued under this Act ; or
- (g) bottles any liquor for the purposes of sale ; or
- (h) sells any intoxicant, save in the case provided for by section 61 ; or
- (i) taps, or draws tari from any tari-producing tree in the areas notified under section 42 ;

shall be punished with imprisonment which may extend to two years and with fine which may extent to one thousand rupees in the case of an offence under sub clause (i) and in any other case, with imprisonment which may extend to three years and with fine which shall, not be less than ten times of the amount of consideration fee or duty which would have been leviabale if such intoxicant had been dealt with in accordance with this Act and the rules and orders made thereunder or in accordance with any license, permit or pass obtained thereunder, or two thousand rupees whichever is greater.

(2) Whoever in contravention of this Act or any rule or order made thereunder or of any license, permit or pass, obtained under this Act, manufactures any intoxicant shall be punished with imprisonment which shall not be less than six months and which may extend to three years and also with fine which shall not be less than five thousand rupees and which may extend to ten thousand rupees.

(3) Whoever, in contravention of this Act, or any rule or order made thereunder, consumes any intoxicant, shall be punished with fine which shall not be less than one thousand rupees and which may extend to two thousand rupees.]

1. *Subs.* by sec. 11 of U. P. Act 4 of 2018.

अध्याय – 10

अपराध और शास्तियां

1[60—(1) जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या आदेश अथवा तदधीन प्राप्त किसी लाइसेन्स, परमिट या पास का उल्लंघन करके, —

(क) किसी मादक वस्तु का निर्यात करता है, अथवा

(ख) इस अधिनियम की धारा 63 के अधीन अनाच्छादित किसी मादक वस्तु का परिवहन करता है या उसे कब्जे में रखता है ; अथवा

(ग) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन आच्छादित चरस, गांजा या किसी अन्य मादक औषधि से भिन्न प्राकृतिक एवं स्वतः उपज वाले जंगली भारतीय भांग (केनेबिस सेटाइवा) के पौधे की पत्तियां और छोटे डण्डल (जिनमें फूलों या फलों के अग्रभाग सम्मिलित नहीं हैं) का संग्रह या विक्रय करता है ; अथवा

(घ) कोई आसवनी "यवासवनी, विनिर्माणशाला" या द्राक्षासवनी निर्मित करता है या चलाता है ; या

(ङ) किसी प्रकार का कोई सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरण, ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के विनिर्माण के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त करता है या अपने पास या अपने कब्जे में रखता है ; अथवा

(च) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त, स्थापित या चालू किसी आसवनी, "यवासवनी, विनिर्माणशाला", द्राक्षासवनी या भाण्डागार से कोई मादक वस्तु हटाता है ; अथवा

(छ) विक्रय के प्रयोजन के लिये किसी शराब को बोतल में बन्द करता है ;

(ज) धारा 61 द्वारा उपबंधित दशा के सिवाय किसी मादक वस्तु का विक्रय करता है ; अथवा

(झ) धारा 42 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में ताड़ी पैदा करने वाले किन्हीं वृक्षों से ताड़ी चुराता है, या निकालता है ;

तो उसे कारावास से दण्डित किया जायेगा जो उपखण्ड (झ) के अधीन किसी अपराध की स्थिति में दो वर्ष तक हो सकता है और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और किसी अन्य स्थिति में कारावास से दण्डित किया जायेगा जो तीन वर्ष तक का हो सकता है और ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो प्रतिफल शुल्क की धनराशि या शुल्क जो, यदि ऐसी मादक वस्तु के संबंध में इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तदधीन प्राप्त किसी लाइसेन्स, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गई होती तो उदग्रहणीय होती, के दस गुने या दो हजार रुपये जो भी अधिक हो, से कम न होगी ।

(2) जो कोई इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी लाइसेन्स, परमिट या पास का उल्लंघन करके, किसी मादक वस्तु का निर्माण करता है, उसे कारावास जो छः मास से कम नहीं होगा और जो तीन वर्ष तक हो सकता है, का दण्ड दिया जायेगा और उसे जुर्माने का भी दण्ड दिया जायेगा जो पाँच हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रुपये तक हो सकता है ।

(3) जो कोई इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये आदेश का उल्लंघन करके किसी मादक वस्तु का उपभोग करता है, उसे जुर्माने का दण्ड दिया जायेगा जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो दो हजार रुपये तक हो सकता है ।]

अवैध आयात,
निर्यात, परिवहन,
निर्माण, कब्जा,
विक्रय आदि के
लिए शास्ति

Penalty for mixing noxious substance with intoxicant and selling of noxious substance under the garb of intoxicant

¹**60-A.** Whoever, adulterates or causes to be adulterated any intoxicant by mixing any other substance or foreign ingredient to make such intoxicant noxious or sells, offers or makes or causes to be sold or offered or made available such noxious intoxicant or any other noxious substance for consumption in the garb of an intoxicant, likely to cause disability or hurt or grievous hurt or death or any other consequential injury to human beings, shall be punished ;

(a) if as a result of such an act, death is caused, with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine which may extend to ten lakh rupees but shall not be less than five lakh rupees ;

(b) if as a result of such an act, disability or grievous hurt is caused, with imprisonment for life or rigorous imprisonment which may extend to ten years but shall not be less than six years and with fine which may extend to ten years but shall not be less than six years and with fine which may extend to five lakh rupees but shall not be less than three lakh rupees ;

(c) if as a result of such an act, any hurt or any other consequential injury is caused to any person, with imprisonment for a term which may extend to two years but shall not be less than one year and fine which may extend to two lakh fifty thousand rupees but shall not be less than one lakh twenty five thousand rupees.

Explanation :— For the purpose of this section the expression “hurt and grievous hurt” shall have the same meaning as in section 319 and section 320 respectively of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. XLV of 1860).]

60-B. [*Security for abstaining from cocaine offences.*] ²[* * *]

Penalty for unlawful selling to persons under ⁴[twenty-one], or employing persons under ⁴[twenty-one] or women

³**61.** If any licensed vender, or any person in his employ and acting on his behalf —

(a) in contravention of section 22 sells or delivers any liquor or intoxicating drug to any person apparently under the age of ⁴[twenty-one] years ; or

(b) in contravention of section 23 employs or permits to be employed on any part of his licensed premises referred to in that section, any person under the age of ⁴[twenty-one] years or any woman; he shall be punished with fine which may extend to one thousand rupees.]

Penalty for rendering denatured spirit fit for human consumption

⁵**62.** Whoever renders or attempts to render fit for human consumption any spirit, whether manufactured in India or not, which has been denatured, or has in his possession any denatured spirit which has been rendered fit for human consumption or in respect of

1. *Ins.* by sec. 12 of U. P. Act 4 of 2018.
2. *Sec.* 60-B which was ins. by s. 4 of U. P. Act IV of 1919, *omit.* by s. 40 Sch. II of Act II of 1930.
3. *Subs.* by sec. 5 of U. P. Act 23 of 1970.
4. *Subs.* by sec. 13 of U. P. Act 9 of 1978.
5. *Subs.* by sec. 14 of U.P. Act 9 of 1978.

1[60-क]—जो कोई किसी मादक पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ या विजातीय द्रव्य से उसे अपायकर करने हेतु मिश्रित करता है या मिश्रित करने देता है या ऐसे अपायकर मादक वस्तु या किसी अन्य अपायकर पदार्थ का किसी मादक वस्तु की ओट में उपभोग हेतु विक्रय करता है, उसे प्रदान करता है या विक्रय करवाता है या करने देता है या उपलब्ध करवाता है, जिससे मानव को विकलांगता या उपहति या घोर उपहति या मृत्यु या कोई अन्य परिणामी क्षति होना सम्भावित हो, को दण्डित किया जायेगा, —

अपायकर पदार्थ को मादक वस्तु में मिश्रित करने के लिये तथा अपायकर पदार्थ को मादक वस्तु की ओट में बिक्री करने के लिये शास्ति

(क) यदि ऐसे किसी कृत्य के फलस्वरूप मृत्यु होती है, तो उसे मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने, जो दस लाख रुपये तक हो सकता है, किन्तु जो पाँच लाख रुपये तक हो सकता है, किन्तु तीन लाख रुपये से कम न होगा ;

(ख) यदि ऐसे किसी कृत्य के फलस्वरूप विकलांगता या घोर उपहति होती है, तो आजीवन कारावास अथवा कठोर कारावास से जो दस वर्ष तक हो सकता है किन्तु छः वर्ष से कम न होगा, और जुर्माना से, जो पाँच लाख रुपये तक हो सकता है, किन्तु तीन लाख रुपये से कम न होगा ;

(ग) यदि ऐसे कृत्य के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को कोई उपहति या कोई अन्य परिणामी क्षति पहुँचती है, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक हो सकता है, किन्तु एक वर्ष से कम न होगा और जुर्माना से, जो दो लाख पचास हजार रुपये तक हो सकता है किन्तु एक लाख पच्चीस हजार रुपये से कम न होगा ।

स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "उपहित" या "घोर उपहति" के अर्थ वही होंगे जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की क्रमशः धारा 319 एवं 320 में है ।]

60-ख— कोकीन से सम्बन्धित अपराधों से प्रविरत रहने के लिए प्रतिभूति] * * *2

3[61-क]— यदि कोई लाइसेन्स प्राप्त विक्रेता अथवा उसके सेवायोजन में और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति —

[इक्कीस]⁴ वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के हाथ अवैध रूप से बेचने अथवा [इक्कीस]⁴ वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों या महिलाओं को सेवायोजित करने के लिए शास्ति

(क) धारा 22 का उल्लंघन करके कोई शराब या मादक भेषज किसी ऐसे व्यक्ति को बेचता है या देता है जो स्पष्टतः [इक्कीस]⁴ वर्ष से कम आयु का हो ; या

(ख) धारा 23 का उल्लंघन करके अपने लाइसेन्स प्राप्त भू-गृहादि के किसी भाग में जिसका उल्लेख उक्त धारा में किया गया है, [इक्कीस]⁴ वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति, को या किसी महिला को, सेवायोजन में रखता है अथवा सेवायोजित करने की अनुज्ञा देता है तो उसे अर्थ दण्ड दिया जायगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है]]

5[62]—जो कोई किसी ऐसी स्प्रिट को, चाहे वह भारत में निर्मित हुई हो या नहीं जो विकृत हो गया हो मानव उपभोग के योग्य बनाता है या बनाने का प्रयास करता है या कब्जे में कोई ऐसी विकृत स्प्रिट रखता है जो मानव उपभोग के योग्य बनाई गई हो या जिसके संबंध में उसे इस योग्य बनाने का कोई प्रयास किया गया हो उसे ऐसी अवधि के

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 12 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. 60-ख जो सं० प्रा० अधिनियम संख्या 4, 1919 की धारा 4 द्वारा अन्तर्विष्ट थी अधिनियम संख्या 2, 1930 की धारा 40 अनुसूची 2 द्वारा निकाली गयी ।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 23, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 1978 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 1978 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।

which any attempt has been made to render it so fit shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than six months and which may extend to three years, and shall also be ¹[liable to fine which shall not be less than five thousand rupees and which may extend to ten thousand rupees].

Explanation :— For the purposes of this section, it shall be presumed that any spirit which is proved to contain any quantity of any denaturant is, or contains or has been derived from denatured spirit.]

¹[Penalty for unlawful import of intoxicant and transport or possession of unlawfully imported intoxicant etc.]¹

²[**63.** Whoever, in contravention of this Act, or of any rule or order made thereunder, imports any intoxicant or transports or has in his possession any quantity of any intoxicant unlawfully imported, shall be punished with imprisonment which shall not be less than six months and which may extend to five years and also with fine which shall not be less than ten times the amount of excise duty or consideration fee under section 30 which would have been leviable if such intoxicant had been dealt with in accordance with this Act and the rules and orders made thereunder or in accordance with any licence, permit or pass obtained thereunder or five thousand rupees whichever is greater.]

Penalty for certain acts by licensee or his servant

³[**64.** Whoever, being the holder of a licence, permit or pass granted under this Act, or being in the employ of such holder and acting on his behalf —

(a) fails to produce such licence, permit or pass on the demand of any Excise Officer or of any other officer duly empowered to make such demand ; or

(b) willfully does or omits to do, anything in breach of any of the conditions of the licence, permit or pass not otherwise provided for in this Act; or]

⁴ [(c) save in a case provided for by section 60, willfully contravenes any rule made under sections 40 and 41 shall, for each such offence, be punished with fine which shall not be less than one thousand rupees and which may extend to five thousand rupees.]

shall be punishable for each such offence with fine which may extend to five hundred rupees.]

Penalty for adulteration etc. by licenced vendor or manufacturer

⁵[**64-A.** (1) ⁶[X X X X]

(2) Whoever, being the holder of a licence for the sale or manufacture of any intoxicant under this Act, or a person in the employ of such holder sells or keeps or exposes for sale, as foreign liquor, which he knows or has reason to believe to be country liquor, shall be

1. Subs. by sec. 13 of U.P. Act 4 of 2018.
2. Subs. by sec. 14 of U. P. Act 4 of 2018.
3. Subs. by sec. 16 of U. P. Act 9 of 1978.
4. Subs. by sec. 15 of U. P. Act 4 of 2018.
5. Ins. by sec. 17 of U. P. Act 9 of 1978.
6. Omit. by sec. 16 of U. P. Act 4 of 2018.

लिये जो छः मास से कम नहीं होगी और जो तीन वर्ष तक हो सकती है, कारागार का दण्ड दिया जायेगा और वह अर्थदण्ड से 1[जो पाँच हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ यह उपधारणा की जायेगी कि कोई स्प्रिट जिसके बारे में यह साबित हो जाये कि उसमें किसी मात्रा में विकारक तत्व है, विकृत स्प्रिट है या उसमें विकृत स्प्रिट मिला है या वह विकृत स्प्रिट से व्युत्पन्न है।]

2[63—जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करके अवैध रूप से आयातित किसी मात्रा में मादक वस्तु का परिवहन करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, उसे ऐसे कारावास से, जो छः मास से कम नहीं होगा और जो पाँच वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माना से जो धारा 30 के अधीन उत्पाद शुल्क या प्रतिफल शुल्क की धनराशि जो, यदि किसी मादक वस्तु के संबंध में इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तदधीन प्राप्त लाइसेन्स, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उदग्रहणीय होती, के, दस गुने या पाँच हजार रुपये, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा।]

2[मादक वस्तु के अवैध आयात के लिये शास्ति]

3[64—जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस, परमिट या पास का धारक होते हुये या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुये, और उसकी ओर से कार्य करते हुये —

लाइसेंसधारी या उसके सेवक द्वारा कतिपय कार्यों के लिये शास्ति

(क) किसी आबकारी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर, जो इस प्रकार माँगने के लिये सम्यक रूप से अधिकृत हो, ऐसा लाइसेंस, परमिट या पास प्रस्तुत नहीं करता है, या

(ख) लाइसेंस, परमिट या पास की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करके जानबूझ कर कोई ऐसा कार्य या कार्य—लोप करता है जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्ध न हो, या

4[(ग) ऐसे मामले जिसके लिये धारा 60 में उपबंध है, से भिन्न किसी मामले में धारा 40 एवं 41 के अधीन बनाये गये किसी नियम का जानबूझ कर उल्लंघन करता है, उसे प्रत्येक ऐसे अपराध के लिये जुर्माना, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा।]

5[64—क— (1) 6[X X X X]

लाइसेंस प्राप्त विक्रेता या निर्माता द्वारा अपमिश्रण आदि के लिये शास्ति

(2) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी मादक वस्तु के विक्रय या निर्माण के लिये लाइसेंस धारक होते हुये या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुये किसी ऐसी शराब जिसके बारे में वह जानता है या उसे विश्वास करने का कारण है कि वह देशी शराब है,

1. उ०प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 1978 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 1978 की धारा 17 द्वारा बढ़ाया गया।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 16 द्वारा निकाला गया।

punished with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine which may extend to ¹[five thousand rupees];

Provided that the punishment shall not be less than —

(i) imprisonment for three months and fine of ²[two thousand rupees] for the first offence, and

(ii) imprisonment for six months and fine of ³[three thousand rupees] for each of the second and subsequent offences.

Penalty for consumption in chemists shop.

⁴**[65.** (1) If any chemist, druggist, apothecary or keeper of dispensary allows any intoxicant which has not been *bona fide* medicated for medicinal purposes to be consumed on his business premises by any person not employed in his business, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to ⁵[one year] or with fine which may extend to ⁵[five thousand rupees] or with both].

(2) If any person not employed as aforesaid consumes any such intoxicant on such premises, he shall be punished with fine which may extend to ⁶[one thousand rupees.]

Penalty for excise of refusing to do

66. Any excise officer who without lawful excuse shall cease or refuse to perform, or shall withdraw himself from the duties of his office, unless expressly allowed to do so in writing by the Excise Commissioner, or unless he shall have given to his superior officer two months' notice in writing of his intention to do so, shall be punished with imprisonment which may extend to ⁷[one year] or with fine which may extend to ⁸[five thousand rupees] or with both.

Penalty for excise officer making vexatious search, etc.

67. If any excise officer —

(a) without reasonable grounds of suspicion enters, inspects or searches, or causes to be entered, inspected or searched, any place ; or

(b) vexatiously and unnecessarily seize any property of any person on the pretence of seizing or searching for any article liable to confiscation under this Act ; or

(c) vexatiously and unnecessarily details, searches or arrests any person ; he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to ⁷[one year] or with fine which may extend to ⁸[five thousand rupees] or with both.

Penalty for offence not otherwise provided

⁹**[68.** Whoever is guilty of any act or intentional omission in contravention of any of the provisions of this Act, or of any rule or order made under this Act and not otherwise provided for in this Act,

1. Subs. by sec. 16(b) of U. P. Act 4 of 2018.
2. Subs. by sec. 16(c) of *ibid.*
3. Subs. by sec. 16(c) *ibid.*
4. Subs. by sec. 8 of U. P. Act 23 of 1970.
5. Subs. by sec. 17(a) of U. P. Act 4 of 2018.
6. Subs. by sec. 17(b) of U.P. Act 4 of 2018.
7. Subs. by sec. 18 of U. P. Act 4 of 2018.
8. Subs. by sec. 19 of U.P. Act 4 of 2018.
9. Subs. by sec. 9 of U.P. Act 23 of 1970.

उसे कारावास का दण्ड जो तीन वर्ष तक हो सकता है, और अर्थ-दण्ड जो 1[पांच हजार रुपये] तक हो सकता है, दिया जायगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि दण्ड निम्नलिखित से कम न होगा —

(एक) प्रथम अपराध के लिये तीन मास का कारावास और 2[दो हजार रुपये] का अर्थ-दण्ड, और

(दो) प्रत्येक द्वितीय और अनुवर्ती अपराधों के लिये छः मास का कारावास और 3[तीन हजार रुपये] का अर्थ-दण्ड ।]

4 [65—(1) यदि कोई केमिस्ट, औषधि विक्रेता, औषधिक (अपोथेकेरी) या कोई औषधालय रखने वाला किसी ऐसी मादक वस्तु को जिसे यथार्थ रूप में औषधीय प्रयोजन के लिए औषधियुक्त ना किया गया हो, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसके व्यवसाय में सेवायोजित न हो, अपने व्यवसाय के भू-गृहादि में उपभोग किए जाने की अनुज्ञा देता है तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जायगा जो 5[एक वर्ष] तक हो सकता है या अर्थदण्ड दिया जायगा जो 5[पांच हजार रुपये] तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिए जायेंगे ।

केमिस्ट की दुकान, आदि में उपभोग करने के लिए शास्ति

(2) यदि कोई व्यक्ति जो पूर्ववत प्रकार से सेवायोजित न हो ऐसे भू-गृहादि में किसी ऐसी मादक वस्तु का उपभोग करता है तो उसे अर्थ-दण्ड दिया जायगा जो 6[पांच हजार रुपये] तक हो सकता है ।

66—किसी ऐसे आबकारी अधिकारी को, जो बिना वैध कारण के अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने से परिविरत हो जाय या उनका पालन करने से इन्कार कर दे या उनका पालन न करे, जब तक आबकारी आयुक्त द्वारा उसे ऐसा करने की अभिव्यक्त रूप में लिखित अनुज्ञा न दी गई हो या जब तक उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को ऐसा करने के अपने अभिप्राय का दो माह का नोटिस न दे दिया हो, कारावास का दण्ड दिया जायगा जो 7[एक वर्ष] तक हो सकता है या अर्थ दण्ड दिया जायगा जो 7[पांच हजार रुपये] तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिए जायेंगे ।

कर्तव्य पालन करने से इन्कार करने पर आबकारी अधिकारी के लिए शास्ति

67—यदि कोई आबकारी अधिकारी —

(क) सन्देह के उचित कारणों के बिना किसी स्थान में प्रवेश करता है, उसका निरीक्षण करता है या उसकी तलाशी लेता है अथवा उसमें प्रवेश करवाता है, उसका निरीक्षण करवाता है या उसकी तलाशी लिवाता है ; या

क्षोभकारी, तलाशी आदि लेने वाले आबकारी अधिकारी के लिए शास्ति

(ख) इस अधिनियम के अधीन जब्त किए जाने योग्य किसी पदार्थ को अभिगृहीत करने या उसकी तलाशी लेने के बहाने किसी व्यक्ति की किसी सम्पत्ति को क्षोभकारी और अनावश्यक रूप से अभिगृहीत करता है ; या

(ग) किसी व्यक्ति को क्षोभकारी और अनावश्यक रूप से निरूद्ध करता है, उसकी तलाशी लेता है या उसे गिरफ्तार करता है, तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जायगा जो 8[एक वर्ष] तक हो सकता है या अर्थ दण्ड दिया जायगा जो 8[पांच हजार रुपये] तक का हो सकता है, या दोनों दण्ड दिये जायेंगे ।

9[68—जो व्यक्ति इस अधिनियम के, अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में किसी कार्य

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 16 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 16ग द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 16ग द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 23, 1970 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 17(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 17(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।
8. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित ।
9. उ० प्र० अधिनियम सं० 23, 1970 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[The United Provinces Excise Act, 1910]

shall be punished for each such act or omission with fine which may extend to ¹[five thousand rupees].²

[Enhanced punishment after previous conviction]³

³**69.** If any person, after having been previously convicted of an offence punishable under section 60, section 62, section 63 or section 65 or under the provisions of those sections as they stood from time to time subsequently commits and is convicted of an offence punishable under any of these sections, he shall be liable to twice the punishment which may be imposed on a first conviction under this Act;

Provided that in the case of conviction for a second or subsequent offence under sub-section (1) of section 60, section 63, or section 65 a sentences of imprisonment for a term of not less than ⁴[one year], with fine, and in the case of conviction for a second or subsequent offence under sub-section (2) of section 60 or section 62 a sentence of imprisonment for a term of not less than ⁴[two year] with fine, shall be passed ;

Provided further that nothing in this section shall prevent any offence that might otherwise have been tried summarily under Chapter XXI of the Code of Criminal Procedure, 1973 from being so tried.]

[Demand for security for abstaining from commission of certain offences]

⁵**69-A.** (1) Whenever any person is convicted of an offence punishable under the provisions of ⁶[section 60, section 60-A, section 62, section 63 or of section 65] the court convicting such person may, at the time of passing the sentence on such person order him to execute a bond for a sum proportionate to his means, with or without sureties, to abstain from the commission of any offence punishable under the said provisions during such period not exceeding three years as it may direct.

Act V of [1973]⁶

(2) The provisions of the Code of Criminal procedure, ⁷[1973] shall mutatis mutandis apply to all matters connected with such bond s if it were a bond to keep the peace ordered to be executed under section 106 of the said Code.

Penalty for abetment

Act LV of 1860

⁵**69-B.** Whoever abets an offence punishable under this Act shall, whether such offence be or be not committed in consequence of such abetment and notwithstanding anything contained in section 116 of the Indian Penal Code, be punished on conviction for such abetment with the same punishment as is provided for the principal offence.

Offence by companies

⁵**69-C.** (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to, the company for]

1. Subs. by sec. 20 of U. P. Act 4 of 2018.
2. Subs. by sec. 9 of U.P. Act 23 of 1970.
3. Subs. by sec. 18 of U. P. Act 9 of 1978.
4. Subs. by sec. 21 of U. P. Act 4 of 2018.
5. Ins. by sec. 11 of U.P. Act 23 of 1970.
6. Subs. by sec. 22 of U. P. Act 4 of 2018.
7. Subs. by sec. 19(b) of U. P. Act 9 of 1978.

का या साभिप्राय कार्य लोप का जिसकी इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, दोषी हो, उसे प्रत्येक कार्य या कार्यलोप के लिए अर्थदण्ड दिया जायगा जो 1[पांच हजार रूपए" तक हो सकता है।]²

³[69—यदि कोई व्यक्ति धारा 60, धारा 62, धारा 63, या धारा 65 के अधीन या उन धाराओं के उपबंधों के अधीन जैसे कि वे समय-समय पर थे, दण्डनीय किसी अपराध के लिये पहले सिद्ध दोष ठहराये जा चुकने के पश्चात इन धाराओं में से किसी धारा के अधीन दण्डनीय अपराध करता है और सिद्ध दोष ठहराया जाता है, तो वह उस दण्ड से दुगुना दण्ड पाने का भागी होगा जो इस अधिनियम के अधीन पहली दोषसिद्धि पर आरोपित किया जा सकता हो ;

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 60 की उपधारा (1) या धारा 63 या धारा 65 के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये दोष-सिद्ध की स्थिति में अर्थ-दण्ड सहित कम से कम ⁴[एक वर्ष] की अवधि के कारावास का दण्ड दिया जायगा और धारा 60 की उपधारा (2) या धारा 62 के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये दोष-सिद्ध की स्थिति में अर्थ-दण्ड सहित कम से कम ⁴[दो वर्ष] की अवधि के कारावास का दण्ड दिया जायगा ;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसे अपराध के लिये, जिस पर अन्यथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 21 के अधीन सरसरी तौर पर विचार किया जा सकता हो, इस प्रकार विचार किये जाने में रूकावट नहीं डालेगी।]

⁵[69—क—(1) जब कभी कोई व्यक्ति ⁶[धारा 60, धारा 60क, धारा 62, धारा 63 या धारा 65] उपबन्धों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष हो, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी सिद्ध करने वाला न्यायालय उसे दण्डादेश देते समय यह आदेश दे सकता है कि वह तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि में, जैसा वह निर्देश दे, उक्त उपबन्धों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करने से परिवर्तन के लिए, प्रतिभूतियों सहित अथवा बिना प्रतिभूतियों के, ऐसी धनराशि का जो, उसके साधनों के अनुपात में हो, एक बन्धपत्र निष्पादित करे ।

कतिपय अपराधों को, करने से परिवर्जन के लिए प्रतिभूति की मांग करना

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 7[1973] ई० के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसे बन्ध-पत्र से सम्बद्ध समस्त विषयों पर लागू होंगे मानों कि यह बन्ध-पत्र शान्ति बनाए रखने के लिए उक्त संहिता की धारा 106 के अधीन दिए गए आदेश से निष्पादित बन्ध-पत्र हो ।

अधिनियम संख्या 2, 1974

⁵69—ख—जो व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 116 में किसी बात के होते हुए भी, दोष-सिद्धि पर ऐसे दुष्प्रेरण के लिए वही दण्ड दिया जायगा, जो मूल अपराध के लिए उपबन्धित है, चाहे ऐसा अपराध ऐसे दुष्प्रेरण के फलस्वरूप किया गया हो अथवा नहीं ।

दुष्प्रेरण के लिए शास्ति अधि. संख्या 45, 1860

⁵69—ग—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय उसका व्यवसाय चलाने के

कम्पनियों द्वारा अपराध

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 23, 1970 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 1978 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 23, 1970 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 1978 की धारा 19ख द्वारा प्रतिस्थापित ।

the conduct of its business, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly ;

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance, of or is attributable to any neglect on the part of, and director, manager, secretary, managing agent, secretaries and treasurers, or other officer of the company, such director, manager, secretary or managing agent, secretaries and treasurers, or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation— For the purposes of this section —

¹[(a) ‘company’ means anybody corporate and includes a firm or other association of individuals ; and

(b) ‘director’ in relation to a firm, means a partner in the firm.]

**Cognizance
of offence**

70. (1) No Magistrate shall take cognizance —

²[(a) of an offence punishable under section 60, section 60-A, section 62, section 63, section 64-A, section 65 or section 69-B, except on his own knowledge or suspicion or on the complaint or report of an Excise Officer ; or]

(b) of an offence punishable under section 64, section 66, section 67 or section 68 except on the complaint or report of the Collector or an Excise Officer authorized by him by a general or special order in that behalf.

³[(2) Except with the special sanction of the State Government no Magistrate shall take cognizance of any offence punishable under this Act other than an offence committed or abetted under sub-section (a) and (b) of section 60-A and section 67, unless the prosecution is instituted within a year after the date on which the offence is alleged to have been committed.]

**Presumption
as to
commission
of offence in
certain cases**

71. In every prosecution under ⁴[section 60, section 60-A] it shall be presumed, until the contrary is proved, that the accused person has committed an offence punishable under that section in respect of —

1. Ss. 69-A, 69-B and 69-C added by section 11 of U. P. Act no. 23 of 1970.

2. Subs. by sec. 23(a) of U. P. Act 4 of 2018.

3. Subs. by sec. 23(b) of U.P. Act 4 of 2018.

4. Subs. by sec. 24(a) of U. P. Act 4 of 2018.

लिये कम्पनी का प्रभारी तथा उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो और साथ ही कम्पनी भी अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी गयी किसी बात से ऐसा व्यक्ति दण्ड का भागी नहीं होगा यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसा अपराध किये जाने को रोकने के लिये सभी प्रकार का यथोचित परिश्रम किया था ।

(2) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाय कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेटरीज एवं ट्रेजरर्स अथवा अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस पर उसकी किसी उपेक्षा के कारण अरोप्य हो तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव, मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेटरीज एवं ट्रेजरर्स अथवा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जायेगा तथा तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए —

1[(ए) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ भी है ; और

(बी) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है ।]

70—(1) कोई मजिस्ट्रेट जब तक कि —

अपराधों का संज्ञान

2[(क) उसकी अपनी जानकारी या सन्देह न हो अथवा किसी आबकारी अधिकारी द्वारा परिवाद या रिपोर्ट न किया जाय, धारा 60, धारा 60क, धारा 62, धारा 63, धारा 64क, धारा 65 या धारा 69 ख के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का ; या]

(ख) कलेक्टर या उसके द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी आबकारी अधिकारी द्वारा परिवाद या रिपोर्ट न की जाय, धारा 64, धारा 66, धारा 67 या धारा 68 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान न करेगा,]

3[(2) राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति के बिना कोई मजिस्ट्रेट, धारा 60क की उपधारा (क) तथा (ख) एवं धारा 67 के अधीन किये गये अथवा उसके लिये दुष्प्रेरित किसी अपराध से भिन्न इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि अभियोजन, उस दिनांक, जिस दिनांक को अपराध किया जाना अभिकथित हो, के पश्चात् एक वर्ष के भीतर न संस्थित किया जाय ।]

71—⁴[धारा 60, धारा 60क] के अधीन प्रत्येक अभियोजन में जब तक इसके प्रतिकूल सिद्ध न कर दिया जाय, वह उपधारणा की जायेंगी कि अभियुक्त व्यक्ति ने निम्नलिखित के सम्बन्ध में उक्त धारा के अधीन दण्डनीय अपराध किया है —

कुछ मामलों में अपराधों के किये जाने के सम्बन्ध में उपधारणा

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 23, 1970 ई० की धारा 11 द्वारा धारायें 69—क, 69—ख, 69—ग बढ़ाई गई ।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 23(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 23(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 24(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(a) any ¹[intoxicant] ; or

(b) any still, utensil, implement or apparatus whatsoever for the manufacture of any ¹[intoxicant] other than tari ; or

(c) any materials which have undergone any process towards the manufacture of an ¹[intoxicant] or from which an ¹[intoxicant] has been manufactured ; for the possession of which he is unable to account satisfactorily ;

and the holder of a license, permit or pass under this Act shall be liable to punishment, as well as the actual offender, for any offence punishable under ²[section 60, section 60-A, section 62], section 63 or section 64 committed by any person in his employ and acting on his behalf as if he had himself committed the same, unless he shall establish that all due and reasonable precautions were exercised by him to prevent the commission of such offence ;

³[Provided that, notwithstanding anything to the contrary in sections 60A and 69B, no person other than the actual offender shall be punished with imprisonment except in default of payments of fine.]

[Provisions regarding pardon, etc. to apply Offences under the Act]⁴

⁴**[71-A.** The provisions of sections 306 and 308 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall apply in relation to offences punishable under this Act as they apply in relation to offences mentioned in section 306 of the said Code.]

What things are liable to confiscation

72. (1) Whenever an offence punishable under this Act has been committed —

(a) every ¹[intoxicant] in respect of which such offence has been committed ;

(b) every still, utensil, implement or apparatus and all materials by means of which such offence has been committed ;

(c) every ¹[intoxicant] lawfully imported, transported, manufactured, held in possession or sold along with or in addition to any [intoxicant]¹ liable to confiscation under clause (a) ;

(d) every receptacle, package and covering in which any ¹[intoxicant] as aforesaid or any materials, still, utensil, implement or apparatus is or are found, together with the other contents (if any) of such receptacle or package ; and

(e) every animal, cart, vessel or other conveyance used in carrying such receptacle or package ; shall be liable to confiscation.

When confiscation may be ordered

⁵[(2) Where anything or animal is seized under any provision of this Act, the officer seizing and detaining such property shall, within

1. Subs. for (excisable article) by the A. O. 1937.
2. Subs. by sec. 7A of U. P. Act 4 of 2018.
3. Subs. by sec. 24(b) of U. P. Act 4 of 2018.
4. Subs. by sec. 21 of U. P. Act no. 9 of 1978.
5. Subs. by sec. 25 of U. P. Act 4 of 2018.

(क) किसी ¹[मादक वस्तु] या

(ख) ताड़ी से भिन्न किसी ¹[मादक वस्तु] के निर्माण के लिए किसी भी प्रकार के किसी भभके, बर्तन, औजार या उपकरण ; या

(ग) किन्हीं ऐसे सामानों, जिस पर किसी ¹[मादक वस्तु] के निर्माण के सम्बन्ध में प्रक्रिया की गई हो या जिनसे कोई ¹[मादक वस्तु] के निर्मित की गई हो, जिन्हें अपने कब्जे में रखने के सम्बन्ध में वह कोई सन्तोषजनक कारण बताने में असमर्थ हो ;

और इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स, परमिट या पास का धारक तथा वास्तविक अपराधी भी ²[धारा 60, धारा 60क,] धारा 62, धारा 63 या धारा 64 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए, जो उसके सेवायोजक में और उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, दण्ड का भागी होगा मानो उस अपराध को उसने स्वयं किया हो, जब तक कि वह यह न सिद्ध कर दे कि ऐसे अपराध को किए जाने से रोकने के लिए उसने सभी सम्यक और उचित पूर्वोपाय किए थे ;

³[प्रतिबन्ध यह है कि धारा 60क तथा धारा 69ख में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी वास्तविक अपराधी से भिन्न किसी व्यक्ति को जुर्माना देने में व्यतिक्रम के सिवाय कारावास का दण्ड नहीं दिया जायेगा ।]

⁴[71—क—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 306 और 308 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त संहिता की धारा 306 में उल्लिखित अपराधों के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।]

⁴क्षमा आदि संबंधित उपबन्ध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों पर लागू होंगे]

72—(1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया हो तो —

कौन सी वस्तुएं जब किये जाने योग्य होंगी।

(क) ऐसी प्रत्येक जिसके सम्बन्ध में ऐसा अपराध किया गया हो ;

(ख) ऐसा प्रत्येक भभका, बर्तन, औजार या उपकरण और समस्त सामान जिनके द्वारा उक्त अपराध किया गया हो ;

(ग) प्रत्येक जो विधिपूर्वक आयात की गई हो, जिसका परिवहन किया गया हो, जो निर्मित की गई हो, कब्जे में रखी गई हो या खण्ड (क) के अधीन जब्त की जाने योग्य किसी के साथ—साथ या उसके अतिरिक्त बेंच दी गई हो ;

(घ) प्रत्येक पात्र, संवेष्टन और आवरण जिसमें यथापूर्वोक्त कोई या कोई सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरण हो या ऐसे पात्र या संवेष्टन की किसी अन्य अन्तर्वस्तु (यदि कोई हो) के साथ—साथ पाया जाय ; और

(ङ) प्रत्येक पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन जो ऐसे पात्र या संवेष्टन के लाने ले जाने के लिए प्रयोग किया जाय ;

जब्त किए जाने योग्य होगा ।

⁵[(2) जहाँ इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी वस्तु या पशु का अभिग्रहण किया जाय वहां ऐसी सम्पत्ति को अभिग्रहीत एवं निरुद्ध करने वाला अधिकारी, ऐसे

1. एडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (एक्साइजेबिल आर्टिकल) के लिए प्रतिस्थापित ।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 24(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 1978 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित ।

three working days from the date of such seizure and detention ; produce a detailed report for confiscation along with such seized property, seizure memo and other relevant documents before the Collector. The Collector shall, upon receiving the said report along with seizure memo and seized property, immediately order for safe custody and storage of goods as he may deem fit. The Collector, if satisfied for reasons to be recorded that an offence has been committed due to which such thing or animal has become liable to confiscation under sub-section (1), he may order confiscation of such thing or animal whether or not a prosecution for such offence has been instituted ;

Provided that in the case of anything (except an intoxicant) or animal referred to in sub-section (1), the owner thereof shall be given an option to pay in lieu of its confiscation such fine as the Collector thinks adequate, not exceeding its market value on the date of its seizure.]¹

²[(3) Where the Collector on receiving report of seizure or on inspection of the seized thing, including any animal, cart, vessel or other conveyance, is of the opinion that any such thing or animal is subject to speedy wear and tear or natural decay or it is otherwise expedient in the public interest so to do he may order such thing (except an intoxicant) or animal to be sold at the market price by auction or otherwise.

(4) Where any such thing or animal is sold as aforesaid, and —

(a) no order of confiscation is ultimately passed or maintained by the Collector under sub-section (2) or on review under sub-section (6) ; or

(b) an order passed on appeal under sub-section (7) so requires; or

(c) in the case of a prosecution being instituted for the offence in respect of which the thing or the animal is seized, the order of the Court so requires ;

the sale proceeds after deducting the expenses of the sale shall be paid to the person found entitled thereto.

(5) (a) No order of confiscation under this section shall be made unless the owner thereof or the person from whom it is seized is given—

(i) a notice in writing informing him of the grounds on which such confiscation is proposed ;

(ii) an opportunity of making a representation in writing within such reasonable time as may be specified in the notice ; and

(iii) a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(b) Without prejudice to the provisions of clause (a), no order confiscating any animal, cart, vessel, or other conveyance shall be

1. *Subs.* by sec. 25 of U.P. Act No. 4, 2018.

2. *Ins.* by sec. 7 of U.P. Act No. 13, 1979.

अभिग्रहण एवं निरुद्धता के दिनांक से तीन कार्य दिवस के भीतर, ऐसी अभिग्रहीत सम्पत्ति, अभिग्रहण ज्ञापन और अन्य सुसंगत दस्तावेजों सहित अधिहरण हेतु विस्तृत रिपोर्ट कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगा । कलेक्टर अधिग्रहण ज्ञापन और अभिग्रहीत सम्पत्ति सहित उक्त रिपोर्ट प्राप्त करने पर तत्काल माल की सुरक्षित अभिरक्षा और भण्डारण हेतु आदेश देगा, जैसा कि वह उचित समझे । यदि अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से कलेक्टर को यह समाधान हो जाय कि कोई अपराध किया गया है जिसके कारण ऐसी वस्तु या पशु उपधारा (1) के अधीन अधिहरण किये जाने का दायी हो गया है, तो वह ऐसी वस्तु या पशु का अधिहरण करने का आदेश दे सकता है चाहे ऐसे अपराध के लिये अभियोजन संस्थित किया गया हो या न किया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी वस्तु (मादक वस्तु को छोड़कर) या पशु की स्थिति में उसके स्वामी को यह विकल्प दिया जायेगा कि वह उसके अधिहरण के बदले में उसका अभिग्रहण किये जाने के दिनांक को उसके बाजार मूल्य से अनधिक जुर्माना का भुगतान करे, जिसे कलेक्टर पर्याप्त समझे।¹

2[(3) जहाँ अभिग्रहण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अभिग्रहीत वस्तु का जिसके अन्तर्गत कोई पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन भी है, निरीक्षण करने पर कलेक्टर की यह राय हो कि कोई ऐसी वस्तु या पशु शीघ्रता से क्षीण और दुर्बल या प्राकृतिक रूप से क्षय होने वाला है या अन्यथा लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, वहां वह ऐसी वस्तु (मादक वस्तु को छोड़कर) या पशु को नीलाम द्वारा या अन्य प्रकार से बाजार मूल्य पर बेचने का आदेश दे सकता है ।

(4) जहां कोई ऐसी वस्तु या पशु को उपर्युक्त प्रकार से बेचा जाय, और —

(क) उपधारा (2) के अधीन या उपधारा (6) के अधीन पुनर्विलोकन पर कलेक्टर द्वारा अन्ततोगत्वा जब्ती का आदेश न दिया जाय या न बना रहने दिया जाय, या

(ख) उपधारा (7) के अधीन अपील पर दिये गये आदेश में ऐसा अपेक्षित हो, या

(ग) उस अपराध के लिये जिसके सम्बन्ध में वस्तु या पशु का अभिग्रहण किया जाय, अभियोजन संस्थित किये जाने की दशा में न्यायालय के आदेश से ऐसा करना अपेक्षित हो,

वहाँ विक्रय-व्यय की कटौती करने के पश्चात् विक्रय-आगम का भुगतान उसके हकदार व्यक्ति को किया जायगा ।

(5) (क) इस धारा के अधीन जब्ती का आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि उसके स्वामी या उस व्यक्ति को जिससे अभिग्रहीत किया जाय —

(1) ऐसे आधार सूचित करते हुये जिन पर इस प्रकार जब्ती प्रस्तावित है, कोई लिखित नोटिस ;

(2) ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, लिखित अभ्यावेदन देने का अवसर, और

(3) उस विषय में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर ;

न दे दिया जाय ।

(ख) किसी पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन को जब्त करने का कोई आदेश नहीं दिया जायगा यदि उसका स्वामी कलेक्टर के संतोषानुसार यह साबित कर दे कि पशु, गाड़ी,

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 4, 2018 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 13, 1979 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।

made if the owner thereof proves to the satisfaction of the Collector that it was used in carrying the contraband goods without the knowledge or connivance of the owner, his agent, if any, and the person incharge of the animal cart, vessel or other conveyance and that each of them had taken all reasonable and necessary precautions against such use.

(6) Where on an application in that behalf being made to the Collector within one month from any order of confiscation made under sub-section (2), or as the case may be, after issuing notice on his own motion within one month from the order under the sub-section refusing confiscation to the owner of the thing or animal seized or to the person from whose possession it was seized, to show cause why the order should not be reviewed, and after giving him a reasonable opportunity of being heard, the Collector is satisfied that the order suffers from a mistake apparent on the face of the record including any mistake of law, he may pass such order on review as he thinks fit.

(7) Any person aggrieved by an order of the confiscation under sub-section (2) or sub-section (6) may, within one month from the date of the communication to him of such order, appeal to such judicial authority as the State Government may appoint in this behalf and the judicial authority shall, after giving an opportunity to the appellant to be heard pass such order as it may think fit, confirming, modifying or annulling the order appealed against.

(8) Where a prosecution is instituted for the offence in relation to which such confiscation was ordered the thing or animal shall subject to the provisions of sub-section (4) be disposed of in accordance the order of the Court.

(9) No order of confiscation made by the Collector under this section shall prevent the infliction of any punishment to which the person affected thereby may be liable under this Act.]¹

Further provisions for confiscation

73. When anything mentioned in clauses (a) and (b) of section 72, sub-section (1) is found in circumstances which afford reason for believing that an offence punishable under this Act has been committed in respect or by means thereof, or when such an offence has been committed and the offender is not known or cannot be found, the Collector may order confiscation of such thing and of any other thing or animal found or used therewith which is liable to confiscation as provided by section 72, sub-section (1) :

Provided that no such order shall be made until the expiration of one month from the date of seizing the thing or animal in question or without hearing the person (if any) claiming any right thereto, and the evidence (if any) which he produces in support of his claim :

Provided further that if the thing in question is liable to speedy and natural decay, or if the Collector is of opinion that the sale of the

1. *Ins.* by sec. 7 of U. P. Act no. 13 of 1979.

जलयान या अन्य वाहन का प्रयोग उसके स्वामी, अभिकर्ता, यदि कोई हो, और प्रभारी व्यक्ति की जानकारी या मौनानुमति के बिना, विनिषिद्ध माल को ले जाने के लिये किया गया था और इनमें से प्रत्येक ने इस प्रकार प्रयोग किये जाने के विरुद्ध सभी युक्तियुक्त और आवश्यक पूर्वोपाय किये थे और इस उपबंध का कोई प्रतिकूल प्रभाव खंड (क) के उपबन्धों पर नहीं पड़ेगा।

(6) जहाँ उपधारा (2) के अधीन दिये गये जब्ती के किसी आदेश से एक मास के भीतर कलेक्टर को, इस निमित्त आवेदन-पत्र दिये जाने पर या, यथास्थिति, उक्त उपधारा के अधीन जब्ती से इन्कार करने के आदेश से एक मास के भीतर अभिगृहीत वस्तु या पशु के स्वामी को या उस व्यक्ति को जिसके कब्जे से उसे अभिगृहीत किया गया हो, कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से यह कारण बताने का नोटिस जारी करने के पश्चात् कि क्यों न आदेश का पुनर्विलोकन किया जाय और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि अभिलेख को देखने से ही यह प्रकट होता है कि आदेश में कोई भूल है जिसके अन्तर्गत विधि सम्बन्धी भूल भी है, वहां वह पुनर्विलोकन करके ऐसा आदेश दे सकता है, जिसे वह उचित समझे।

(7) उपधारा (2) या उपधारा (6) के अधीन जब्ती के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उसे ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर, ऐसे न्यायाधिक प्राधिकारी को अपील कर सकता है जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे और न्यायिक प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की जाय, पुष्टि, परिष्कार या विखंडन करने का ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।

(8) जहाँ ऐसे अपराध के लिये जिसके संबंध में ऐसी जब्ती का आदेश दिया गया हो, अभियोजन संस्थित किया जाये, वहाँ उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उस वस्तु या पशु का निस्तारण न्यायालय के आदेश के अनुसार किया जायगा।

(9) इस धारा के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया जब्ती का कोई आदेश ऐसे किसी दण्ड के आरोपण से निवारित नहीं करेगा जिसके लिये उससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन भागी हो।¹

73—जब धारा 72 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित कोई वस्तु ऐसी परिस्थितियों में पाई जाय जिनसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उस वस्तु के सम्बन्ध में या उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया है या जब ऐसा अपराध किया गया हो और अपराधी अज्ञात हो या वह न मिल सकें, तो कलेक्टर ऐसी वस्तु या उसके साथ पायी गई या प्रयुक्त कोई अन्य वस्तु या पशु को जो धारा 72 की उपधारा (1) में की गई व्यवस्था के अनुसार जब्त किए जाने योग्य हो, जब्त करने का आदेश दे सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा आदेश तब तक न दिया जायगा जब तक कि प्रश्नगत वस्तु या पशु के जब्त किए जाने के दिनांक से एक माह, की अवधि न बीत जाय या उस व्यक्ति की (यदि कोई हो), जो उसके सम्बन्ध में किसी अधिकारी का दावा करे और उस साक्ष्य की (यदि कोई हो), जो वह अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत करे, सुनवाई न कर ली जाय :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्रश्नगत वस्तु शीघ्रतापूर्वक और प्राकृतिक रूप से क्षय होने वाली हो या यदि कलेक्टर की यह राय हो कि प्रश्नगत वस्तु या पशु का विक्रय

जब्ती के सम्बन्ध में
अग्रेतर उपबन्ध

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 13, 1979 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।

thing or animal in question would be for the benefit of its owner, the Collector may at any time direct it to be sold ; and the provisions of this section shall, so far as may be, apply to the net proceeds of such sale.

**Order for
destroying
confiscated
intoxicant.**

¹[73-A. Where any intoxicant is confiscated under section 72 or section 73, the Collector, may, subject to any order passed in that behalf by any court if in his opinion the confiscated intoxicant is not fit for human consumption or if the confiscated intoxicant cannot be stored or preserved, order the intoxicant to be destroyed notwithstanding anything to the contrary contained in this Act :

Provided that the intoxicant shall not be destroyed except after expiration of two months from the date of confiscation or where an application for review or an appeal against the order of confiscation is pending except in accordance with the order passed in such, review or appeal in this regard :

Provided further that any order for destruction of the intoxicant under this section shall not be passed without providing opportunity of hearing after notice of seven days to the person from whose custody the intoxicant is recovered :

Provided also that adequate sample of the intoxicant shall be preserved to meet the evidentiary requirements.]

**[Compounding
of offences]²**

²[74. (1) Any Excise Officer specially empowered by the State Government in that behalf may accept from any person whose license, permit or pass is liable to be cancelled or suspended under section 34 or who is reasonably suspected of having committed an offence punishable under section 64 or section 68, a sum of money not exceeding ³[fifty thousand rupees] in lieu of such cancellation or suspension or by way of composition for the offence which may have been committed, as the case may be, and in all cases in which any property has been seized as liable to confiscation under this Act, may release the same on payment of the value thereof (as estimated by such officer).

⁴[(1-A) Any officer specially empowered by the State Government in that behalf may subject to any general or special order of the State Government compound, whether before or after the institution of the prosecution, any offence punishable ⁵[under clause (a) and (b)] of sub-section (1) of section 60 or section 63, where the quantity of the intoxicant involved does not exceed the quantity notified by the State Government in that behalf, or any offence punishable under sub-section (3) of section 60, on payment of such sum of money as composition fee as he thinks fit, which shall not be

1. Subs. by sec. 26 of U. P. Act no. 4 of 2018.
2. Subs. by sec. 22 of U. P. Act no. 9 of 1978.
3. Subs. by sec. 27(a) of U. P. Act no. 4 of 2018.
4. Ins. by sec. 9 of U. P. Act no. 13 of 1979.
5. Subs. by sec. 27(b) of U. P. Act no. 4 of 2018.

उसके स्वामी के लाभार्थ होगा तो कलेक्टर किसी भी समय उसका विक्रय किए जाने का निदेश दे सकता है ; और इस धारा के उपबंध ऐसे विक्रय के शुद्ध आगम पर यथाशक्य लागू होंगे।

1[73-क]—जहाँ धारा 72 या धारा 73 के अधीन कोई मादक वस्तु का अधिहरण किया जाय, वहाँ किसी न्यायालय द्वारा उस निमित्त दिये गये किसी आदेश के अधधीन, यदि कलेक्टर की राय में अधिहरण की गयी मादक वस्तु मानव उपभोग योग्य नहीं है अथवा यदि अधिहरण की गयी मादक वस्तु को भण्डारित अथवा परिरक्षित नहीं किया जा सकता है, तो वह इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी उक्त मादक वस्तु को नष्ट किये जाने का आदेश दे सकता है :

अधिहरण मादक वस्तु को नष्ट करने का आदेश

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त मादक वस्तु को अधिहरण किये जाने के दिनांक से दो मास की समाप्ति के पश्चात् के सिवाय या जहाँ अधिहरण के आदेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन या किसी अपील हेतु आवेदन—पत्र, इस सम्बन्ध में ऐसे पुनर्विलोकन या अपील में पारित आदेश के अनुसार के सिवाय लम्बित हो, नष्ट नहीं किया जायेगा ;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन मादक वस्तु नष्ट किये जाने हेतु कोई आदेश, उस व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से मादक वस्तु बरामद किया गया हो, को 7 दिन की नोटिस के पश्चात् सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित नहीं किया जायेगा;

प्रतिबन्ध यह भी है कि मादक वस्तु का पर्याप्त नमूना साक्षिक अपेक्षाओं की पूर्ती के लिये परिरक्षित किया जायेगा।]

2[74-(1)] कोई आबकारी अधिकारी जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया हो, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका लाइसेंस, परमिट या पास धारा 34 के अधीन निरसित या निलम्बित किये जाने योग्य हो या जिसके सम्बन्ध में युक्तियुक्त सन्देह हो कि उसने धारा 64 या धारा 68 के अधीन दण्डनीय अपराध किया है, यथास्थिति, ऐसे निरसन या निलम्बन के बदले में या किये गये अपराध के शमन के रूप में **3[पचास हजार रुपये]** से अनधिक धनराशि स्वीकार कर सकता है और ऐसे सभी मामलों में जिसमें इस अधिनियम के अधीन जब्त की जाने योग्य कोई सम्पत्ति अभिगृहीत की गयी हो, उस सम्पत्ति के (ऐसे अधिकारी द्वारा अनुमानित) मूल्य का भूगतान किये जाने पर छोड़ सकता है ।

अपराधों का शमन

4[(1-क)] राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई अधिकारी, राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुये, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, जहां अन्तर्ग्रस्त मादक वस्तु का का परिणाम राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित परिमाण से अधिक न हो, वहां धारा 60 की उपधारा (1) के **5[खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन]** या धारा 63 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, या धारा 60 की उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का, शमन फीस के रूप में

1 उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित।

2 उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 1978 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3 उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 27(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

4 उ० प्र० अधिनियम सं० 13, 1979 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया ।

5 उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 27(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

less than ¹[one thousand rupees which may extend to five thousand rupees], where any such offence is committed by a person for the first time.]

(2) On the payment by such person of such sum of money or such value or both, as the case may be, such person, if in custody, shall be set at liberty, and all the property seized may be released and no proceeding shall be instituted or continued against such person in any criminal court. The acceptance of such sum of money by way of composition shall be deemed to amount to an acquittal and in no case shall any further proceedings be taken against such person or property with reference to the same act.

Imposition of penalty

²[74-A. (1) If a holder of a license, permit or pass granted under this Act or an employee of such holder contravenes any of the conditions of the license, permit or pass or any rule made under this Act, Excise Officer authorized by the State Government in this behalf may impose a penalty not exceeding ³[one lakh rupees].

(2) No order imposing a penalty shall be made under sub-section (1) unless the holder of the license, permit or pass or the employee concerned is given —

(a) a notice in writing informing him of the grounds on which it is proposed to proceed under this section ;

(b) a reasonable opportunity of making a representation in writing, within such time as may be specified in the notice, against such ground ; and

(c) a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(3) No person on whom a penalty is imposed under sub-section (1) shall be liable to prosecution in respect of any offence under this Act on the same facts.

CHAPTER — XI

MISCELLANEOUS

Exception of medicated articles

75. Nothing in the foregoing provisions of this Act applies to the import, manufacture, possession, sale or supply of any bona fide medicated article for medicinal purposes by medical practitioners, chemists, druggists, apothecaries or keepers of dispensaries, except in so far as the ⁴[State Government] may by notification so direct.

1. Subs. by sec. 29(b) of U. P. Act no. 4 of 2018.

2. Subs. by sec. 22 of U.P. Act No. 9 of 1978.

3. Subs. by sec. 28 of U.P. Act No. 4 of 2018.

4. Subs. by A.O. 1950 for (Provl. Govt.)

ऐसी धनराशि का, जिसे वह उचित समझे और जो ¹[एक हजार रुपये जो पाँच हजार रुपये तक हो सकती है] भुगतान करने पर, शमन कर सकता है, यदि ऐसा कोई अपराध किसी व्यक्ति द्वारा पहली बार किया गया हो।]

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, ऐसे धनराशि या ऐसे मूल्य या दोनो का भुगतान कर दिये जाने पर उस व्यक्ति को, यदि अभिरक्षा में हो, निर्मुक्त कर दिया जायगा और अभिगृहीत समस्त सम्पत्ति छोड़ दी जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी दण्ड न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की जायगी न जारी रखी जायगी। शमन के रूप में ऐसी धनराशि स्वीकार करने को दोषमुक्त समझा जायेगा और किसी भी स्थिति में ऐसे व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध उसी कार्य के अभिदेश में कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायगी।

2[74-क—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस, परमिट या पास का धारक या ऐसे धारक का कोई कर्मचारी लाइसेंस, परमिट या पास की किन्हीं शर्तों या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई आबकारी अधिकारी ³[एक लाख रुपये] से अनधिक की शास्ति आरोपित कर सकता है।

शास्ति आरोपण

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति आरोपित करने का कोई आदेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि लाइसेन्स, परमिट या पास के धारक या सम्बद्ध कर्मचारी को —

(क) उन आधारों को जिन पर इस धारा के अधीन कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है, सूचित करते हुये लिखित नोटिस न दे दी गयी हो ;

(ख) ऐसे समय के भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे आधार के विरुद्ध लिखित रूप में अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ; और

(ग) मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(3) कोई व्यक्ति जिस पर उपधारा (1) के अधीन शास्ति आरोपित की जाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में उन्हीं तथ्यों पर अभियोजित नहीं किया जा सकेगा।]

अध्याय — 11

प्रकीर्ण

75—इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबन्धों की कोई बात सिवाय वहाँ तक जहाँ तक ⁴[राज्य सरकार] अधिसूचना द्वारा ऐसा निदेश दे, चिकित्सा व्यवसायियों, केमिस्टों, औषधि विक्रेताओं, औषधिकों या औषधालय रखने वालों द्वारा औषधीय प्रयोजनों के निमित्त किसी वास्तविक औषधियुक्त पदार्थ का आयात किये जाने, निर्माण किये जाने, उसे कब्जे में रखे जाने, उसका विक्रय या संभरण किये जाने पर लागू न होगी ।

औषधियुक्त पदार्थों के सम्बन्ध में अपवाद

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 27ख द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 9, 2018 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 2018 की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. एडेप्शन ऑफ लाज आर्डर 1950 द्वारा (प्राविशियल गवर्नमेण्ट) के लिए प्रतिस्थापित ।

[The United Provinces Excise Act, 1910]

Power of State Government to exempt persons and intoxicants from the provisions of this Act

76. The ¹[State Government] may, by notification and subject to such conditions as it may think fit to prescribe, ²[exempt] any person or class of persons, or any ³[intoxicant], wholly or partly, from the operation of all or any of the provisions of this Act or of all or any of the rules made under this Act, either throughout ⁴[Uttar Pradesh] or in any specified area comprised therein or for any specified period, or occasion.

Publication of rules and notifications

77. All rules made and notifications issued under the Act shall be published in the ⁵[Official Gazette], and shall, have effect as if enacted in this Act from the date of such publication or from such other date as may be specified in that behalf.

⁶ [Provided that notwithstanding anything to the contrary contained in this section or in any judgment, decree or order, the notification nos. 3514-E/XIII—331-78 and 1227-E/XIII—332-78, both dated April 17, 1978, made by the State Government in exercise of the powers under sections 28 and 29 and the amendments made by the aforesaid notifications shall have effect and be deemed always to have effect on and from April 1, 1978.]

⁷ [Provided further that notwithstanding anything to the contrary contained in this section or in any contract, judgment, decree or order, the notification no. 3842-E/XIII—512-83, dated May 25, 1983, made by the State Government in exercise of the powers under section 30 shall have effect and be deemed always to have effect on and from April 1, 1983.]

Bar of certain suits

78. (1) No suit shall lie in any civil Court against the ⁸[Government] or any officer or person for damages for any act in good faith done, or ordered to be done, in pursuance of this Act or of any other law for the time being in force relating to the excise revenue.

Limitation of suits

(2) No civil Court shall try any suit which may lawfully be brought against the ⁸[Government] in respect of anything done, or alleged to have been done, in pursuance of this Act, unless the suit is instituted within six months after the date of the act complained of.

Power of Excise Commissioner, exercisable from time to time

79. Any power conferred by this Act on the ⁹ [Excise Commissioner] may be exercised from time to time as occasion requires.

-
1. *Subs.* by the A. O. 1950 for (Provl. Govt.) which had been subs. by the A. O. 1937 for (L. G.).
 2. For notifications of exemption, consult S. O. R.
 3. *Subs.* for (excisable article) by the A. O. 1937.
 4. *Subs.* for (the United Provinces) by the A. O. 1950.
 5. *Subs.* for (Gazette) by the A. O. 1937.
 6. *Subs.* by sec. 10 of U. P. Act no. 13 of 1979.
 7. *Subs.* by sec. 2 of U. P. Act no. 23 of 1984.
 8. *Subs.* for (Crown) by the A. O. 1950 which had been substituted for (Secretary of State for India in Council) by the A. O. 1937.
 9. *Subs.* for (Chief Revenue Authority) by s. 16 of U. P. Act II of 1928.

76-¹[राज्य सरकार] अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह विहित करना उचित समझे, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को या किसी 2[मादक वस्तु] को इस अधिनियम के सभी उपबन्धों या उनमें से किन्हीं उपबन्धों के या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियमों या उनमें से किन्हीं नियमों के प्रवर्तन से या तो संपूर्ण 3[उत्तर प्रदेश] में या तदन्तर्गत समाविष्ट किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में या किसी निर्दिष्ट अवधि या अवसर के लिये पूर्णतः या अंशतः 4[विमुक्त] कर सकती है ।

व्यक्तियों तथा मादक वस्तुओं की इस अधिनियम के उपबन्धों से विमुक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति

77-इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम तथा जारी की गयी समस्त अधिसूचनायें 5[सरकारी गजट] में प्रकाशित की जायेंगी और वे इस प्रकार प्रभावी होंगी मानो वे इस अधिनियम में ऐसे प्रकाशन के दिनांक से या ऐसे अन्य दिनांक से जो तदर्थ निर्दिष्ट किया जाय, अधिनियमित हुई हों ।

नियमों तथा अधिसूचनाओं का प्रकाशन

6[प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा या किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, राज्य सरकार द्वारा धारा 28 और 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी की गई अधिसूचना संख्या 3514 ई/तेरह -331-78, दिनांक 17 अप्रैल, 1978 और 1227-ई/तेरह 332-78, दिनांक 17 अप्रैल, 1978 और उपर्युक्त अधिसूचनाओं द्वारा किये गये संशोधन, 1 अप्रैल, 1978 को ओर से प्रवृत्त होंगे और सदैव 1 अप्रैल, 1978 को ओर से प्रवृत्त समझे जायेंगे।]

7[अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा में या किसी संविदा, निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा धारा 30 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके जारी की गयी अधिसूचना संख्या 3842ई/तेरह-512-83, दिनांक 25 मई, 1983 पहली अप्रैल, 1983 को और उसी दिनांक से प्रभावी होगी और सदैव से प्रभावी समझी जायेगी।]

78-(1) इस अधिनियम के या आबकारी राजस्व से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिये आदिष्ट किसी कार्य के विषय में क्षतिपूर्ति के लिये 8[सरकार] के या किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद किसी सिविल न्यायालय में प्रस्तुत न किया जा सकेगा ।

कतिपय वादों पर रोक

(2) कोई सिविल न्यायालय किसी ऐसे वाद पर जो इस अधिनियम के अनुसरण में की गई अथवा की गई अभिकथित किसी बात के संबंध में 8[सरकार] के विरुद्ध विधि पूर्व के लाया जा सकता हो, विचारण नहीं करेगा जब तक कि वह वाद परिवादित कार्य के दिनांक के पश्चात् छः माह के भीतर संस्थित न किया जाय ।

79-इस अधिनियम द्वारा 9[आबकारी आयुक्त] को प्रदत्त कोई शक्ति समय-समय पर अवतरानुसार प्रयुक्त की जा सकती है ।

आबकारी आयुक्त की समय-समय पर प्रयोक्तव्य शक्तियां

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था
2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (एक्साइजेबिल आर्टिकल) के लिए प्रतिस्थापित ।
3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविसेज) के लिए प्रतिस्थापित ।
4. विमुक्त की अधिसूचनाओं के लिए उद्देश्य और कारणों के विवरण देखिए ।
5. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (गजट) के लिए प्रतिस्थापित ।
6. उ० प्र० अधिनियम सं० 13, 1979 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उ० प्र० अधिनियम सं० 23, 1984 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
8. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (दि क्राउन) के लिए प्रतिस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया इन कौंसिल) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था ।
9. सं० प्रा० अधिनियम सं० 2, 1923 की धारा 16 द्वारा (चीफ रेवेन्यू अथारिटी) के लिए प्रतिस्थापित ।

[The United Provinces Excise Act, 1910]

Schedule

ENACTMENTS REPEALED

(See section 2)

Year	Number	Short title	Extent of repeal
ACTS OF THE GOVERNOR-GENERAL IN COUNCIL			
1863	XVI	The Excise (Spirits) Act, 1863	The whole so far as it affects the (Uttar Pradesh.)
1894	VIII	The Indian Tariff Act, 1894	Section 6 so far as it affects the (Uttar Pradesh.)
1896	XII	The Excise Act, 1895	The whole so far as it affects the (Uttar Pradesh.)
1906	VII	The Excise (Amendment) Act, 1906	Ditto.

अनुसूची
निरसित अधिनियमितियों
(धारा 2 देखिये)

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
		सपरिषद् गवर्नर जनरल के ऐक्ट्स	
1863	16	द एक्साइज (स्प्रिट्स) ऐक्ट, 1863	संपूर्ण ऐक्ट जहाँ तक वह (उत्तर प्रदेश पर) प्रभावी होता है ।
1894	8	द इंडियन टैरिफ ऐक्ट, 1894	धारा 6 जहाँ तक वह (उत्तर प्रदेश पर) प्रभावी होती है ।
1896	12	द एक्साइज ऐक्ट, 1895	संपूर्ण ऐक्ट जहाँ तक वह (उत्तर प्रदेश पर) प्रभावी होता है ।
1906	7	द एक्साइज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 1906	तदैव